खण्ड-264, अंक-2
गुरूवार, 12 फाल्गुन, शक संवत् 1887
(3 मार्च, 1966 ई0)

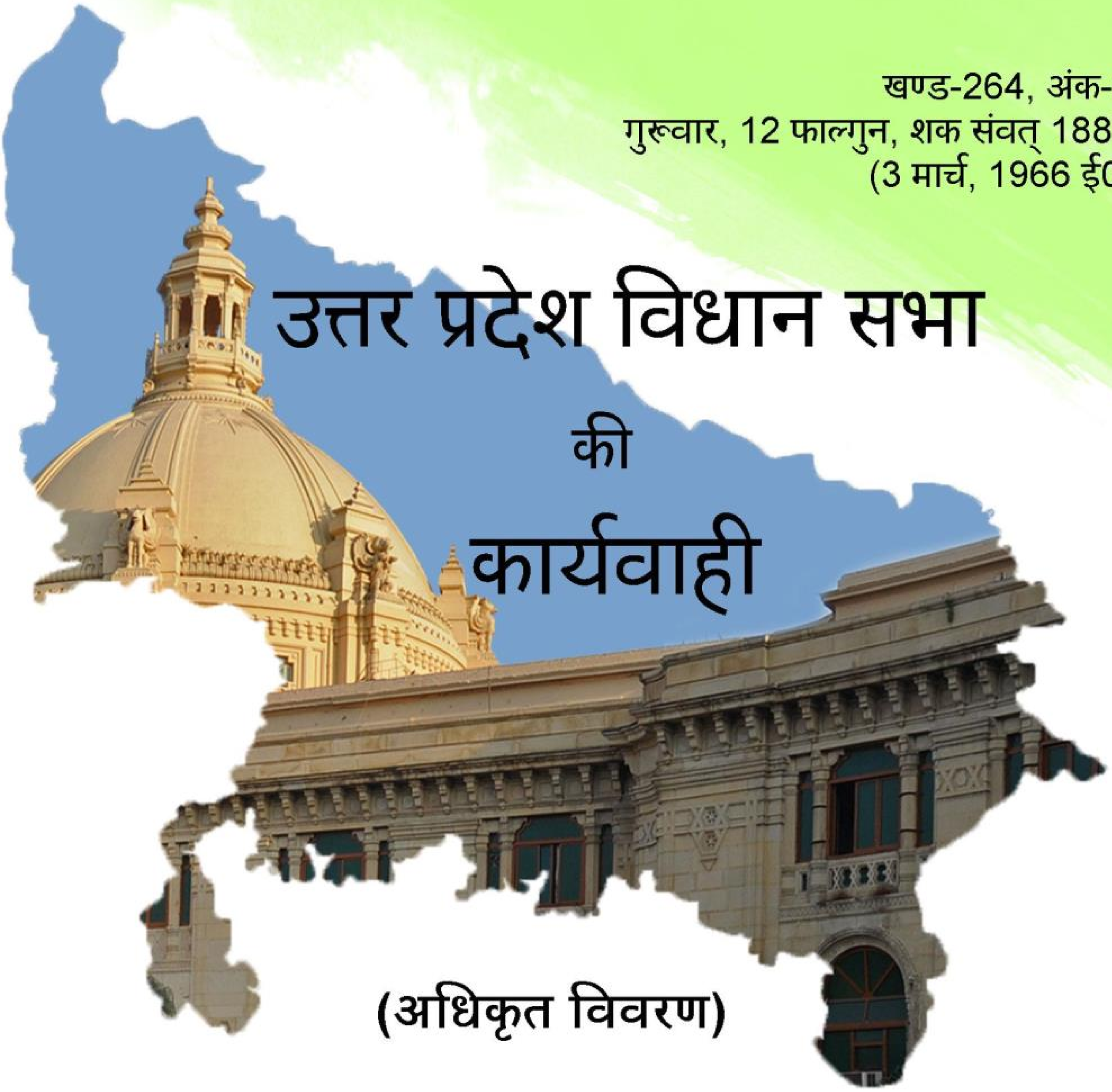

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 264 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वृहस्पतिवार, ३ मार्च, १९६६

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री महावीर वर्मा, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३६१

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रताप सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हमीद खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमारसिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसेन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कुमार करुणा कृष्ण नायर, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशमान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री

गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बबकन)
जुगलकिशोर, आचार्य
जुगलकिशोर, श्री
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डे राय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करवरिया, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री

अध्यक्ष प्रदत्त प्रति

पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह, प्रधान , श्री
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल , श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेन्द्र सहाय, श्री
बेजनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह बैस, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भीखालाल, श्री

भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीर प्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतान सिंह, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री
(लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ , श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसहाय कँधवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री

राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रताप सिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री

सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

गृह मंत्री श्री हरगोविन्दसिंह, गृह उपमंत्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त तथा शिक्षा उपमंत्री, डाक्टर रामनारायण पांडेय भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

वृहस्पतिवार, ३ मार्च, १९६६

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

महापालिका कर्मचारियों के प्रशासकीय शासन के विरुद्ध आरोप

**१—श्री कल्याणचन्द्र मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के पंच नगरमहापालिका कर्मचारी संघ की ओर से कोई पत्र दिनांक १९ फरवरी, १९६६ का आया है जिसमें महापालिकाओं के प्रशासकीय शासन की शिकायत है ? यदि हां, तो उस पत्र में मुख्य-मुख्य कौन-कौन सी शिकायतें तथा मांगें हैं तथा सरकार उस पर क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

स्वायत्त शासन मंत्री की सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

जी हां। इस पत्र में प्रशासकीय शासन के विरुद्ध कुछ सामान्य प्रकार के आरोप लगाये गये हैं, जो इस प्रकार हैं :

(१) १ फरवरी, १९६६ से प्रशासक के माध्यम से महापालिका के प्रशासन को संचालित करना प्रारम्भ किया गया तो महापालिका में काम करने वाले कर्मचारियों की दशा और भी दयनीय हो गई।

(२) कर्मचारियों को महापालिका रूपी संस्था के कर्मचारी न मान कर प्रशासकों के व्यक्तिगत कर्मचारियों के दर्जे पर पहुंचा दिया गया और वर्तमान प्रशासक-गण जो इन महापालिकाओं के भूतपूर्व मुख्य नगर अधिकारी थे इन कर्मचारियों से बदला लेने की भावना से प्रेरित होकर कार्य करने लगे ।

(३) आज ५ महापालिकाओं में सरकारी प्रशासकों की तानाशाही का तांडव नृत्य हो रहा है और सरकार महापालिका के प्रशासन को सुधारने के नाम पर आंख बन्द कर कर्मचारियों की दुर्दशा करा रही है।

(४) कर्मचारियों की वेतन वृद्धि, सुविधाओं में वृद्धि और अपने पदों पर स्थायी करने की दिशा में कार्यवाही तो दूर रही, आज इस भयंकर मंहगाई, बेरोजगारी खाद्य संकट और संकटकालीन स्थिति में कर्मचारियों की सेवा खतरे में पड़ गई है।

उक्त पत्र में यह मांग की गई है कि राज्य सरकार अविलम्ब कर्मचारियों के प्रतिनिधियों, प्रशासकों एवं स्वायत्त शासन विभाग के प्रतिनिधियों का एक त्रिदलीय सम्मेलन बुलाये और सारे विषयों पर गम्भीरतापूर्वक सफाई के साथ हर पक्ष की बातों को सुने और समझकर कोई ऐसा रास्ता निकाले जिससे कि सभी पक्षों के साथ न्याय हो सके ।

चूंकि उपर्युक्त आरोप सामान्य प्रकार के हैं और इनसे किसी विशिष्ट अनियमितता अथवा अन्याचार का पता नहीं चलता है, अतएव इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का सवाल नहीं उठता। यदि कोई विशिष्ट मामला सरकार के सामने आयेगा तो उस पर आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है। जहां तक त्रिदलीय सम्मेलन बुलाने का सम्बन्ध है, शासन इस विषय पर विचार करेगा।

**२—श्री कल्याणचन्द्र मोहिले—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद महापालिका के कर्मचारियों को इसी माह नौकरी से अलाहदा करने की नोटिस दी गई है ? यदि हां, तो कितनों को और कितनों को जाने वाली है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

इलाहाबाद नगर महापालिका के पक्कर टोल टैक्स विभाग के २३ कर्मचारियों को फरवरी, १९६६ में नौकरी से अलहदा करने की एक माह की नोटिस दी गयी है। अन्य कर्मचारियों को नौकरी से अलहदा करने की नोटिस देने के विषय में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री कल्याणचन्द्र मोहिले—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जब से पालिका समाप्त हुई और महापालिका बनी तब से वहां के तमाम कर्मचारी जो अस्थायी थे वे इस समय तक अस्थायी हैं ? अगर अस्थायी हैं तो उनको अस्थायी रखने का क्या कारण है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

महापालिका के गठन के पूर्व जो पद स्थायी थे वे आज भी स्थायी हैं। सन् ६० में पालिका को यह आदेश दिया गया था कि वे जिन नये पदों का सृजन करें उन पर राज्य सरकार की अनुमति ले लें। किन्तु बहुत सी पालिकाओं ने इस प्रकार का कार्य नहीं किया। बहुत से कर्मचारियों की बढ़ोत्तरी अपने अधिकारों से कर दी। अतः राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया कि जो कर्मचारी स्थायी थे वे अस्थायी घोषित कर दें। किन्तु उसके बाद भी उनको वही उपलब्धियां प्राप्त हैं जो पूर्व महापालिका के गठन के थीं ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि क्या यह सही है कि जो वहां पर स्थायी कर्मचारी है और सब स्थायी कर्मचारी हैं, उनको निकालने की कोई योजना आपके प्रशासक महोदय ने सरकार से मिल कर बनाई है उसमें छटनी करने की ?

वन मंत्री (श्री चरणसिंह)--

महापालिकाओं को यह अधिकार दिया गया था कि वे कर्मचारियों का वेतन तय करें और नियुक्ति करें परन्तु अधिकतर महापालिकाओं ने नहीं किया लेकिन वाराणसी की महापालिका ने कर दिया है। जहां तक कर्मचारियों की छटनी का सवाल है, उसमें मैं बता दूं कि वहां केवल १३ चपरासी और दस नायब मुहर्रिर को नौकरी समाप्त करने का नोटिस इस कारण दिया गया है कि मार्च,६५ में इस प्रकार का एक प्रस्ताव पास हुआ था कि आक्टराय स्टाफ द्वारा ही टोल टैक्स का कलेक्शन किया जाय। क्योंकि टोल टैक्स के स्टाफ का वार्षिक व्यय २२ हजार रुपया है और वार्षिक कलेक्शन ८ या ९ हजार रुपया है, इसलिए यह निश्चय किया गया था। इसके अलावा जो अस्थायी हैं और जिनको एडमिनिस्ट्रेटर ने हटाना जरूरी समझा उनको हटाया गया है। अगर उनकी क्वालीफिकेशन्स किसी और जगह के लिये ठीक होंगी तो उनको ले लिया जायगा। जो नायब मुहर्रिर है, उनको नोटिस दिया गया है। इनके साथ आपकी हमदर्दी है तो ठीक है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--

टोल टैक्स इलाहाबाद में कब से लगा है और इनको इस समय नोटिस देने की क्या आवश्यकता थी ?

श्री चरणसिंह--

नोटिस चाहिये।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)--

पांचों महानगरियों में कितने कर्मचारियों को नोटिस देने पर विचार हो रहा है ?

श्री चरण सिंह--

मैंने यह नहीं कहा कि नोटिस देने पर विचार कर रहे हैं। मैंने यह कहा था कि यदि ऐडमिनिस्ट्रेटर नियम के अनुसार--नियम के अनुसार मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे सारे नियम मालूम नहीं हैं--यह समझें कि ये अनावश्यक पद हैं या इनसे पब्लिक हित का सम्पादन नहीं हो रहा है तो वह उन्हें अलहदा कर दें। अलहदा होने वाले कर्मचारियों के बारे में गवर्नमेंट की आम नीति है कि यह खाली जगहों में ले लिये जायें, अगर वे क्वालिफाइड हों।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

सभा सचिव ने कहा कि कुछ को नोटस दी जा चुकी है और बाकी विचाराधीन हैं। मैं यह पूछता हूं कि विचाराधीन कितने हैं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

राज्य सरकार ने आदेश प्रसारित किया कि जिन महापालिकाओं ने नये पदों का सृजन किया है और जिनका राज्य सरकार से एप्रूवल नहीं लिया गया और जिनकी नियुक्तियां आवश्यकता से अधिक हैं, जिनसे आर्थिक प्रभाव भी बहुत अधिक पड़ा है, उन पदों के बारे में देख लें। कुछ का एप्रूवल लिया भी, जैसा कि वाराणसी महापालिका ने किया, और उनकी नियुक्तियां हो गई।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

नौकरी से अलाहदा होने पर जब तक उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी उस समय तक क्या सरकार उन्हें वेतन या भत्ता देगी और उनकी नौकरी की शर्तों का क्या होगा ? जब महापालिकाओं ने उन्हें रखा तभी गवर्नमेंट ने महापालिकाओं को क्यों नहीं रोका ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

नगरमहापालिका अधिनियम के मुताबिक एक अधिकार नगर महापालिका को है और एक सरकार को है। नगरपालिकाओं ने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया किन्तु सरकार के आदेश का पालन नहीं किया। इसलिये उन्होंने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया और सरकार को आदेश जारी करना पड़ा। नये सृजित पदों की उपलब्धियां खत्म नहीं की गई हैं। आज भी कोई कर्मचारी हटाया नहीं बल्कि अधिक की एक लिस्ट बन रही है और इस बात की कोशिश की जायगी कि शनः शनः अन्य विभागों में उन्हें लगा दिया जाय। ९ फरवरी को माननीय मुख्य मंत्री जी ने पांचों महापालिकाओं के प्रशासकों की मीटिंग की और उन्हें यह आदेश दिया कि आप छटनी करें लेकिन उन कर्मचारियों को बेकार न करें आज के महंगाई के अवसर पर बल्कि उनके लिये आई० जी० पुलिस और एम्पलामेंट एक्सचेंज में कोशिश करें।

श्री उग्रसेन—

बेकारी की अवधि का भत्ता देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

मैं यह समझा हूं कि उन्होंने यह कहा है कि हम केवल एक फेहरिस्त बना रहे हैं और उस सूची में अंकित व्यक्ति धीरे धीरे दूसरी जगहों में लगा दिये जायेंगे और जब तक दूसरी जगह नहीं आते हैं तब तक वहां रहेंगे।

श्री उग्रसेन—

आप गलत समझे हैं। उन्होंने दूसरी बात कही है, साफ नहीं है।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

महापालिका अधिनियम की धारा ५७० (ई) के अन्तर्गत समस्त कर्मचारी जो स्थायी थे वे अस्थायी कर दिये गये। जब कर्मचारियों ने उसका विरोध किया तो सरकार ने आश्वासन दिया था कि शीघ्र ही नियमावली बना कर के स्थायी कर दिये जायेंगे। सन् ६० की यह बात थी। अब ६६ हो गया है। तो सरकार नियमावली कब तक बनावेगी और कब तक समस्त कर्मचारियों को स्थायी घोषित करेंगी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

नियमावली बन गई है और कुछ महापालिकाओं ने उस पर अमल करना प्रारम्भ भी कर दिया है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

जो कर्मचारी निकाले जाने के लिये घोषित कर दिये गये हैं वे अलग होने के समय से जब तक उन्हें नौकरी फिर मिलेगी तब तक का वेतन पावेंगे या नहीं और वह अलहदी का समय उनकी सेवाकाल में समझा जायगा या नहीं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

९ फरवरी की मीटिंग में केवल लिस्ट बनाने का आदेश दिया गया था। वह लिस्ट राज्य सरकार के पास आने पर देखेंगे कि क्या हो सकता है।

श्री उग्रसेन—

बिलकुल अर्थहीन उत्तर है। उनके सवाल का उत्तर नहीं है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या वे कर्मचारी महापालिकाओं की सेवा में रहेंगे अथवा नहीं रहेंगे? यदि नहीं रहेंगे, तो उनको भत्ता दिया जायगा या नहीं?

श्री अध्यक्ष—

वे कह रहे हैं कि उनके संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

श्रीमती तारा अग्रवाल—

अभी इलाहाबाद महापालिका ने २३ आदमियों को नोटिस दिया है। जिन २३ को नोटिस दिया गया है उसमें भी इस प्रकार का आदेश है कि उनको भी कोई न कोई जगह योग्यतानुसार रखने की कोशिश की जायगी।

श्री बंशीलाल (जिला इलाहाबाद)—

क्या नगर महापालिका के कतिपय सदस्यों के कहने पर वहां के स्टाफ की उम्र बढ़ा दी गयी थी?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

सदस्यों के कहने से बढ़ाई गयी हो या और किसी प्रकार से बढ़ाई गयी हो, लेकिन बढ़ा दी गयी है।

श्री सत्यनारायण पांडेय—

सरकार ने मेरे एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि नियमावली बना कर स्थायी कर दिया जायगा। अब उन्होंने कहा कि नियमावली बना दी गयी है। मैं अब जानना चाहता हूं कि उस नियमावली के अनुसार उनको स्थायी बनाया गया या नहीं, जैसा कि उनका आश्वासन था?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

यह नियमावली महापालिकाओं ने बनायी थी। उनसे कहा गया था कि वे ऐसे पदों का सृजन कर सकते हैं। उसके अनुसार जिन महापालिकाओं ने पदों का सृजन करके भेजा उनको एप्रूवल दे दिया गया और उन्होंने उनकी नियुक्ति स्थायी पदों पर कर दी।

श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिन ३३ व्यक्तियों को इलाहाबाद नगरमहापालिका से हटाया गया है या और महापालिकाओं के जिन कर्मचारियों की छटनी की जायगी तो उनकी जितने साल की महापालिका की नौकरी है, वह नौकरी आगे जोड़ी जायगी या नहीं और जिनकी उम्र अधिक हो गयी है उनको अंडर एज की लिमिट की छूट दी जायगी या नहीं जिससे कि उनको आगे नौकरी मिल सके?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जब जैसी परिस्थिति आयेगी वैसा विचार किया जायगा।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

क्या माननीय मंत्री जी और कर्मचारियों की भांति इन गरीबों को भी एज का एक्जेम्पशन देने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष—

जवाब देने के लिये कुछ नियम हैं। अगर आप चाहें तो उनको पढ़ कर सुना दूं? प्रश्न करना आपका काम है और उत्तर देना सरकार का काम है। मैं किसी को इस प्रकार से मजबूर नहीं कर सकता कि वे उसी प्रकार का जवाब दें जिस प्रकार का आप चाहते हैं।

श्री संतसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

पिछले मास में ५ कवाल टाउन्स के कर्मचारियों की कांफरेंस हुई थी जिसमें सरकार को यह सूचित किया था कि वे १५ तारीख से हड़ताल करने जा रहे हैं। क्या माननीय मुख्य मंत्री जी उन कवाल टाउन्स के कर्मचारियों के यूनियन वालों को बुला कर उनके साथ बातचीत करेंगे और उनका मसला हल करने की कोशिश करेंगे?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सचेता कृपालानी)—

एक तो माननीय सदस्य ने अपनी बात को बहुत तेजी के साथ कहा, जो पूरी तरह से मेरी समझ में नहीं आयी। शायद आपका यह कहना है कि कारपोरेशन के कर्मचारियों की जो डिमांड है उसके बारे में क्या मैं उनसे बातचीत करने को तैयार हूं। तो उनसे बातचीत करने को मैं हमेशा तैयार हूं, अगर उससे उनको तसल्ली हो।

श्री कल्याणचन्द्र मोहिले—

क्या सरकार ५ नगरमहापालिकाओं में से एक छत्र राज्य हटाकर कोई एड हाक कमेटी बनाने पर विचार करेगी जिससे यह धांधली खत्म हो जाय?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

यह विचाराधीन है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या माननीय मंत्री जी को जो शिकायत की गयी है उसकी जांच करा कर अगर वह सही हो तो सरकार उसके संबंध में कोई कार्यवाही करना चाहती है?

श्री चरणसिंह—

१ फरवरी को चार्ज लिया। १९ फरवरी को आरोप पत्र दिया गया। उसके लिये कह दिया गया है कि यह कोई आरोप पत्र नहीं है। फिर तहकीकात किस बात की होगी?

महापालिका कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता

*३—श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद व लखनऊ महापालिका के कर्मचारियों को सरकार द्वारा इस माह में अतिरिक्त सहायता के संबंध में आदेश जारी किये गये हैं? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जी हां।

श्री बालोजी अग्रवाल—

क्या माननीय मंत्री जी उन अन्तरिम आदेशों को पढ़ कर सुनायेंगे?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

अन्तरिम महंगाई भत्ता देने के संबंध में जो जी०ओ० जारी किया गया है वह इस प्रकार है :—

"शहरी क्षेत्रों की स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता स्वीकार करने का प्रश्न कुछ समय से शासन के विचाराधीन रहा है। कुछ स्थानीय निकायों ने शासन से यह अनुरोध भी किया है कि वे अपने कर्मचारियों के उपलब्धियों में वृद्धि करना चाहती है। अतः राज्यपाल ने यह आदेश दिया है कि शहरी क्षेत्रों की जो स्थानीय निकायें अपने कर्मचारियों के वर्तमान उपलब्धियों में (जिसमें वेतन तथा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत सभी भत्ते सम्मिलित हैं) वृद्धि करना चाहती हैं और उनकी आर्थिक स्थिति इस अतिरिक्त व्यय के भार को वहन करने के योग्य है तथा इसके लिये शासन से किसी आर्थिक सहायता की अपेक्षा नहीं करती हैं, वे १ मार्च, १९६६ से १० रुपया प्रति मास की वृद्धि स्वीकार कर सकती हैं।"

श्री बालोजी अग्रवाल—

क्या माननीय मंत्री जी महापालिकाओं को ऐसे आदेश देने की कृपा करेंगे कि वे अपने कर्मचारियों को अन्तरिम महंगाई भत्ता दे दें और जिस आदेश में कोई 'अगर, मगर' न लगी हो ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जब कर्मचारियों ने अन्तरिम सहायता की मांग की और कुछ स्थानीय निकायों ने उसको बढ़ाने की इजाजत भी सरकार से मांगी तब सरकार ने यह आदेश जारी किये थे कि जिन स्थानीय निकायों की आर्थिक स्थिति अच्छी है, वे दे दें। जिन स्थानीय निकायों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वे किस प्रकार से दे देंगे, यह माननीय सदस्य स्वयं समझ सकते हैं।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

क्या माननीया सभासचिव यह आश्वासन देंगी कि जो सुविधायें सरकार प्रदेश के अन्य कर्मचारियों को देने जा रही है वही सुविधा वह स्वायत्त शासन संस्थाओं के कर्मचारियों को भी देने की कृपा करेंगी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

यह प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

क्या चौधरी साहब के लिये भी, जो मंत्री हैं, स्त्री लिंग की तरह संबोधित किया जायगा ?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—

यह स्थानीय महापालिकाओं के कर्मचारियों को जो महंगाई भत्ता इस समय दिया जाता है क्या उसमें सरकार का भी अंशदान रहता है ? यदि हां, तो फिर अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने में सरकार अपना अंशदान देने को क्यों तैयार नहीं है ?

श्री चरणसिंह—

लोकल बाडीज के वेतन के संबंध में वेतन समिति की मांग बहुत दिन से चल रही है। अगर वेतन समिति मुकर्रर की गई तब ही सरकार की जिम्मेदारी आयेगी। इस वक्त तो स्थिति यही है कि अगर वह अपनी आर्थिक स्थिति इस काबिल समझें तो महंगाई भत्ता आदि बढ़ावें लेकिन इस समय गवर्नमेंट इस तरह का कोई कमिटमेंट करने को तैयार नहीं है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि किन्हीं नगरपालिकाओं ने उनको लिखा है कि उनकी आर्थिक स्थिति भत्ता देने के योग्य नहीं है ? यदि हां, तो किन-किन ने लिखा है?

श्री चरणसिंह—

अभी पिछली २४ तारीख को तो आदेश गये हैं, अभी किसी ने नहीं लिखा है ।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी—

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि इलाहाबाद महापालिका की ओर से यह प्रस्ताव हुआ था कि वहां के कर्मचारियों को १० रुपया अतिरिक्त भत्ता मिले लेकिन वहां के उस समय के मुख्य नगर अधिकारी ने सूचित किया कि वहां की महापालिका की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है इसलिये वह नहीं दिया जा सकता ? तो मैं जानना चाहती हूं कि क्या केवल मौखिक सहानुभूति में ही यह जी०ओ० निकाला गया है या वास्तव में सरकार उनकी मदद करना चाहती है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

क्या वह सरकार के खिलाफ प्रिविलेज का नोटिस दे रही हैं ?

श्री उग्रसेन —

अगर कोई वेतन समिति बैठ गई तो देखा जायगा, यह प्रश्न नहीं है । राज्य सरकार ने यह आदेश इसलिये निकाले कि महंगाई के आंकड़े अब ७०० से ऊपर पहुंच गये हैं । तो क्या सरकार इस महंगाई को देखते हुए इन स्थानीय कर्मचारियों को कोई सहायता देगी ?

श्री चरणसिंह—

सरकार एक पाई नहीं देगी ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३०(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

गौरीबाजार तथा बैतालपुर क्षेत्रों में गन्ने के दामों में कटौती का विरोध

*१—श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिला की सभी गन्ना समितियों को गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश ने, परिपत्र जारी करके गन्ने के दाम में से ५ पैसा से १५ पैसा तक सुरक्षा के नाम पर अवैधानिक कटौती करा रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

समाज कल्याण मंत्री (डाक्टर सीताराम)—

गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश, ने गन्ना समितियों को सुरक्षा कोष के लिये कटौती करने का कोई आदेश नहीं भेजा था बल्कि जिला गन्ना अधिकारियों को संबोधित पत्र में गन्ना समितियों के माध्यम से गन्ना उत्पादकों से उक्त कोष में स्वेच्छानुसार धन देने की अपील की थी ।

*२—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस कटौती आदि को लेकर क्या उक्त जिले में गन्ना किसानों ने हड़ताल कर दिया था जिससे गौरीबाजार, कप्तानगंज, देवरिया, बैतालपुर छड़डा की मिलें पूर्ण रूप से तीन दिन तक तथा शेष मिलें और कांटे भी प्रभावित रहे ?

डाक्टर सीताराम—

केवल दो मिलों, गौरी बाजार और बैतालपुर में गन्ना किसानों ने एक दिन पूरे और दो दिन कुछ घंटों के लिये हड़ताल की थी । अन्य मिलें और उनके कांटे इससे प्रभावित नहीं हुये ।

*३--श्री चन्द्रबली सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आज भी इस कटौती को लेकर तनातनी बनी है ? यदि हां, तो इस अवैधानिक कटौती को रोकने और कटे धन को वापस करने का सरकार विचार कर रही है ?

डाक्टर सीताराम--

गौरीबाजार एवं बैतालपुर क्षेत्रों में इस कटौती को लेकर कुछ विवाद खड़ा हुआ था। जिला मजिस्ट्रेट, देवरिया ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए समितियों के संचालक मंडल को पुनः विचार करने के लिये लिखा है। इस समय स्थिति संतोषजनक है।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना आयुक्त को संबोधित परिपत्र के कारण दोनों बैतालपुर और गौरीबाजार की कितनी-कितनी समितियों ने प्रस्ताव पास कर के सुरक्षा फंड की कटौती के लिये लिखा था ?

डाक्टर सीताराम--

२५ में से २४ ने।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना समितियों का क्या अर्थ है और संचालक मंडल का क्या अर्थ है ?

डाक्टर सीताराम--

गन्ना समिति माने केन यूनियन्स और जो उन के द्वारा चुने ये डायरेक्टर हैं वह संचालक मंडल हुये।

श्री उग्रसेन--

क्या मंत्री जी को मालूम है कि जिलाधीश देवरिया ने गन्ना अधिकारी, देवरिया को अपने यहां बुलाकर और केन कमिश्नर के कहने से चिट्ठी लिखी और संचालक मंडल को सहायता से प्रस्ताव पास कराया और तब यह कटौती हुई ?

डाक्टर सीताराम--

यह केन यूनियन्स आटोनामस बाडी हैं, उन पर किसी का दबाव या प्रेशर नहीं हो सकता, कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, कटौती स्वेच्छा से हुई है। जिलाधीश और डी०सी०ओ० को इसकी जानकारी नहीं है।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--

क्या यह सही है कि केन कमिश्नर का पत्र सूबे की सभी केन समितियों को पहुंचा था और सब जगह उसका विरोध हुआ और कुछ लोगों ने हाई कोर्ट में भी उसकी मुखालफत की है ?

डाक्टर सीताराम--

सब जगह इसका विरोध हुआ, इसको मैं सही नहीं कह सकता। पत्र तो हर जगह गया है लेकिन विरोध की बात सत्य नहीं है। गौरीबाजार के बारे में मैं स्पष्ट कहूंगा कि केन कमिश्नर का पत्र जाने के पहले ही वहां के संचालक मंडल ने एक प्रस्ताव पारित किया था और कहा था कि ५ पैसा फी क्विंटल कटौती की जाय। केन कमिश्नर का पत्र जिलाधीश के द्वारा १२ अक्टूबर, सन् ६५ को गया है जब कि गौरीबाजार संचालक मंडल ने प्रस्ताव १० अक्टूबर को ही पारित कर दिया था।

श्री बांके लाल—

क्या मंत्री जी को मालूम है कि किसी नियम के अन्तर्गत संचालक मंडल गन्ना किसानों का पैसा नहीं काट सकता जब तक कि उनकी मरजी नहीं ? तो क्या मंत्री बतायेंगे कि प्राइमरी समितियों ने कटौती का प्रस्ताव पारित किया था या नहीं ?

डाक्टर सीताराम—

जनरल बाडी में हमेशा हर प्रस्ताव संचालक मंडल पारित करके कार्य करता है लेकिन प्रत्येक प्रस्ताव जो कि रुपये पैसे से संबंध रखता है वह जनरल बाडी के सामने जाता है। इस तरह से देवरिया में २५ में से २४ ने प्रस्ताव पास किये हैं। एक प्रस्ताव जनरल बाडी में पास हुआ। गौरी बाजार वाले भी जनरल बाडी के सामने लायेंगे और उन्हें पूरा अधिकार है कि उस प्रस्ताव को पारित करके, कार्य करें।

श्री चन्दन सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या माननीय मंत्री जी ऐसा भी करने को तैयार हैं कि जहां पर बोर्ड आफ डायरेक्टर्स के रेजोल्यूशन पर कटौती हो रही है अगर वहां पर जनरल बाडी कटौती का प्रस्ताव करे तो कटौती हो, अन्यथा उसे बन्द किया जाय ?

डाक्टर सीताराम—

जनरल बाडी की मीटिंग हमेशा बैलेंश शीट और ट्रायल बैलेंस के समय जून या जुलाई में होती है लेकिन चूंकि यह एमरजेंसी का समय था, उस वक्त यह कटौती कर दी। फिर जनरल बाडी में लाकर इस प्रस्ताव को पारित करा लिया जायगा।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

गन्ना यूनियन के आम नियमों में यह लिखा हुआ है कि न तो जनरल बाडी और न गन्ना समिति के प्रस्ताव पर कटौती हो सकती है। प्राइमरी सोसाइटी के लोग जब प्रस्ताव करेंगे तब कटौती होगी। तो मैं जानना चाहता हूं कि गन्ना समिति के प्रस्ताव पर यह कटौती किस प्रकार की गयी है ?

डाक्टर सीताराम—

जनरल बाडी जो है वह सुपीरियर है। प्राइमरी समिति सुपीरियर नहीं है। प्राइमरी समिति में १० से ५० पर एक डेलीगेट होता है और ५० से १०० तक पर २ डेलीगेट होते हैं और १०० से....

श्री अध्यक्ष—

वह छोड़िये।

श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की यह पालिसी रही है कि सुरक्षा कोष में धन एकत्रित किया जाय ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि यह "जन बाडी" क्या है ?

डाक्टर सीताराम—

मेरा मतलब जनरल बाडी से है। यह वर्ष में एक बार होती है।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले की कितनी समरल वार्डों ने प्रस्ताव पास किये हैं और क्या उनमें गौरीबाजार और बसंतपुर खड्डा भी शामिल हैं ?

डाक्टर सीताराम—

७ ने पास किया है। इन दो में नहीं हुआ है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

मुरादाबाद में स्वतन्त्रता दिवस पर राष्ट्रीय झंडा न फहराने पर आपत्ति

*१—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री को यह मालूम है कि दिनांक १५ अगस्त, १९६५ को मुरादाबाद में जो योमे आजादी का जुलूस निकला तो जुलूस में किसी पार्टी विशेष का ही झंडा था और टाउन हाल में जब मंत्री महोदय ने झंडा फहराने की रसम अदा की तो राष्ट्रीय झंडे के बजाय कांग्रेस पार्टी का ही झंडा फहराया गया ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया ?

गृह उप मंत्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त)—

जी नहीं। टाउन हाल की इमारत पर १५ अगस्त, १९६५ को प्रातःकाल से लोग ही राष्ट्रीय झंडा लगा हुआ था। टाउन हाल के मैदान में कांग्रेस का झंडा १९३० की स्वतंत्रता की लड़ाई के शहीदों की यादगार में १९४७ से बराबर लगा रहता है और उस दिन भी वह वहीं पर लगा हुआ था।

*२—श्री रियासत हुसैन—

क्या मुख्य मंत्री को यह मालूम है कि उस उत्सव में भाग लेने के लिये सभी दलों के लोग और सरकारी कर्मचारी भी गये थे और कुछ लोगों ने कांग्रेस का झंडा फहराने जाने पर एतराज भी किया, परन्तु फिर भी राष्ट्रीय झंडा नहीं फहराया गया ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

जी नहीं।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, कल जो मुझे जवाब मिला वह यह है और आज सुबह जो जवाब मिला वह यह है। आज जो सुबह जवाब मिला है उसे पढ़ कर सुनाता हूं। माननीय मंत्री जी ने 'जी नहीं' और 'जी हां' में मेरे सवाल का जवाब पूरा कर दिया।

आज के जवाब से मंत्री जी ने पूरे सवाल के जवाब का रंग बदला। यह भी मैं जानता हूं कि किन हालात में वह बदल गया है वह मैं सदन की मेज पर नहीं रखूंगा।

जो आज उन्होंने जवाब दिया है उस पर सवाल पूछ रहा हूं। तो क्या मंत्री जी बतायेंगे मेरा जो निश्चित सवाल था वह यह है कि १५ तारीख को जो इंडिपेंडेंस डे को तमाम जिले में झंडा फहराया जाने की रसम अदा हुई उस दिन झंडा फहराया गया या नहीं ? इसका कहीं जिक्र मंत्री जी ने नहीं किया। मेरा सवाल है झंडा फहराया गया और वह झंडा एक पार्टी विशेष का फहराया गया, नेशनल फ्लैग नहीं फहराया गया इसका क्या जवाब है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

मैं मजबूर हूं, सवाल जरा आपके सामने पढ़ दूं। "क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि दिनांक १६ अगस्त, १९६५ को मुरादाबाद में जो योमे आजादी का जुलूस निकला उस जुलूस में किसी पार्टी विशेष का ही झंडा था और टाउन हाल में जब मंत्री महोदय ने झंडा फहराने की रसम अदा की तो राष्ट्रीय झंडे के बजाय कांग्रेस पार्टी का ही झंडा फहराया गया? यदि हां तो ऐसा क्यों किया गया ?

उत्तर इसका दिया "जी नहीं"।

श्री रियासत हुसैन---

सवाल के पहले भाग का जो उस दिन जुलूस निकला उस में किसी पार्टी का विशेष झंडा था, उसका जवाब दिया "जी नहीं"।

श्री अध्यक्ष--

पार्टी विशेष का झंडा जुलूस में था या नहीं नहीं, यह है। आप का सवाल तो यह है कि राष्ट्रीय झंडे के बजाय कांग्रेस पार्टी का ही झंडा फहराया गया। तो उस को वह कहते हैं 'जी नहीं,

श्री रियासत हुसैन---

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि उस दिन वहां झंडा फहराने की रसम हुई या नहीं हुई और अगर हुई तो कौन सा झंडा फहराया गया जब कि वहां कांग्रेस का ही झंडा लगा हुआ था जैसा मंत्री जी ने स्वीकार किया ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

थोड़ा सा माननीय सदस्य को भ्रम है। आपने प्रश्न किया है टाउन हाल पर कौनसा झंडा लगा था। जुलूस में कोई झंडा किसी पार्टी का नहीं था। टाउन हाल के सामने मैदान है जहां शहीदों की यादगार में १५ अगस्त, १९४७ से झंडा फहराया जाता है, सुबह प्रभात फेरी हुई वहां झंडा कांग्रेस का था। आप का प्रश्न यह है कि जुलूस में किसी पार्टी विशेष का झंडा था। मैंने कहा नहीं, टाउन हाल में राष्ट्रीय झंडा था या दूसरी पार्टी का झंडा फहराया था ? मैंने कहा नहीं फहराया था।

श्री रियासत हुसैन---

श्रीमन्, मंत्री जी ने फिर कनफ्यूजन पैदा कर दिया। मेरा निश्चित सवाल यह है कि जुलूस निकला। जुलूस के बाद में झंडा फहराने की रसम अदा हुई। टाउन हाल के मैदान में इमारत का कोई सवाल नहीं है, वहां तो नैशनल फ्लैग है। टाउन हाल की झंडा फहराने की रसम अदा हुई। मेरा निश्चित सवाल यह है कि जब मंत्री जी ने कहा कि वहां पर शहीदों की यादगार में कांग्रेस का झंडा लगा हुआ है। इस के माने यह है कि वहां राष्ट्रीय झंडा नहीं है मैदान में। तो उस दिन फहराने की रसम अदा हुई या नहीं ? और अगर हुई तो कौन-सा झंडा फहराया गया ? यह मेरा निश्चित सवाल है।

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

मैंने बार-बार यह कहा कि उस मैदान में कांग्रेस का झंडा प्रभात फेरी के बाद सवेरे फहराया गया और अगस्त, सन् ४२ से ऐसा होता आया है।

श्री अध्यक्ष---

माननीय सदस्य केवल इतना पूछते हैं कि राष्ट्रीय ध्वजा फहराया गया या नहीं।

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

टाउन हाल पर राष्ट्रीय झंडा ही फहराया गया था।

श्री रियासत हुसैन--

माननीय मंत्री जी ने तसलीम कर लिया है कि मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराया गया। अब मेरा सवाल यह है कि १५ अगस्ततारीख को इंडिपेंडेंस डे की तरह से मनाया जाता है, शहीदों की याददाश्त की तरह नहीं मनाया जाता है और १५ तारीख को आल पार्टी प्रोग्राम की सूचना दी जाती है और सबको मुरादाबाद में दी भी गयी। मेरा सवाल यह है कि जब सारा कार्यक्रम वहां हुआ तो वहां पर नैशनल फ्लैग न फहराने का मतलब क्या था ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

मैंने बार-बार स्पष्ट करने की कोशिश की। आपका कहना यह है कि १५ अगस्त को संयुक्त जलसा होता है, राष्ट्रीय पर्व होता है। उसका जुलूस निकला। उसमें कोई झंडा नहीं था। जब सभा हुई तो झंडा नहीं फहराया गया। १५ अगस्त को सबेरे प्रभात फेरी हुई ; उसमें कांग्रेस का झंडा फहराया गया जैसा कि हमेशा फहराया जाता था।

श्री रियासत हुसैन--

क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि उस दिन सारे प्रोग्राम में गांधी आश्रम के कार्यकर्त्ता खास तौर से संकटा भाई, सेक्रेटरी गांधी आश्रम सम्मिलित होने के लिए आये थे उन्होंने झंडा फहराने के बारे में आबजेक्शन किया और वह जुलूस छोड़ कर चले गए ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

जब कांग्रेस का झंडा फहराया ही नहीं गया तो ऐतराज का क्या सवाल पैदा होता है ?

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

१५ अगस्त शहीद दिवस है और वह केवल कांग्रेस के लिए नहीं सारे देश के लिए शहीद दिवस है। १५ अगस्त का दिन राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाए जाने की प्रथा है, तो शहीद स्मारक पर राष्ट्रीय ध्वज क्यों नहीं फहराया गया ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

मैंने कहा कि सन् ४७ से वहां कांग्रेस का ही झंडा लग रहा है और उस दिन भी उन्होंने वही लगाया।

आजमगढ़ जिले में हरिजन समितियों को अनुदान

*३--श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के किन-किन विकास खंडों में हरिजन समितियों के सहायतार्थ गत वर्षों में तीन-तीन हजार रुपये के अनुदान जिला हरिजन विभाग की ओर से दिया गया है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*४--श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त अनुदान का भुगतान किन-किन विकास खंडों द्वारा नहीं किया गया है ? और क्यों ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

अध्यक्ष महोदय मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि सवाल सरकार के पास आपके कार्यालय से १३ जनवरी, १९६६ को भेजा गया था और करीब दो महीने हो रहे हैं। नियम २९(२) आप देखें। उसमें स्पष्ट लिखा है "यदि सदस्य द्वारा अपेक्षित सूचना उपलब्ध न हो"। अब जो यह सवाल का जवाब दिया जाता है और सूचना हमारे मन के अनुरूप नहीं होती है तो आप उन्हें समय देते। इस नियमावली के नियम २ का साफ अर्थ यही है और इस प्रकार का उत्तर जब दो महीने के बाद आता है तो इसमें स्पष्ट बात यह होती है कि सरकार की यह नीति है कि जो सही बात जनता के प्रतिनिधि यहां जानना चाहते हैं उसको घपले में डाल देना चाहती है। इसलिए आपकी ओर से ताकीद होनी चाहिए....

श्री अध्यक्ष—

क्यों एकत्रित नहीं की गयी है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न १३ जनवरी, १९६६ को जरूर आया लेकिन एजेंडे में देखने का कष्ट करें कि माननीय सदस्य द्वारा तीन-तीन हजार के अनुदानों के बारे में गत वर्ष के लिए पूछा गया था। एक जिले में लगभग २८ ब्लाक हैं और क्षेत्र समितियां हैं और उनमें किस-किस को अनुदान गत वर्ष में, न मालूम १५ वर्षों में बंटा। इसके संबंध में किस तरह से सूचना मंगाई जा सकती है ?

श्री अध्यक्ष—

अब इसमें यह है कि सहायतार्थ गत वर्ष तीन-तीन हजार के अनुदान हरिजन विभाग की ओर से दिए गए हैं तो हरिजन विभाग के संबंध में आप आगामी सप्ताह तक सूचना मंगा लीजिए।

[३ मार्च, १९६६ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

सीनियर पब्लिक प्रोसीक्यूटर

*१—श्री रियासत हुसैन—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बरेली में कौन-कौन से सीनियर पब्लिक प्रासीक्यूटर हैं, कब से हैं और इस दौरान में कितने मुकद्दमें प्रासीक्यूट किये और उनका क्या नतीजा रहा ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

जिला बरेली में श्री सतीश चन्द्र सीनियर पब्लिक प्रासीक्यूटर के पद पर दिनांक जून १५, १९६३, से तैनात हैं। इन्होंने सन् १९६३ में कोई भी केस प्रासीक्यूट नहीं किया। सन् १९६४ में एक केस अपराध धारा ३२५ भारतीय दंड विधान, थाना बहेड़ी, एक सिपाही के विरुद्ध प्रासीक्यूट किया, जो न्यायालय से छूट गया। सन् १९६५ में एक अपराध ३/४ गैंबलिंग ऐक्ट, थाना बारादरी, जिला बरेली, का केस किया जो न्यायालय में विचाराधीन है। चार केस अपराध १२५ डी० आई० आर० के अन्तर्गत जो कि खाद्य कंट्रोल अधिनियम १९६३ के उल्लंघन करने के संबंध में थे, प्रासीक्यूट किये। सब अपराधी दोषी सिद्ध हुए।

*२—श्री रियासत हुसैन—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के किन-किन जिले में सीनियर पब्लिक प्रासीक्यूटर नहीं हैं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

इस समय देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मथुरा, बुलन्दशहर, मैनपुरी, एटा, इटावा, फतेहपुर, बांदा, हमीरपुर, झांसी, जालौन, बिजनौर, बदायूं, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, पीलीभीत, रामपुर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी, प्रतापगढ़, खीरी, आजमगढ़, बलिया, मिर्जापुर, गाजीपुर, जौनपुर, गोरखपुर, बहराइच, देवरिया, गोंडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, नैनीताल, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली, पौड़ी-गढ़वाल, टेहरी-गढ़वाल जिलों में सीनियर पब्लिक प्रासीक्यूटर नहीं हैं ।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, मंत्री जी ने जो लिस्ट बताई उसमें ५४ जिलों में से ४४ जिलों में सीनियर पब्लिक प्रासीक्यूटर नहीं हैं । तो क्या मंत्री बतायेंगे कि जिन बाकी जगहों पर यह हैं वहां के रिकार्ड से जाहिर होता है कि ढाई साल में केवल ६ मुकदमें उन्होंने किए और फिर संगीन धारा का मुकदमा छूट गया तो ऐसी कौनसी विशेष बात मंत्री जी के सामने आयी कि जो इन जिलों में इन पोस्ट्स को क्रिएट किया गया जबकि पब्लिक प्रासीक्यूटर्स सब जगह मौजूद हैं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

श्रीमन्, सीनियर पब्लिक प्रासीक्यूटर्स इसलिए नहीं रखे गये हैं कि उन्हें मुकदमे करने हैं । माननीय सदस्य का प्रश्न यह था कि उन्होंने कितने मुकदमे किए इसलिए उसकी गिनती देनी पड़ी । अगर आप आज्ञा दें तो बता दूं कि पिछले तीन वर्षों में इस ब्रांच में १,५०० मुकदमों का चालान भेजा । इस संस्था में धारा १०७ जाब्ता फौजदारी के मुकदमे शामिल नहीं हैं । २,१०० में एक्वीटिल रिपोर्ट बनाई । सीनियर पब्लिक प्रासीक्यूटर्स क्रिमिनल ब्रांच के प्रासीक्यूटर्स का निरीक्षण करते हैं, काम देखते हैं और उनका उत्तरदायित्व होता है । पुलिस के मुकदमे ठीक तरह से चलें, इसके लिए भी इनका उत्तरदायित्व होता है । ये मालखाने का निरीक्षण भी करते हैं । अतएव इनकी उपयुक्तता इस बात से देखें कि इन्होंने कितने मुकदमे किए, मुनासिब नहीं होगा ।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि सीनियर पब्लिक प्रासीक्यूटर्स जो रखे जाते हैं उनकी नियुक्ति का आधार क्या है और जिलें में कितने केसेज होते हैं तो उनकी नियुक्ति होती है ?

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

श्रीमन्, अपने रिश्तेदारों को रखते हैं ।

श्री अध्यक्ष—

जो भी आप कह रहे हैं, यह अनुचित है और मैं समझता हूं कि सदन की प्रतिष्ठा के विरुद्ध है ।

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

डी०आई० एस० पी० के रैंक के होते हैं ।

श्री अध्यक्ष—

वह पूछते हैं कि कौनसे ऐसे तथ्य हैं जिनको देख कर आप सीनियर प्रासीक्यूटिंग इंस्पपेक्टर मुकर्रर करते हैं । कैसे छांटते हैं जिलों को कि यहां पर आवश्यकता है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

शुरू में सीनियर प्रासीक्यूटिंग इंसपेक्टर नहीं थे लेकन जब देखा कि क्रिमिनल काम इफर करता है तो हम ने कर दिया । अगर ठीक-ठीक काम होगा तो आगे बढ़ायेंगे ।

श्री काशीनाथ मिश्र---

जब मैं कहता हूं तब आप कह देते हैं कि अनुशासन से काम लेना चाहिए। किन-किन लोगों की नियुक्ति हुई है इसका जवाब दिलवा दें तो पता चल जायगा कि रिश्तेदार हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष---

मेरा निवेदन केवल यह है कि प्रश्न करने को मैं रोकता नहीं, लेकिन बीच-बीच में किसी प्रकार की टीका करना ठीक नहीं मालूम होता है। मैं कह रहा था कि बीच-बीच में आप टीका न करें।

राष्ट्रीय बचत योजनान्तर्गत कैलेण्डरों की छपाई

*३---श्री रियासत हुसैन---

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतलायेंगे कि १९६५ में राष्ट्रीय बचत योजना के अन्तर्गत कितने रुपये के कैलेंडर बांटने के लिए कब छापे गए थे और वे किस प्रेस में छपवाये गए ? इन कैलेंडरों के छपवाने के लिए किन-किन प्रेसों से टेंडर लिए गए ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

राष्ट्रीय बचत योजना के अन्तर्गत ९९,९९९ रु० ५ पै० के कैलेंडर मार्च, ६५ में छापे गए थे। श्रीमन्त जी० डब्ल्यू० लारी एण्ड कंपनी, लखनऊ में वे छपवाये गए। निम्न ४ प्रेसों से टेंडर मांगे गए परन्तु प्रथम तीन ही ने टेंडर दिए।

(१) बृजवासी फाइन आर्ट आफसेट वर्क्स, मथुरा।
(२) जी० डब्लू० लारी एण्ड कंपनी, लखनऊ।
(३) मेहरा आफसेट प्रेस, आगरा।
(४) मुद्रण कला मंदिर, लखनऊ।

श्री रियासत हुसैन---

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि जब लगभग एक लाख का काम था तो केवल चार से क्यों टेंडर मांगे गए, अखबारों में नोटिफिकेशन करके टेंडर क्यों नहीं मांगे गए और चारों के क्या-क्या रेट हैं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

श्रीमन्, यह स्पेशलाइज्ड टेक्निकल काम था। इस काम के करने वाले उत्तर प्रदेश में बहुत थोड़े हैं। इसलिए जो आदमी इस काम को करते थे केवल उन्हीं से टेंडर लिए गए। लारी ने सवा रुपया फी कलेंडर मांगा। मेहरा आर्टस आफसेट प्रेस ने ए० क्लास का सवा रुपया और बी० क्लास का एक रुपया मांगा। सेल्स टैक्स दोनों ने अलग मांगा। ब्रजवासी फाइन आर्टस ने ७५ पैसे मांगे। लेकिन कागज घटिया दिया, कागज का नमूना नहीं दिया, उन्होंने सिल्क कार्ड नहीं लगाया। दूसरे जो चित्र छापे थे वह ट्रांसपैरेंसी मेथड से नहीं थे सादे मेथड से थे जिनको घटिया समझा गया। गवर्नमेंट प्रेस के सुपरिन्टेंडेंट ने लारी का सबसे अच्छा काम बताया और दिया।

श्री रियासत हुसैन---

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि मेहरा प्रेस, आगरा ने और बृजवासी प्रेस, मथुरा ने आपको यह आफर किया था कि हम सेल्स टैक्स भी नहीं लेंगे और पैकिंग और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज भी नहीं लेंगे। इसके बावजूद भी आपने लारी कं० को कांन्ट्रैक्ट दिया, जिन्होंने सेल्स भी लिया और दूसरे भी खर्च चार्ज किए, तो इसका क्या कारण है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

मैंने पहले ही निवेदन किया कि कैलेंडर छापना एक खास टेक्निकल काम है जो हर प्रेस नहीं कर सकता है उसके लिए कुछ खास तरीके हैं, वह तरीका बुजवासी प्रेस के पास नहीं था, इसलिए उसको नहीं दिया गया है। यह सही है कि मेहरा ने कहा था कि हम सेल्स टैक्स नहीं लेंगे, पैकिंग भी बक्से में फ्री करके देंगे।

एस० डी० एम०, सलेमपुर के विरुद्ध शिकायत

*४—श्री उग्रसेन—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि एस० डी० एम० सलेमपुर (देवरिया) जून १९६३ के प्रथम सप्ताह में क्षेत्रीय दौरे में बरहज गए थे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी नहीं।

*५—श्री उग्रसेन—

क्या सरकार के पास शिकायत आई कि उन्होंने वहां पर शराब के नशे में लोगों के साथ अभद्र व्यवहार किया ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध कौन-सी कार्यवाही की गई ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

समाजवादी कार्यकर्ता जयशंकर मिश्र की देवरिया कोतवाली में रिपोर्ट

*६—श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि नवम्बर, १९६५ के अंतिम सप्ताह में प्रख्यात समाजवादी नेता डा० राम मनोहर लोहिया की गोरखपुर और देवरिया की सभाओं में छुरे से अनेक समाजवादी कार्यकर्त्ताओं को घायल किया गया ?

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—

सभाओं में तो नहीं किन्तु सभा विसर्जन के बाद २७ नवम्बर, १९६५ को कोतवाली देवरिया पर जयशंकर मिश्र नामक एक व्यक्ति ने ७ आदमियों के विरुद्ध एक नामजद रिपोर्ट लिखाई कि कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया, एक ने उसे चाकू मारा और बाकी गाली गुफ्ता देते रहे। इसके अतिरिक्त चाकू से घायल किए जाने की और कोई घटना नहीं घटी।

*७—श्री झारखण्डेराय—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसने इस विषय में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

नामजद आदमियों का चालान कर दिया गया है और अभियोग न्यायालय के विचाराधीन है।

हाथरस में पीतल में मिलावट

*८—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री को वह ज्ञात है कि हाथरस नगर में एक्साइज इंसपेक्टर की देख-रेख में पीतल के स्क्रैप के साथ ही लोहे का चूरा गला कर उसकी सिल्ली तैयार की जाती है और

नोट—तारांकित प्रश्न ३ के उपरांत प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

उसके बने बर्तनों पर पानी पड़ते ही काले धब्बे पड़ जाते हैं और उस लोहे मिली पीतल को शुद्ध पीतल के भाव पर ही बेंचा जाता है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी–

जी नहीं। उद्योग विभाग को इस संबंध में कुछ भी जानकारी नहीं है।

*९—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—

क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करने जा रही है कि पीतल तांबे आदि के बर्तनों पर क्वालिटी मार्किंग की योजना लागू हो सके ? यदि नहीं, तो इस प्रकार की मिलावट को रोकने के लिये सरकार क्या करने जा रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

इस संबंध में विस्तृत जांच की जा रही है, जिसके उपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। यदि आवश्यक समझा गया तो पीतल तांबे आदि के बर्तनों पर गुण चिन्हांकन योजना लागू करने पर विचार किया जावेगा।

लधुआई ग्राम में हरिजन कूप

*१०—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खन्ड फतेहपुर मडाव, जिला आजमगढ़ के ग्राम लधुआई में हरिजन विभाग की सहायता से कोई पेय कूप का निर्माण सन १९६० में कराया गया था ? यदि हां, तो उसके लिये कितना अनुदान देने की स्वीकृति हुई थी और कितना दिया गया ? शेष अब तक न देने का कारण क्या है ?

डाक्टर सीताराम—

जी हां। ७५० रु० की धनराशि स्वीकृत हुई थी जिसमें से ५०० रु० का भुगतान किया जा चुका है। शेष रकम का भुगतान धनाभाव के कारण नहीं किया जा सका।

जिलाधीश फतेहपुर

*११—श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

क्या वह सत्य है कि फतेहपुर के वर्तमान जिलाधीश को स्थानान्तरित करने का आदेश दिये जाने के बाद पुनः स्थगित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

फतेहपुर के जिला मैजिस्ट्रेट के तबादले का कोई आदेश जारी नहीं किया गया। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*१२—श्री रामचन्द्र विकल—

[५वें बुधवार के लिये प्रश्न संख्या ७६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

विधान भवन के लानों में तरकारी की उपज

*१३—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विधान भवन के सामने तथा बगल के लान में तरकारियों के बोने पर (१९६५–६६) में कितना खर्च किया गया तथा उनके बेचने पर क्या लाभ हुआ और वह लान व तरकारियां कितने कितने रकबे में हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

चालू वित्तीय वर्ष में विधान भवन के सामने के लानों में कोई तरकारी नहीं बोई गई है। तरकारियां केवल विधान भवन के सामने के बगल के दो छोटे लानों में ही बोई गई हैं। इन तरकारियों के बोने में अभी तक केवल १८) रुपये (अट्ठारह रुपये) खर्च हुए हैं और जो तरकारियां तैयार हुई हैं उनके बेचने से अभी तक रु० ७८-६३ पैसे मिल हैं। अभी कुछ तरकारी बेचने को बाकी हैं।

जिन दो लानों में तरकारियां बोई गई हैं उनका रकबा लगभग ६,९०० वर्ग फीट है।

*१४—श्री उमाशंकर—

लान में उक्त वित्तीय वर्ष (१९६५-६६) में सजाने के लिये कितने रुपये के फूल मंगाये गये? क्या सरकार उसका एक विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

विधान भवन के सामने के लानों को सजाने के लिये चालू वित्तीय वर्ष में कोई फूल नहीं मंगाये गये हैं।

सचिवालय में कथित छटनी

*१५—श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी) तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश सरकारी सचिवालय से किस श्रेणी के और कितने-कितने सरकारी कर्मचारियों की छटनी करने का सरकार विचार कर रही है? छटनी का कारण क्या है तथा जो लोग छटनी द्वारा पृथक किये जायेंगे उनको कार्य में लगाने के लिये सरकार की क्या योजना है? उनका सचिवालय का कार्य-काल आयन्दा उनकी सीनियारिटी के लिये गिना जायेगा या नहीं? क्या सरकार पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

उत्तर प्रदेश सचिवालय के कर्मचारियों की छटनी करने का अभी कोई विचार नहीं है। सचिवालय के सहायकों के कार्य परिमाण में वृद्धि किये जाने के कारण अराजपत्रित कर्मचारियों के पद तथा मितव्ययिता हेतु कर्मचारियों के कुछ पद फालतू पाये गये हैं। फालतू कर्मचारियों को रिटायरमेन्ट तथा चौथी योजना के संबंध में बनने वाले पदों पर सचिवालय में ही या अन्यत्र खपाने का यथासंभव प्रयत्न किया जा रहा है। इससे सम्बन्धित मामले, जैसे सीनियारिटी इत्यादि, अभी विचाराधीन हैं।

*१६—श्री रामकिशोर त्रिपाठी तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां—

[विस्तृत होने के कारण पुनर्विचार पर हटा दिया गया।]

कन्धई हनुमानगंज थाने में कत्ल व मारपीट की रिपोर्ट

*१७—श्री रामप्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला प्रतापगढ़ में कन्धई हनुमानगंज थाना अन्तर्गत ग्राम अतरसन में नवम्बर, १९६५ के अन्तिम सप्ताह में एक नवयुवक फौजी का कत्ल कर दिया गया? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई?

श्री हरगोविन्दसिंह—

२८/२९ नवम्बर, १९६५ की रात्रि में थाना कन्धई प्रतापगढ़ के अन्तर्गत बमनौटी मजरा अतरसन में फौजी व्यक्ति का नहीं बल्कि कानपुर के किसी मिल में काम करने वाले एक व्यक्ति के कत्ल किये जाने की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गयी थी। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर एक कत्ल का मुकदमा कायम हुआ और प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामांकित ३ अभियुक्तों का चालान धारा ३०२ भारतीय दन्ड विधान के अन्तर्गत किया गया। मुकदमा न्यायालय के विचाराधीन है।

*१८—श्री रामप्रसाद देशमुख—

क्या गृह मंत्री जी प्रतापगढ़ में उपरोक्त थाने के ग्राम शोभीपुर में अक्तूबर-नवम्बर, १९६५ ई० में डाका पड़ने के संबंध में सी० आई० डी० विभाग द्वारा जांच कराकर उचित कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

ग्राम शोभीपुर, थाना कन्धई हनुमानगंज, जिला प्रतापगढ़ के अन्तर्गत अक्तूबर व नवम्बर १९६५ में डाका पड़ने की कोई रिपोर्ट थाने में अंकित नहीं कराई गई बल्कि खेत के झगड़े के संबंध में २९–३० अक्तूबर, ६५ की रात्रि में कुछ व्यक्तियों द्वारा घर पर आक्रमण करने व मारने पीटने की एक रिपोर्ट दूसरे दिन थाने पर दर्ज कराई गई थी। विवेचना के उपरान्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामांकित सभी अभियुक्तों का चालान धारा ३०७ भारतीय दन्ड विधान के अन्तर्गत न्यायालय को किया गया और मुकदमा न्यायालय के विचाराधीन है।

नौतनवां–ठूठा रोड के किनारे मिट्टी का तेल

*१९—श्री झारखण्डेराय—

क्या राज्य सरकार और जिलाधीश गोरखपुर को इस आशय की सूचना मिली है कि भारत,नैपाल सीमा के इस ओर नौतनवां से ८ मील दूर पूर्व दिशा में नौतनवां ठूठा रोड पर स्थित सेखुआना गांव में गत २ जनवरी को नलकूप की बोरिंग करते समय मिट्टी के तेल के भंडार होने के संकेत पाये गये हैं ? सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी नहीं, सरकार व जिलाधीश, गोरखपुर को ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है।

मथुरा जिले में सुरक्षा कोष में प्राप्ति

*२०—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मथुरा जिले से सुरक्षा कोष में ३ दिसम्बर, १९६५ तक कितना रुपया तथा अन्य सोना, चांदी आया तथा पृथक-पृथक किनके द्वारा कितना रुपया जमा किया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

मथुरा जिले में पाकिस्तानी आक्रमण के बाद से ७ दिसम्बर तक ३,७१,१३१.०६ रु० एकत्र किया गया। इसमें ३ दिसम्बर तक जमा हुआ धन शामिल है। पृथक-पृथक किसके द्वारा कितना-कितना रुपया दिया गया उसकी सूचना उपलब्ध नहीं है।

केन्द्रीय कारागार, फतेहपुर में बाल सुधार जूनियर हाई स्कूल

*२१—श्री भगवानदीन (जिला रायबरेली)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में १ जनवरी, १९६१ से १ जनवरी, १९६५ तक में बाल सुधार जूनियर हाई स्कूल की परीक्षा में प्रत्येक वर्ष कितने बन्दी बैठे और कितने सफल हुए ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

कोई नहीं। क्योंकि अपनी सजा की अवधि में वह जेल में पढ़ कर जूनियर हाई स्कूल की परीक्षा देने योग्य नहीं हो पाते थे।

*२२—श्री भगवानदीन—

क्या कारागार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़, के बाल सुधार जूनियर हाई स्कूल में १ जनवरी, १९६१ से ३१ मार्च, १९६३ तक कितने बन्दी कक्षा ५, ६, ७, ८ में शिक्षा पा रहे थे और उनका परीक्षाफल प्रत्येक वर्ष का क्या था ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १८३ पर)

*२३—श्री भगवानदीन—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ के बाल सुधार सर्किल में १ जनवरी, १९६१ से ३१ मार्च, १९६३ तक कितने बन्दी बालक बन्द थे और उसमें से कितने शिक्षा पा रहे थे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १८४ पर)

*२४—श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

[कई विभागों से संबंधित होने के कारण हटा दिया गया।]

लखनऊ जेल से बनवारी लाल बन्दी का भागना

*२५—श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा)—

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जिला जेल से तारीख १४ जून, १९६५ को हवालाती बनवारी लाल नामक आदमी जेल से भाग गया है ? यदि हां, तो उसमें किन-किन कर्मचारियों का हाथ था तथा उसमें क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां। इसमें चार कैदी नम्बरदार (कन्विक्ट ओवरसियर) दोषी पाये गए हैं। उनकी उपार्जित छूट जब्त कर ली गई है और उनको नम्बरदारी से हटा दिया गया है। एक जेल वार्डर के खिलाफ भी विभागीय कार्यवाही करने के आदेश दिए गए हैं।

सचिवालय में सचिव

*२६—श्री खेमचन्द (जिला आगरा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश सिविल सचिवालय में कितने सचिव हैं जो ५ साल से अधिक समय से एक ही विभाग में कार्य कर रहे हैं ? उनके नाम और विभाग क्या हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

कोई नहीं । प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

*२७—श्री खेमचन्द—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इन सचिवों के स्थानान्तरण न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

प्रश्न नहीं उठता ।

*२८—श्री खेमचन्द—

क्या सरकार निकट भविष्य में ऐसे सचिवों का, जिनका कार्यकाल एक ही विभाग में ५ साल से अधिक है स्थानान्तरण करेगी ? यदि हां, तो ऐसे स्थानान्तरण कब तक किये जायेंगे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

प्रश्न नहीं उठता ।

बांदा जिले में उद्योग बढ़ाने का सुझाव

*२९—श्री मतोला सिंह (जिला बांदा)—

क्या मुख्य मंत्री बांदा जिले में छोटे-छोटे उद्योग-धन्धे खोलने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी नहीं । सरकार स्वयं कहीं भी छोटे उद्योग नहीं खोलती ।

*३०—श्री मतोलासिंह—

क्या सरकार को जानकारी है कि बांदा जिले में खरिया मिट्टी व रंगीन मिट्टी पाई जाती है और पयाल जिससे दफ्ती सरलता से बनाई जा सकती है अधिक पाया जाता है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां ।

*३१—श्री मतोलासिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बांदा को सन् १९६५ में सरकार द्वारा कितने देशी कारतूस वास्ते वितरण भेजे गये और वह किस-किस अधिकारी द्वारा बांटे गये ?

श्री हरगोबिन्दसिंह—

बांदा जिले को सन् १९६५ में सरकार द्वारा कोई भी देशी कारतूस वास्ते वितरण नहीं भेजे गये अतः कारतूस किसी अधिकारी द्वारा वितरण करने का प्रश्न नहीं उठता ।

निजी पावर क्रशर पर से लाइसेन्स फीस हटाने की प्रार्थना

*३२—श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि पावर क्रशर चला कर केवल अपना ही पैदा किया हुआ गन्ना पेरने वाले किसान भी सरकार को क्रशर की लाइसेन्स फीस उतनी ही देते हैं जितनी कि वाणिज्य के आधार पर क्रशर चलाने वाले तथा बाहर से खरीद कर करोड़ों मन गन्ना पेरने वाले व्यापारी देते हैं ? क्या सरकार ऐसे आदेश देने की कृपा करेगी कि उन क्रशर मालिकों से कोई फीस न ली जाय, जो केवल निजी रूप से चलते हैं तथा उन्हें रिकार्ड आदि रखने के अन्य प्रतिबन्धों से मुक्त किया जाय ?

डाक्टर सीताराम—

जी हां, खांडसारी शुगर मैन्यूफैक्चरर्स लाइसेंसिंग आर्डर, १९६३ के अन्तर्गत राज्य में पावर क्रशर द्वारा खांडसारी शक्कर बनाने के लिये और उत्तर प्रदेश शुगरकेन परचेज टैक्स ऐक्ट, १९६१ के अन्तर्गत सुरक्षित क्षेत्रों में पावर क्रशर द्वारा गुड़ या राब बनाने के लिये चाहे अपना गन्ना या खरीदा हुआ गन्ना पेरा जाय, लाइसेन्स दिये जाने के लिये फीस ली जाती है। असुरक्षित क्षेत्रों में पावर क्रशर द्वारा गुड़ या राब बनाने के लिये चाहे अपना या खरीदा गन्ना पेरा जाय, लाइसेन्स नहीं लेना होता है अतएव लाइसेन्स फीस भी नहीं ली जाती। इसके अलावा सुरक्षित क्षेत्रों तथा मुक्त क्षेत्रों में भी पशुओं द्वारा ६ कोल्हू तक चलाने वाले व्यक्तियों को लाइसेन्स नहीं लेना होता है और उनसे लाइसेन्स फीस लेने का प्रश्न नहीं उठता। उत्तर प्रदेश शुगरकेन परचेज टैक्स ऐक्ट के अन्तर्गत सुरक्षित क्षेत्र में यूनिट के स्वामी को गन्ने की खरीद पर टैक्स देना होता है और उसे गन्ने की खरीद व उसकी पेराई का रिकार्ड नियमानुसार इस कारण रखना होता है कि यदि उसने अपना गन्ना पेरा हो तो उसे अपने पेरे गये गन्ने पर गन्ना क्रय-कर से मुक्त किया जा सके। अतएव रिकार्ड रखना यूनिट के स्वामी के हित में है।

जिला हरिजन कल्याण समितियां

*३३—श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला स्तर पर हरिजन व पिछड़ी जाति के अनुदान वितरण की प्रणाली लागू करने के लिये जिला हरिजन कल्याण कमेटियों का निर्माण कब तक हो जावेगा ?

डाक्टर सीताराम—

जिला स्तर पर जिला हरिजन कल्याण कमेटियों का पुनः निर्माण शासकीय आदेश संख्या ४७११/छब्बीस-९४३-१९६५, दिनांक ८ फरवरी, १९६६ द्वारा किया जा चुका है।

*३४-३५—श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—

[केन्द्रीय सरकार से संबंधित होने के कारण हटा दिये गये।]

कानपुर में बेना झाबर के निकट कथित गिरफ्तारी

*३६—श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार को यह ज्ञात है कि दिनांक ४ अगस्त, को कानपुर में बेना झाबर के पास स्थित पीने के पानी की टंकी के पास दो व्यक्ति ५ अगस्त, १९६५ को तथा उसी दिन दो व्यक्ति सी० ओ० डी० स्थित पानी की टंकी के पास सीढ़ियों पर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये जिनके पास से जहरीला पदार्थ मिला ? यदि हां, तो वे कौन लोग थे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

ऐसी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई ।

सीतापुर में दम्मू जी ऐंड ब्रादर्स के पास बन्दूक लाइसेन्स का जमा धन

*३७—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले के निवासियों ने ग्राम सुरक्षा योजना के अन्तर्गत स्थानीय पुलिस अधीक्षक की आज्ञा से १ जनवरी, १९६४ से ३१ दिसम्बर, १९६५ तक की अवधि में कितना रुपया बन्दूक प्राप्त करने हेतु श्री दम्मू जी ऐंड ब्रादर्स सीतापुर के यहां जमा किया ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

सीतापुर जिले के निवासियों ने ग्राम सुरक्षा हेतु इस अवधि में ७,६१,६०० रु० श्री दम्मू जी ऐन्ड ब्रदर्स, सीतापुर के यहां बन्दूकें प्राप्त करने के लिये स्वेच्छा से जमा किया था ।

*३८—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त योजना के अन्तर्गत उक्त व्यक्तियों में से कितने लोगों को उक्त अवधि में बन्दूक का लाइसेन्स मिला और लाइसेंस के आवेदकों का कितना रुपया कितने समय तक श्री दम्मू जी ऐन्ड ब्रदर्स के उपयोग में रहा ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

१,८९९ व्यक्तियों ने विभिन्न प्रकार की बन्दूकें खरीदने के लिये रुपया जमा किया था और उनमें से १५-१-६६ तक १०८७ लाइसेंन्स जारी किये गये । उपरोक्त धनराशि श्री दम्मू जी के खाते में ता० ४-१-६५ से ३-६-६५ तक रही और इसके बाद गन एकाउन्ट आफ दी मेम्बर्स आफ बी० डी० एस० में शेष धन स्थानान्तरण किया गया ।

*३९—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा—

जिस अवधि में श्री दम्मू जी ऐन्ड ब्रदर्स ने आवेदकों का रुपया अपने निजी खाते में जमा कर रखा क्या मन्त्री जी उस अवधि का ब्याज आवेदकों को दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

ऐसा ज्ञात हुआ है कि श्री दम्मू जी ऐन्ड ब्रदर्स ने जिस अवधि तक ग्राम सुरक्षा समितियों के सदस्यों का धन उनके निजी खाते में जमा किया गया था उस पर ब्याज देने की सहमति प्रगट की है । शासन द्वारा ब्याज दिलाये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

यू० पी० आई० सी० ए० को अनुदान

*४०—श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि (यू० पी० आई० सी० ए०) यूपिका को सन् १९६१ से आज तक कितना सरकारी अनुदान किस-किस हेतु दिया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

(क) ३५,९१,६२२ रु० ।

(ख) विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ. १८५-१८६ पर ।)

*४१—श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सहकारी कताई मिल, इटावा के शेयर पूंजी के रूप में कितना रुपया उत्तर प्रदेश सरकार का लगा है तथा उससे कितना लाभांश वित्तीय वर्ष १९६४–६५ में सरकार को प्राप्त हुआ है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

(क) ३८,३५,००० रु० ।

(ख) कुछ नहीं ।

*४२—श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या सरकार को ज्ञात है कि यूपिका (यू० पी० आई० सी० ए०) के लाभ हानि के खाते (Balance Sheet) क्यों नहीं तैयार किये गये ? क्या सरकार ऐसे अधिकारियों को, जो इस लापरवाही के जिम्मेवार हैं, कड़ी सजा देगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

(क) ३०–४–६५ को समाप्त होने वाली सहकारी वर्ष तक के लाभ हानि के खाते (Balance Sheet) तैयार हैं ।

(ख) यूपिका एक स्वायत्त संस्था (Independant body) है। अतः लाभ हानि के खाते बनने में विलम्ब की जिम्मेवारी सरकारी अधिकारियों की नहीं है ।

विमुक्त जातियां

*४३—श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भारतीय संविधान के लागू होने के उपरान्त देश में विमुक्त जातियों की श्रेणी में कौन-कौन सी जातियां रक्खी गईं और वह किन-किन शासकीय आदेश द्वारा दिया गया ? क्या सरकार उस राजकीय आदेश को एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सीताराम—

भारतीय संविधान के लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश में विमुक्त जातियों की श्रेणी में जो जातियां रक्खी गईं उनकी सूची शासकीय आदेश संख्या ८९९(ए)/छब्बीस—७००(५)-१९५९, दिनांक १२ मई, १९६१ द्वारा निर्धारित की गई जिसकी एक †प्रति सदन की मेज पर रक्खी जा रही है ।

*४४—श्री भीखालाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रथम बार निश्चित की गई विमुक्त जातियों की सूची में समय-समय पर परिवर्तन किये गये हैं ? यदि हां, तो वह परिवर्तन किस आधार पर किये गये हैं ? और क्या सरकार उन राजकीय आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी जिनके द्वारा यह परिवर्तन किये गये हैं ?

डाक्टर सीताराम—

जी हां, प्रथम बार निश्चित की गई विमुक्त जातियों की सूची में समय-समय पर परिवर्तन किये गये हैं, जिसकी सूचना संलग्न है । सम्बन्धित शासकीय आदेशों की †प्रतियां सदन की मेज पर रक्खी जा रही हैं ।

---

†छापी नहीं गयी ।

*४५—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद), श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा), श्री चन्द्रपाल (जिला गढ़वाल), श्री मन्नालाल तथा श्री द्विजेन्द्रनारायण (जिला बाराबंकी)—

[प्रश्नकर्त्ता सदस्यों द्वारा वापस ले लिया गया ।]

समाज कल्याण निदेशालय में राजपत्रित अधिकारी

*४६—श्री नाथूराम शिक्षक, श्री सुखदेवप्रसाद, श्री चन्द्रपाल, श्री मन्नालाल तथा श्री द्विजेन्द्रनारायण—

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि समाज कल्याण निदेशालय में ऐसे कितने दूसरे विभागों के राजपत्रित अधिकारी हैं जो तीन वर्ष से भी अधिक समय से एक ही स्थान पर उक्त निदेशालय में कार्य कर रहे हैं ?

डाक्टर सीताराम—

केवल एक ही ऐसे अधिकारी हैं ।

सुरक्षा कोष में चन्दा देने के लिए आदेश

*४७—श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या सरकार जिला अधिकारियों को यह आदेश जारी करने की कृपा करेगी कि :

(क) अदालत में अमानत के नाम पर,

(ख) मुअत्तल लाइसेन्स तथा प्रधानों के बहाल करने के नाम पर,

(ग) रिटेलर्स को स्टाक देने की शर्त लगाकर,

(घ) गांव समाज की भूमि की बेदखली बता कर जुर्माने के नाम पर,

(ङ) अस्पतालों में पर्ची देने में किसी प्रकार का धन लेकर,

(च) स्कूलों के बच्चों का चना व जलपान का पैसा लेकर,

(छ) गरीबों पर किसी भी प्रकार का दबाव डालकर,

(ज) लेखपाल, अमीन, ग्रामसेवक, पंचायत मन्त्री तथा सहायक विकास अधिकारियों द्वारा बिना रसीद के सुरक्षा कोष एकत्र न किया जाय ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जिलाधिकारियों को उचित आदेश पहले से ही दे दिये गये हैं । अतः इस प्रकार के आदेश जारी करने का अब कोई प्रश्न नहीं उठता ।

*४८-५०—श्री धर्मसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर ५वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*५१-५२—श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—

[६ठे गुरुवार के लिये स्थगित किये गये ।]

रुद्रपुर में पुलिस की ज्यादतियों के विरुद्ध हड़ताल

*५३—श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि दिनांक १७, १८, १९ नवम्बर, १९६५ को रुद्रपुर (नैनीताल) में स्थानीय पुलिस की ज्यादतियों के विरोध में पूर्ण हड़ताल रही ? यदि हां, तो पूर्ण विवरण क्या है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

दिनांक १७-११-६५ को हड़ताल हुई तथा उस दिन व अगले दिन भी जुलूस निकाले गये। इसका विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ. १८७ पर।)

*५४—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या यह सही है कि उपरोक्त हड़ताल तभी समाप्त की गई जब कि कप्तान पुलिस और एस० डी० एम० ने आश्वासन दिया कि इन्चार्ज थाना व अफसर दोयम दोनों को तुरन्त हटाया जायगा ? यदि हां, तो अब तक दोनों अफसरों को न हटाने के क्या कारण हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

प्रदर्शनकारियों से केवल यह कहा गया कि बिना उचित जांच के इन कर्मचारियों को हटाने का प्रश्न नहीं उठता और जांच के पश्चात् ही इस पर कार्यवाही सम्भव है। शिकायतों की जांच की जा रही है।

३८ बोर की रिवाल्वर

*५५—श्री इन्द्रासनसिंह (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करेगी कि भारत में बनी हुई ३८ बोर की रिवाल्वर जनता के लिये उपलब्ध हो सके और जन साधारण साधारण मूल्य पर उसे खरीद सके ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

३८ बोर रिवाल्वर प्रोहिबिटेड बोर हथियार है। आम जनता इसे नहीं रख सकती। अतः जनता के लिये इसे साधारण मूल्य पर उपलब्ध कराने का प्रश्न नहीं उठता।

बुनकर सहायक समिति 'मिश्रपुर' की जांच

*५६—श्री इन्द्रासनसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिल की हैण्डलूम वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड 'मिश्रपुर', पो० महाराजगंज की सी० आई० डी० द्वारा जांच लगभग दो वर्ष पूर्व से सरकारी आदेश द्वारा हो रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां।

*५७—श्री इन्द्रासनसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष १९६५ में कई प्रार्थना-पत्र मुख्य मन्त्री व गृहमंत्री को इस आशय के दिये गये थे कि लगभग दो वर्षों से सी० आई० डी० के जांच के नाम पर सोसाइटी को मिलने वाली समस्त सहायतायें बन्द हैं और सोसाइटी को बड़ी हानि हो रही है अतः सी० आई० डी० की जांच वापस लेकर विभाग द्वारा अनियमितताओं की जांच करा ली जाय ? यदि हां, तो सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

(क) जी हां। मुख्य मंत्री को तीन पत्र प्राप्त हुये।

(ख) सी० आई० डी० की जांच वापस लेना सम्भव नहीं है।

एटा जिले में सुरक्षा प्रबन्ध

*५८—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती), श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई), श्री टम्बेश्वरप्रसाद तथा श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला एटा में १ जनवरी, १९६५ से १५ दिसम्बर, १९६५ तक कत्ल, डकैती, राहजनी तथा बसों की लूट की अलग-अलग कितनी घटनायें हुईं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

१-१-६५ से १५-१२-६५ तक एटा जिले में ६८ कत्ल, ३४ राहजनी तथा २३ डकैती जिनमें ५ बसों/ट्रकों की लूट की घटनायें भी सम्मिलित हैं, हुईं ।

*५९—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री शारदाभक्तसिंह, श्री टम्बेश्वरप्रसाद तथा श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा—

क्या गृह मंत्री यह भी बतायेंगे कि जिला एटा में महावीरा, बालकराम, सुआराम आदि डकैतों के गिरोहों का, जिनका भयंकर आतंक है तथा डकैतों द्वारा रुपये लेकर कत्ल करने के पेशा से जो जानमाल खतरे में है, उसे दूर करने के लिये सरकार ने उक्त अवधि में क्या प्रयास किये हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इन डकैतों से लोगों की जान-माल की रक्षा के लिये जगह-जगह पर पी० ए० सी० और आर्म्ड पुलिस गार्ड तैनात कर दिये गये हैं । दिन रात बराबर गश्त हो रही है और डकैतों को शरण देने वालों पर निगाह रखी जा रही है । सीमावर्ती जिलों के प्रमुख अधिकारियों की बैठकें होती रहती हैं और इन गिरोहों की गतिविधियों की सूचना मिलते ही कार्यवाही की जाती है । सूचना तुरन्त भेजने के लिये वहां एक रेडियो स्टेशन भी लगाया गया था ।

थानाध्यक्ष, रुद्रपुर के विरु शिकायतें

*६०—श्री रामचरण शाह (जिला खीरी)—

क्या गृह-मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १८ नवम्बर, १९६५ को रुद्रपुर (जिला नैनीताल) में एस० पी० नैनीताल को रुद्रपुर के थानेदार के विरुद्ध रुद्रपुर की जनता, ने अनेक शिकायतें दीं ? यदि हां, तो वह शिकायतें क्या थीं उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां । थानाध्यक्ष रुद्रपुर के विरुद्ध रिश्वत एवंभ्रष्टाचार संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिनकी जांच की जा रही है ।

*६१—श्री रामचरण शाह—

क्या यह सत्य है कि थाना रुद्रपुर, जिला नैनीताल के थानेदार का स्थानान्तरण आदेश नवम्बर, १९६५ में दिया गया ? यदि हां, तो बाद में उक्त आदेश स्थगित कर देने का क्या कारण है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

थाना रुद्रपुर के थानाध्यक्ष का कोई स्थानान्तरण का आदेश नहीं दिया गया । दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

एटा जिले में नए थाने

*६२—श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या गृह मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि एटा जिले में कितने नये थाने खोलने का विचार है और कहां-कहां तथा कब तक यह खुल जायेंगे ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

जिला एटा में दो नये थाने बागवाला और कादिरगंज खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है । इन थानों की वित्तीय वर्ष १९६७–६८ तक खुलने की सम्भावना है ।

कटघर विद्यालय में हरिजन छात्रों का वजीफा

*६३—श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—

क्या समाज कल्याण मन्त्री कृपा करके बतायेंगे कि जिला गोरखपुर का उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कटघर (खजनी) के प्रिंसिपल मिस्टर विभूति सिंह ने ९ वीं कक्षा के वजीफा पाने वाले समस्त हरिजन बच्चों को चार-चार महीने का वजीफा (प्रत्येक से ४८ रु०) गत १५ दिसम्बर, १९६५ को क्यों ले लिया है ?

डाक्टर सीताराम—

प्रश्न नहीं उठता ।

*६४—श्री श्यामलाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस तरह उक्त प्रिंसिपल ने कुल कितने रुपए बटोरे हैं और सम्बन्धित छात्रों को उनका रुपया दिलवाने के लिये उसने क्या किया ?

डाक्टर सीताराम—

प्रश्न नहीं उठता ।

सिकन्दराराऊ थान में औरतों पर गोली चलाना

*६५—श्री नेकराम शर्मा—

क्या गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ११ दिसम्बर, १९६५ को ग्राम श्यामपुर मानिकपुर, थाना सिकन्दराराऊ, जिला अलीगढ़ में दो औरतों को गोली मारी गई थी ? यदि हां, तो गोली मारने वाला अपराधी अभी तक क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

दिनांक ११–१२–६५ को ग्राम श्यामपुर-मनिकपुर, थाना सिकन्दराराऊ, जिला अलीगढ़ में दो औरतों को बन्दूक से घायल किया गया था ।

अभियुक्त ने न्यायालय में समर्पण किया और न्यायालय द्वारा उसे जमानत पर छोड़ दिया गया ।

बरेली जिले में बन्दूक का लाइसेन्स

*६६—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार को ज्ञात है कि आर्म्स ऐक्ट में बन्दूक का लाइसेंस लेने के लिये हैसियत की कोई कद न होने पर भी बरेली जिले में प्रत्येक बन्दूक के प्रार्थना-पत्र सम्बद्ध तहसीलदार द्वारा हैसियत प्रमाणित कराई जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस जांच को बन्द करने का आदेश देगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

बन्दूक के लाइसेन्स प्राप्त करने के लिये प्रार्थना-पत्रों पर जांच में और बातों के साथ हैसियत भी देखी जाती है परन्तु हैसियत की कोई कैद नहीं रखी जाती है। इस प्रकार की जांच को बन्द कराने की कोई आवश्यकता नहीं है।

इलाहाबाद जिले में हरिजन कल्याण अनुदान

*६७--श्री नाथूराम शिक्षक--

क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रयाग जिले में हरिजन तथा पिछड़ी जातियों को सरकार कर्ज, अनुदान, छात्रवृत्ति के लिये वित्तीय वर्ष १९६५-६६ में कितना धन स्वीकृत किया गया तथा जनवरी, १९६६ तक कितना धन दिया गया ?

डाक्टर सीताराम--

सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ.. १८८ पर)

*६८--श्री नाथूराम शिक्षक--

[विस्तृत होने के कारण पुनर्विचार पर हटा दिया गया।]

एटा जिले में बन्दूक के लाइसेंस के लिए आवेदन-पत्र

*६९--सर्वश्री शारदाभक्तसिंह, माधवप्रसाद त्रिपाठी, टम्बेश्वरप्रसाद, यादवेंद्रदत्त, कुंवर श्रीपालसिंह तथा हरीशकुमार गंगवार--

क्या सरकार परिपूर्ण सूचना प्रदान करते हुए बतायेगी कि जिला एटा में बन्दूक के लाइसेंस लेने के लिए कितने प्रार्थियों के प्रार्थना-पत्र तहसीलों व पुलिस द्वारा संस्तुति हो जाने के उपरान्त परगनाधीशों के यहां, १५ दिसम्बर, १९६५ को लंबित थे और वे लंबित (पेंडिंग) प्रार्थना-पत्र पुलिस रिपोर्ट सहित विभिन्न परगनाधीशों के यहां आर्म्स क्लर्क के यहां से, किन-किन तारीखों में पहुंचे थे ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

१५ सितम्बर, १९६५ को ३०९ प्रार्थियों के ऐसे प्रार्थना-पत्र जिला एटा में परगनाधीशों के यहां लंबित थे जिसकी सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है। आर्म्स क्लर्क के यहां से इन प्रार्थना-पत्रों के पुलिस रिपोर्ट सहित परगनाधीशों के यहां पहुंचने की तिथियां उक्त सूची में दी हुई हैं।

*७०--सर्वश्री शारदाभक्तसिंह, माधवप्रसाद त्रिपाठी, टम्बेश्वरप्रसाद, यादवेन्द्रदत्त दुबे, कुंवर श्रीपालसिंह तथा हरीशकुमार गंगवार--

क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला एटा में बहुत से बन्दूकों के प्रार्थियों के प्रार्थना-पत्र तहसील एवं पुलिस के द्वारा संस्तुति के बाद भी परगनाधीशों के यहां २ माह या इससे अधिक समय से लंबित (पेंडिंग) पड़े हैं ? यदि हां, तो कितने और क्यों ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

४२ प्रार्थना-पत्र तहसील एवं पुलिस द्वारा संस्तुति के बाद भी परगनाधीशों के यहां दो माह या इससे अधिक समय से लंबित हैं। इसका कारण यह है कि इन प्रार्थना-पत्रों के संबंध में परगनाधीशों की जांच पूरी नहीं हुई है।

---

†छापी नहीं गयी।

खाण्डसारी इन्स्पेक्टरों के चुनाव में हरिजन

*७१—श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)—

क्या मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि १९६५ में खंडसारी इंस्पेक्टर के चुनाव में कितने उम्मीदवार बैठे थे उनमें से कितने हरिजन उम्मीदवार बैठे थे और कितने उम्मीदवार जनरल कास्ट के बैठे थे ? कितने हरिजन उम्मीदवार चुने तथा कितने जनरल कास्ट के चुने गए ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

प्राप्त सूचनानुसार चीनी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में खांडसारी इंसपेक्टर के १३ अस्थायी पदों पर उम्मीदवारों के चुनाव के लिए गत अगस्त में लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा इंटरव्यू के लिए जाने के पूर्व एक वाइवा टेस्ट हुआ था और उसके पश्चात् आयोग से उम्मीदवारों के चुनाव के विषय में अभी तक सिफारिशें प्राप्त नहीं हो सकीं हैं। परिगणित जाति के अभ्यर्थियों के चुनाव के लिए जो रिजर्वेशन संबंधी नियम है उसके अनुसार आयोग से उम्मीदवारों के चुनाव के लिए सिफारिशें प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायगी। आयोग को स्मरण पत्र भेजा जा चुका है।

हाकिम परगना, बहेड़ी के विरुद्ध जांच

*७२—श्री बेदराम (जिला एटा)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि भूतपूर्व हाकिम परगना, बहेड़ी (बरेली) जो इस समय मेरठ में नियुक्त हैं, के खिलाफ सी० आई० डी० की जांच पूर्ण हो गई है ? यदि हां, तो कौन-कौन से आरोप सत्य पाए गए हैं ?

*७३—क्या यह सही है कि उपरोक्त जांच रिपोर्ट में इस बात की मांग की गई है कि भ्रष्टाचार प्रथमतः सिद्ध होने के कारण "खुली जांच" करने की सरकार अनुमति दे ? यदि हां, तो सरकार ने "खुली जांच" के आदेश कब जारी किए ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जांच से संबंधित सूचना सदन में देना जनहित में न होगा।

फर्रुखाबाद जिले में पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध स्ट्रिक्चर्स

*७४—श्री सूबेदारसिंह (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले में वर्ष १९६४-६५ में विभिन्न मुकदमों में से कितने केसों में पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध न्यायालयों द्वारा स्ट्रिक्चर्स पास किए गए तथा कितने केसों को न्यायालयों ने झूठा बताया ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

फर्रुखाबाद जिले में वर्ष १९६४-६५ में सात मुकदमों में पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध न्यायालयों द्वारा अवक्षेप (स्ट्रिक्चर्स) पारित किए गए तथा इनमें से तीन मुकदमों को न्यायालयों ने झूठा होना ठहराया।

*७५—श्री सूबेदारसिंह—

जिन अधिकारियों के विरुद्ध न्यायालयों द्वारा स्ट्रिक्चर्स पास किए गए अथवा जिन अधिकारियों को झूठा चालान करने का दोषी ठहराया गया, सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जिन अधिकारियों के विरुद्ध न्यायालयों द्वारा अवक्षेप (स्ट्रिक्चर्स) पारित किए गए अथवा जिनको झूठा चालान करने का दोषी ठहराया गया उन सभी के विरुद्ध विभागीय जांच पुलिस रेगुलेशन के पैरा ५०० के अन्तर्गत की गई और कुछ के विरुद्ध अब भी जारी है। जिनके विरुद्ध जांच समाप्त हो चुकी है उनमें से एक का० रामसरन पाल की चरित्र पंजी में मिस कांडक्ट इंट्री की गई तथा उसे लेखन कार्य के पद से पृथक कर दिया गया है। एक दूसरे अभियोग में स० ई० उदय सिंह को झूठा चालान करने के दोष में धारा ७ पुलिस ऐक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही करके उनका वेतन २१० रुपया प्रतिमास से २०० रु० छः मास के लिए घटा दिया गया। तीसरे अभियोग में जिसमें विवेचनाधिकारी सब-इंसपेक्टर, श्री सुरेन्द्र पाल सिंह के विरुद्ध अवक्षेप पारित किए गए थे, उसमें जांच से श्री सुरेन्द्र पाल सिंह दोषी नहीं पाए गए अतः उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। शेष चार अभियोगों में विभागीय जांच हो रही है।

शाहजहांपुर जिले में नरभक्षी सिंह

*७६—श्री सुरेन्द्रविक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि शाहजहांपुर जिले में जो एक आदमखोर शेर इस समय मौजूद है क्या उसकी सूचना उनको है ? यदि हां, तो उसके मारने के लिए क्या कार्यवाही की गई और उसके कितने आदमियों की तथा जानवरों (गाय, बैलों) की हत्या की है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

इस समय शाहजहांपुर में कोई आदमखोर शेर पाए जाने की सूचना नहीं मिली है। एक शेर जिसको जनवरी, १९६६ के प्रथम पखवारे में मार डाला गया प्राप्त सूचना के अनुसार जून, १९६५ से उसने २५ गाय, २० भैंस और १० भैंसे मार डाले थे।

*७७—श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

[पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिया गया।]

*७८-७९—श्री केदारनाथ भार्गव (जिला मथुरा)—

]५वें गुरुवार के लिए स्थगित किया गया।

अतारांकित प्रश्न

सतर्कता आयोग के विचाराधीन मामले

१—श्री हरीश कुमार गंगवार—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सतर्कता आयोग, उत्तर प्रदेश को उसकी स्थापना से अब तक कितने मामले सुपुर्द किए गए और उनमें आयोग द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सतर्कता आयोग के दो अंग हैं जिन्हें—

(१) प्रशासनिक न्यायाधिकरण जो कि विचारण का कार्य करता है, तथा

(२) सतर्कता अधिष्ठान जो कि जांच का कार्य करता है, कहते हैं।

सतर्कता आयोग के स्थापना से अबतक कुल ११ मामले प्रशासनिक न्यायाधिकरण को और १५४ मामले सतर्कता अधिष्ठान को भेजे गए। सभी मामलों पर सतर्कता आयोग द्वारा नियमानुकूल यथोचित कार्यवाही की जा रही है।

कारागरों में श्रेणियां

२—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार राज्य में कैदियों के लिए कारागारों में उच्चतम श्रेणी को समाप्त करने पर ध्यान देगी ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी नहीं। इसकी आवश्यकता नहीं समझी जाती है।

लोक लेखा समिति के प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय कार्य सम्परीक्षण प्रतिवेदन*

श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से लोक लेखा समिति के माताटीला बांध प्रायोजना, सिंचाई कर्मशालाओं तथा केंद्रीय दुग्धशाला से संबंधित क्रमशः प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय कार्य सम्परीक्षण प्रतिवेदनों व टगो के क्रय से संबंधित समिति के विशेष प्रतिवेदन पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही के संबंध में लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश लोक लेखा समिति ने सन् १९६० में माताटीला बांध योजना को कार्य सम्परीक्षण हेतु चुना था और उसका प्रतिवेदन २८ अप्रैल, १९६१ को सदन में प्रस्तुत किया गया था। आज ४ वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। समिति को अत्यन्त खेद है कि इन महत्वपूर्ण सिफारिशों पर विचार करने तथा अंतिम निर्णय लेने में सरकार को ४ वर्ष का समय लग गया। एक मुख्य तथ्य जो समिति के समक्ष आया था, वह यह था कि माताटीला योजना पर जो व्यय किया गया था वह आयव्ययक में ग्रामीण जल संबधी योजना के अन्तर्गत था। समिति के मत में इस प्रकार का व्यय अनियमित था। आज ४ वर्ष का समय बीतने पर भी शासन उसका कोई उत्तर देने में असमर्थ है। अन्य सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबध में भी जो उत्तर शासन की ओर से प्राप्त हुये, वे कोई संतोषजनक उत्तर नहीं कहे जा सकते, विशेष कर पैरा १०, ११, १२, १५, १६ और २५ में की गई सिफारिशों के संबंध में। इस संबंध में समिति कुछ और कहना उचित नहीं समझती है। समिति ऐसा अनुभव करती है कि जो सिफारिशें समिति ने की हैं उनके संबध में शासन ने उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही नहीं की है।

परियोजनाओं को बनाते समय वित्तीय नियमों का पालन करने के संबंध में सरकार ने जो आदेश अपने अधीनस्थ अधिकारियों को दिये हैं, समिति आशा करती है कि उनका पालन हो रहा होगा और भविष्य में इस प्रकार की अनियमिततायें न होंगी। लोक लेखा समिति का दूसरा कार्य सम्परीक्षण प्रतिवेदन सिंचाई कर्मशालाओं से संबंधित है। ये कर्मशालायें सरकार द्वारा संचालित महत्वपूर्ण कर्मशालाओं में से हैं परन्तु समिति को खेद है कि जो सिफारिशें समिति ने की थीं लगभग सभी के संबंध में अभी तक सरकार कोई निर्णय लेने में असमर्थ रही है। अधिकतर समिति की सिफारिशें ऐसी हैं, जिनमें शासन ने मुख्य अभियंता से रिपोर्ट मंगाई है पर ४ वर्ष व्यतीत होने पर भी अभी तक शासन को कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। कुछ सिफारिशें ऐसी हैं जिन पर वित्त विभाग के परामर्श से विचार किया जा रहा है। समिति का निश्चित मत है कि जब तक समिति के प्रतिवेदनों पर शीघ्र कार्यवाही नहीं की जायगी इन प्रतिवेदनों का महत्व समाप्त हो जायगा और उसके द्वारा की गई सिफारिशों का कोई अर्थ नहीं रहेगा। जब शासन के समक्ष कोई प्रश्न उपस्थित किया जाता है तो समिति आशा करती है कि इन प्रश्नों पर शीघ्र से शीघ्र निर्णय लेकर उन समस्याओं को दूर किया जाय न कि सरसरी तौर पर उन पर विचार करके समय का ध्यान न रखते हुए इतना अधिक समय निर्णय पर पहुंचने में लगे।

---

* छापे नहीं गये।

श्री अध्यक्ष—

क्या आप पूर्ण पढ़ियेगा ।

श्री शारदाभक्तसिंह—

जी नहीं, पूरा नहीं पढ़ रहा हूं ४ वर्ष के उपरान्त भी यदि शासन के पास मुख्य अभियंता से कोई रिपोर्ट नहीं आती है तो समिति इस स्थिति पर खेद प्रकट करती है और आशा करती है कि शासन इस संबंध में उचित कार्यवाही करेगा ।

समिति को दुख है कि सिंचाई विभाग ने माताटीला बांध प्रायोजना तथा सिंचाई कर्मशालाओं से संबंधित प्रतिवेदनों में की गई सिफारिशों के कार्यान्वियन में बड़ी उदासीनता दिखाई है । समिति द्वारा बार बार ध्यान दिलाने पर भी और लगभग पांच वर्ष बीतने के पश्चात् भी अनेक सिफारिशों पर कार्यवाही होना अब भी शेष है । समिति चाहती है कि इन सिफारिशों के संबंध में सिंचाई विभाग शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही कर समिति को सूचित करे ।

समिति के प्रतिवेदनों में की गई संस्तुतियों के महत्व को ध्यान में रखते हुये समिति यह आवश्यक समझती है कि समिति के प्रतिवेदनों पर सदन में चर्चा का अवसर मिलना चाहिये, जिससे कि समिति के प्रतिवेदनों पर अधिक प्रकाश पड़ सके । समिति आशा करती है कि इस संबंध में उचित कार्यवाही शीघ्र ही की जायेगी ।"

विनियोग लेखे १९६१–६२ तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, १९६३*

श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)—

मैं लोक लेखा समिति, विनियोग लेखे १९६१–६२ तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन १९६३ पर लोक लेखा समिति (उत्तर प्रदेश) के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के हेतु की गई कार्यवाही संबंधी लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न तथा कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

श्री सुखदेव प्रसाद उपस्थित नहीं हैं उनका विशेषाधिकार का प्रश्न आया है, जिसे कल लेंगे, क्योंकि मेरे पास इसका पूरा स्पष्टीकरण नहीं आया है । एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव था, उसे स्वीकार नहीं किया है ।

आजमगढ़ जिले के थाना मुबारकपुर की पुलिस द्वारा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के प्रदर्शनकारियों पर आक्रमण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

नियम ५२ के अन्तर्गत केवल वक्तव्य के लिये माननीय रामसुन्दर पांडेय और मंगल देव का लिया है थाना मुबारकपुर, जिला आजमगढ़ के पुलिस के खिलाफ (सचिव विधान सभा से) जरा आप पढ़ दें ।

सचिव, विधान सभा—

थाना मुबारकपुर, जिला आजमगढ़ के पुलिस के खिलाफ क्षेत्रीय संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, मुबारकपुर की ओर से दिनांक २८ फरवरी, ६६ को २ बजे दिन से प्रदर्शन करने का आयोजन दिनांक १५–२–६६ से ही किया जा रहा था । प्रदर्शन को सफल बनाने के लिये नोटिस तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों द्वारा प्रचार किया गया ।

---

* छपे नहीं गये ।

चूंकि उक्त प्रदर्शन स्थानीय पुलिस के विरुद्ध था, इसलिये उसने अपने समर्थक डाक, बदमाशों और दलालों का गोल बनाकर लाठी, गड़ासे और बल्लम से लैस होकर उक्त प्रदर्शन को नाकामयाब करने और दंगा करा देने की साजिश की।

जुलूस पूर्व निश्चयानुसार दिनांक २८-२-६६ को २ बजे दिन से प्रारम्भ होकर थाने की ओर बढ़ा, बीच में ही पुलिस द्वारा पूर्व आयोजित गोल ने जुलूस अनियन्त्रित करने के लिये लाठी, ढेलों आदि का इस्तेमाल किया। फलस्वरूप जुलूस के १२, १३ व्यक्तियों को चोटें लगीं।

इस प्रदर्शन में पुलिस की ओर से रक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं था जबकि पुलिस अधीक्षक को इस प्रदर्शन तथा मुबारकपुर पुलिस द्वारा गुन्डों से सांठ-गांठ करके प्रदर्शन को नाकामयाब करने की सूचना दे दी गई थी।

मुबारकपुर पुलिस के इस प्रकार के कुकृत्यों तथा पुलिस अधीक्षक की उदासीनता, उपेक्षात्मक नीति के कारण जिले की लाखों जनता में असंतोष एवं क्षोभ व्याप्त है और सर्वत्र निन्दा की जा रही है तथा शान्ति भंग का अन्देशा हो गया है।

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी, इस पर वक्तव्य कब दीजियेगा?

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—

१२ तारीख को रख लीजिये।

नियम ५२ तथा कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के सम्बन्ध में जानकारी

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

मेरा निवेदन यह है कि ढाई लाख के बराबर कर्मचारियों ने परसों १ तारीख को अपना वेतन नहीं लिया है। उनमें बड़ा असन्तोष व्याप्त है कि उनकी मंहगाई भत्ते की उचित मांग पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। उनकी मांग बड़ी प्रभावी है। इस पर आप मुख्य मंत्री जी से वक्तव्य दिलवाइये। श्रीमन्, नियम ५२ में आज कोई वक्तव्य नहीं दिलवाया है, यह खाली जगह है। ढाई लाख कर्मचारी वेतन न लें, यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है।

श्री अध्यक्ष—

अब ले तो लिया है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

कहां लिया है? यह तो आप कह रहे हैं, इस पर आप मुख्य मंत्री जी से कहलवाइये।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, मेरा जो कामरोको प्रस्ताव है, उसे आपने पढ़ा होगा। जौनपुर जिले में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के जिला मंत्री श्री श्याम कौतिक सिंह, तथा उनके साथी अन्य कार्यकर्त्ताओं की जानमाल का भारी खतरा उत्पन्न हो गया है। गृह मंत्री जी के रिश्तेदार (दामाद) श्री तेजबहादुर जी इनके मड़याहूं स्कूल के प्रिंसिपल जो इनके दायें बायें बैठते हैं, उनके द्वारा सारे जिले के कार्यकर्त्ताओं को गलत गलत मुकदमों में फंसाया गया है। मेरा यह कहना है कि इस

[श्री रामसुन्दर पाण्डेय]

बार बार आप से आग्रह करते हैं कि आप इनको (मंत्री जी को) हटाइये मंत्री पद से। यदि नहीं, तो कम से कम इनको पुलिस मंत्री पद से तुरन्त अवश्य हटाइये। इनके राज्य में सारे प्रदेश में गुन्डई हो रही है। श्रीमन्, मैं इससे बहुत तकलीफ में हूं। मैं इसके विरोध स्वरूप सदन की कार्यवाही में ५ मिनट का हिस्सा नहीं लूंगा और माननीय सदस्यों और जनता से कहना चाहता हूं कि वह इस प्रदेश की सरकार को उलटने के लिये कदम उठाये। पुलिस ने वहां पर ज्यादती की है और पुलिस की सहायता से गुन्डों ने वहां की जनता को मारा है।

श्री अध्यक्ष—

मैंने आपसे निवेदन कर दिया कि क्या-क्या इसमें खामियां हैं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

मुझे बड़ी तकलीफ है। इसके विरोध में मैं अपने दल के साथ ५ मिनट के लिये सदन का त्याग करता हूं।

(संयुक्त सोशलिस्ट दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

श्रीमन्, मुझे मालूम है कि उन लोगों ने वेतन नहीं लिया है।

श्री अध्यक्ष—

मुझे मालूम है कि उन्होंने वेतन ले लिया है। यह प्रश्न माननीय मुख्य मंत्री जी के सामने आया था और उन्होंने इस विषय में स्पष्ट अपने विचार रख दिये थे। अब उसके अलावा आप कोई नई बात नहीं कह रहे हैं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

अगर सरकारी कर्मचारी काम ठप कर दें तो इसका असर जनता पर पड़ेगा या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

मैंने आपसे बतला दिया, जो कुछ उनको कहना था उन्होंने कह दिया।

१९६६–६७ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २६—श्रम और सेवा योजना

*सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

श्रीमन्, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २६—श्रम और सेवा योजन—के अन्तर्गत ५,४९,८०,६०० रुपये की मांग वर्ष १९६६–६७ के लिये स्वीकार की जाय।

गत वर्ष सदन के सामने जब मैंने इस विभाग के बजट को प्रस्तुत किया था, उसके बाद पाकिस्तान के आक्रमण की वजह से औद्योगिक जगत के ऊपर भी एक बड़ा भारी उत्तरदायित्व आकर पड़ा। सन् १९६२ में हमारे प्रदेश में केन्द्रीय सरकार के अनुसार यहां पर भी उद्योगपति और श्रमिकों ने मिलकर इस बात का फैसला किया कि संकटकालीन परिस्थिति में वह औद्योगिक शान्ति बनाये रखेंगे और उत्पादन को बढ़ायेंगे और साथ ही देश की रक्षा

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के लिये सुरक्षा कोष में भी काफी उदारतापूर्वक सहायता करेंगे। मुझे इस बात की अत्यन्त प्रसन्नता है कि आलोच्य वर्ष में औद्योगिक शान्ति के अन्दर आशातीत सुधार हुआ और पारसाल भी जब मैंने सदन के सामने यह बजट प्रस्तुत किया था तो बताया था कि स्ट्राइक (लाक आउट) से ७।। लाख श्रमिक जन की हानि हुई। वह इस मर्तबा घटकर करीब ४।। लाख रह गई। इ में काफी सुधार हुआ है। श्रमिकों ने अपना एक दिन का वेतन पूरे प्रदेश में सुरक्षा कोष के अन्दर दिया। इस विभाग का मुख्य संबंध श्रमिक कानून का प्रवर्तन कराना, औद्योगिक शान्ति कायम रखने के अन्दर मदद करना, हड़ताल के अन्दर मदद करना और श्रमिकों के कल्याण के लिये प्रयत्न करना है।

तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर यह सरकार की नीति रही है और बराबर इस बात का प्रयास किया गया है कि जितने भी संगठित उद्योग हैं उनमें निम्नतम मजदूरी है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये कपड़ा उद्योग, सीमेन्ट उद्योग, शुगर उद्योग और दूसरे उद्योगों के लिये वेज बोर्ड स्थापित किया गया। उस वेज बोर्ड की स्थापना को हमारे प्रदेश के अन्दर भी कार्यान्वित किया गया। उससे बड़ी तादाद में हमारे प्रदेश के श्रमिक लोग लाभान्वित हुए। हमारे प्रदेश के अन्दर भी उद्योगीकरण में प्रगति बढ़ती जा रही है। इस वक्त १९६४ के अन्त तक हमारे प्रदेश में फैक्टरी ऐक्ट के अनुसार रजिस्टर्ड कारखानों की संख्या २८९३ थी जिसमें ३,१३,४७३ श्रमिक काम करते हैं। श्रीमन्, सन् ४६ में शुगर उद्योग के अन्दर मजदूरों का वेतन बहुत कम था, इसलिये इस पर विचार किया गया कि उनके लिये न्यूनतम वेतन २६ रुपया नियत किया जाय। उसके बाद फिर वह ४५ रुपया किया गया। फिर १९४८ में उसे बढ़ा कर ५५ रुपया कर दिया गया। सब से पहले इस गवर्नमेन्ट ने ५७ में शुगर उद्योग के लिये वेज बोर्ड नियुक्त किया जिसकी सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया और आज हमारे प्रदेश के अन्दर जो अन्ट्रेन्ड कारीगर हैं चीनी के उद्योग में उनको कम से कम वेतन ९६ रुपया मिलता है मासिक।

श्रीमन्, हमारे प्रदेश में दूसरा बड़ा उद्योग टेक्सटाइल का है। टेक्सटाइल में भी सन् ३८ की राजाज्ञा के मुताबिक कानपुर में ३० रुपये कम से कम मजदूरी निश्चित की गयी। अन्य क्षेत्रों में २८ रु० मजदूरी नियत की गयी। सन् ५७ में तमाम देश में टेक्सटाइल उद्योग के लिये वेज बोर्ड मुकर्रर किया गया जिसकी सिफारिशें आयीं और उसके मुताबिक अमल किया गया तथा उसे संबद्ध किया गया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के साथ। लेकिन सन् ६४ में क्योंकि भाव काफी बढ़ते चले गये उसमें यह निश्चित किया गया कि आगे चल कर जैसी कि कमी होती चली जाती थी, एडजस्टमेन्ट का रेट १२ पैसे से बढ़ाकर १९ पैसा की प्वाइन्ट कर दिया गया ७०० तक। जब कंज्यूमर इंडेक्स और ज्यादा बढ़ा तो सरकार ने गत वर्ष इस बात का निर्णय किया कि ७०० प्वाइन्ट के ऊपर भी १९ पैसे की दर से एडजस्ट किया जाय और इसके मुताबिक हमारे प्रदेश में जो कुछ मुख्य उद्योग हैं, जहां पर कम से कम मजदूरी दी जाती है, मैं उनकी चर्चा करना उचित समझता हूं। सूती कारखानों में कम से कम जो मजदूरी एक वर्कर को साल भर के अन्दर मिलती है उसका औसत १५५५ रुपया होता है। इसी उद्योग के विभिन्न केन्द्रों में ९३० रुपया मजदूरी होती है। रसायन वस्तुओं के कारखानों में १३३०.६९ रुपया होती है मजदूरी, बिजली और वाष्प के कारखानों में साल भर में मजदूर की औसत मजदूरी १८६८ रुपया होती है। श्रीमन्, बिजली के अन्दर काफी प्राइवेट कंपनियां थीं। कानपुर की केसा थी। सन् ४८ में जो वेज बोर्ड लागू किया गया था, उस समय बिजली के श्रमिकों ने यह मांग की थी कि वहां एक तो कंट्रेक्ट लेबर को कम किया जाय और दूसरे कानपुर से बाहर जो कारखाने हैं उनके वेतन के अन्दर समता लायी जाय और उसमें वृद्धि की जाय। उन्होंने सन् ६४ में हड़ताल करने का भी आयोजन किया। गवर्नमेन्ट ने उनके लिये एक कमेटी नियुक्त की उनकी वेतन दरों में सुधार करने के लिये और उस कमेटी की सफारिशों के मुताबिक उत्तर प्रदेश के बिजली वर्कर को ६ रुपये की एडहाक वृद्धि दी गयी।

[श्री बनारसी दास]

बाद में उसमें दो रुपया और इजाफा किया गया, यानी ८ रुपये की वृद्धि की गयी। किन्तु किन्हीं कारणवश वह समिति अभी तक अपनी रिपोर्ट सरकार को नहीं दे पायी है और उसकी कार्यावधि ३१-३-६६ तक बढ़ा दी गयी है। मैं आशा करता हूं कि इस वर्ष के अन्त तक इस विद्युत कमेटी की रिपोर्ट आ जायगी और फिर सरकार उस पर विचार करेगी और आवश्यक कार्यवाही करेगी।

श्रीमन् हमारे प्रदेश में, जैसा मैंने कहा, सबसे बड़ा उद्योग चीनी का है जिसके अन्दर ७१ कारखाने हैं। जितनी सिफारिशें थीं वह ७० कारखानों पर पूरी तरह से लागू हो गयीं हैं और उन पर उन में अमल हो रहा है। एक कारखाने के अन्दर वह आंशिक है। कुछ कानूनी मशविरा वह लेना चाहते हैं जिसकी वजह से उसको अभी तक वहां कार्यान्वित नहीं किया जा सका है। श्रीमन्, इस वित्तीय वर्ष में हमने इस बात का भी प्रयास किया कि जो बड़े उद्योग है उसमें मिनिमम वेजेज ऐक्ट के मातहत फिर से पुनरीक्षण किया जाय मजदूरी का और उससे मजदूरों को लाभान्वित करने का प्रयत्न किया गया है। बीड़ी उद्योग के अन्दर जो मजदूर हैं उनको भी इससे लाभ पहुंचे, यह भी प्रयत्न किया गया है। बड़े बड़े टाउन के अन्दर जहां पहले इनको डेढ़ रुपया मिलता था, अब १.८३ रुपया मिलने लगेगा। जो देहातों के अन्दर रहते हैं उन्हें भी अब १.६२ मिलेगा। जो खेतिहर मजदूर लोग हैं उनकी मजदूरी की दरों पर भी एक कमेटी विचार कर रही है, शीघ्र ही उसके संबंध में भी विज्ञप्ति जारी कर दी जायेगी। फिर आब्जक्शन्स इन्वाइट करने के बाद जो खेतिहर मजदूर होंगे, उनको भी इस प्रदेश में लाभ पहुंचेगा।

श्रीमन्, अन्य उद्योगों के संबंध में भी समिति समय-समय पर विचार करती रही है। त्रिदलीय समझौते के अनुसार एक श्रमिक का वेतन कम से कम ७८ रु य कर दिया गया है। इस वर्ष की एक मुख्य घटना का श्रमिकों पर बड़ा ही प्रभाव पड़ा है और वह है बोनस ऐक्ट का लागू होगा। बोनस ऐक्ट को लागू कर दिया गया है और उसके सिफारिशों के अनुसार हर एक कारखाने को, चाहे उसमें लाभ हो या न हो, कम से कम ४ प्रतिशत या ४० रुपये जो भी अधिक हो, साल भर में बोनस देना पड़ेगा। एकाउन्ट इयर के ८ महीने के बाद वह लागू जायेगा। अगर कोई नहीं देगा तो सरकार उसको लैंड रेवेन्यू की तरह से वसूल करेगी और उसका भुगतान वर्कर्स को किया जायेगा। इसके अमल में आने पर ३०० कारखानों के करीब ३४ लाख ७४ हजार का भुगतान किया। १८५ कारखानों ने ४ परसेंट की दर से दिया तथा १२६ कारखानों ने आपस में समझौते द्वारा ४ परसेंट का बोनस दिया। इसके अलावा शुगर के कारखानों में तो यह परम्परा रही है कि सेवायोजक और श्रमिकों के प्रतिनिधि मिलकर बोनस का बटवारा करते हैं। अन्य उद्योगों में भी १९५ कारखानों द्वारा समझौते के द्वारा बोनस दिया गया।

श्रीमन्, हमारे प्रदेश में जो श्रम-विभाग है, उसका मुख्य कार्य है श्रम कल्याण केंद्रों का संचालन करना, दूसरे जो कानून हैं उसका सही तरीके से अमल में लाया जाना। इस साल काफी इस बात की कोशिश की गयी है कि ज्यादा से ज्यादा मामले आर्बिट्रेशन के द्वारा तय किय जायें। इसम काफी सुधार भी हुआ है। एसा सुधार तो नहीं कि मैं यह कह सकूं कि मैं उससे सतुष्ट हूं, मगर इस ओर काफी प्रयत्न किया गया है। बराबर इस बात का प्रयास किया गया है कि सेवा योजक और श्रमिक मिल कर आर्बिट्रेशन की प्रणाली को अपनायें और जहां इसके द्वारा फैसला न हो पाये वहां एडजूडिकेशन का सहारा लें। इस ओर काफी प्रगति हुई है। स्टेट लेबिल पर कन्सिलियेशन बोर्ड भी बनाया गया है। हम इस ओर काफी प्रयत्नशील हैं।

श्रीमन्, इस विभाग द्वारा मुख्य कार्य वाणिज्य अधिष्ठान नियमों का लागू कराया जाना है। १६९ नगरों में पूरी तरह इसको लागू कराया गया है और ४६ में आंशिक रूप से लागू

हुआ है। इसके द्वारा कर्मचारियों को साप्ताहिक छुट्टी भी मिलती है तथा उनके काम के घंटे भी नियत किये गये हैं, जिससे वाणिज्य अधिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों को काफी राहत मिली है और वे बहुत खुश हैं।

श्रमिकों के लिये जो दूसरी महत्वपूर्ण योजना है वह है राज्य बीमा योजना का लागू किया जाना। वह इस वक्त ३५ नगरों के अन्दर जारी है। इससे इस वक्त २ लाख ६४ हजार मजदूर लाभान्वित होते हैं। इन सारी योजनाओं के अन्तर्गत ७१ अचल और ९ चल डिस्पेंसरीज श्रमिकों की सेवा कर रही हैं। इसके अन्तर्गत कानपुर में ११२ बेड्स का अस्पताल था जिसे अब बढ़ा कर २२५ बेड्स का कर दिया गया है। १८० बेड्स का एक और अस्पताल कायम किया गया है। इसके अलावा मोदी नगर में १०० शैय्याओं के एक अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। मैटरनिटी सर्विस के लिये भी बेड्स की व्यवस्था की गयी है ५०० स्त्रियों के पीछे एक बेड। टी०बी० के लिये भी एक हजार आदमियों के पीछे एक बेड की व्यवस्था की गयी है। इसके अलावा ८०० मजदूरों के पीछे एक बेड की व्यवस्था की गयी है। हमारे प्रदेश में समाजवादी नीति को कार्यान्वियन करने के लिये एक कदम और उठाया गया है और वह यह कि वृद्धों को पेंशन देने की व्यवस्था की गयी है। ऐसे बूढ़े जिनको कोई सहारा नहीं था और जिनकी आयु ७५ वर्ष थी उन्हीं को यह पेंशन मिलती थी लेकिन अब उस आयु को घटा कर ६५ तथा वृद्धा स्त्रियों के लिये ६० वर्ष कर दिया गया है। पहले शर्त यह थी कि यदि उसका लड़का न हो, भाई भी न हो तभी वह पेंशन का अधिकारी हो सकता था लेकिन अब उसमें सुधार कर इस शर्त को और लिबरल इज कर दिया गया है। अब यह शर्त रखी गयी है कि अगर उनका लड़का न हो, स्त्री का पति न हो तो उनको पेंशन मिल सकेगी। अब इस वक्त हमारे प्रदेश में १४,५३० वृद्ध, वृद्धाओं को पेंशन मिलती है। राज्य सरकार इस पर ३२ लाख रुपये की वार्षिक धनराशि व्यय कर रही है। मैं जानता हूं कि यह धनराशि काफी नहीं है, २० रु० मासिक की पेंशन अपर्याप्त है लेकिन यह एक सही दिशा के अन्दर उठाया गया है और हमें उस आने वाले जमाने की ओर देखना है जब कि सम्भव हो सकेगा कि हम अपने देश के अन्दर प्रत्येक वृद्ध व्यक्ति को पूरी तरह से पेंशन दे सकेंगे। एक और काम भी इस विभाग ने किया है जिसके अन्तर्गत हमारा लक्ष्य श्रमिकों के हितों की रक्षा करना है। समझौते के अन्तर्गत मिनिमम वेजेज ऐक्ट की व्यवस्था है, इसके अलावा पेमेंट आफ वेजेज ऐक्ट के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि जिनको पेमेंट नहीं मिल पाता है, उनको विभाग पेमेंट कराता है। इन सारी चीजों के लिये गवर्नमेंट बराबर प्रयत्न शील रहती है।

छुट्टियों के अन्दर भी वृद्धि की गयी है। इसके अलावा इस विभाग द्वारा क्राफ्टसमैन ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की गयी है। हमारे देश के अन्दर शिक्षा के साथ इस बात की भी आवश्यकता है और इस पर बड़ा जोर दिया जा रहा है कि हमारे प्रदेश के अन्दर ही स्किल्ड वर्कर्स कल कारखानों को मिल सकें। औद्योगीकरण की तरफ बढ़ने के लिये सरकार हर साल यह कदम उठा रही है कि हमारे देश और प्रदेश के अन्दर ही नवयुवकों में यह प्रवृत्ति पैदा हो कि वे इंजीनियरिंग और डिप्लोमा कोर्स कर सकें तथा ट्रेड्स मैन कोर्स की ओर भी बढ़ सकें। इस दिशा के अन्दर भी काफी प्रगति की गयी है। पहली पंचवर्षीय योजना के अन्दर हमारे प्रदेश में आई०टी० आई० के अन्तर्गत ४७३४ सीट्स थीं और दूसरी पंचवर्षीय योजना में उनको बढ़ा कर १०८९० कर दिया गया और तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत यह संख्या बढ़कर ३०१२४ सीट्स करने का लक्ष्य हो गया है। पहली योजना के अन्तर्गत यहां केवल १५ आई०टी०आई० थे जो दूसरी पंचवर्षीय योजना में २९ हो गये और मुझे सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि अब उस २९ वाले लक्ष्य को बढ़ा कर ३३ कर दिया गया और आज इस प्रदेश के अन्दर ४८ आई० टी० आई० हैं। सर्टिफिकेट कोर्स के लिये भी पहले यहां १४ आई० टी० आई० थे जो बढ़ कर आज ७२ हो गये हैं और चौथी पंचवर्षीय योजना में हमारा लक्ष्य है कि उनकी संख्या बढ़ा कर ८० कर दी जाय। इस तरह से ८ हजार की सीट्स इन संस्थाओं के अन्दर

[श्री बनारसीदास]

इस प्रदेश के अन्दर है। उसके लिये एडवांस सेंक्शन ले लिया गया है और भूमि अर्जन की जा रही है, मशीनें भी खरीदने की व्यवस्था की गयी है ताकि औद्योगिक ट्रेनिंग का कार्य पीछे न पड़ जाय। इसके लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। श्रीमन्, इस बार हमारा जो सन ६६-६७ का बजट है, उसका महत्वपूर्ण भाग यह है कि हम चाहते हैं अकाउन्टेन्ट्स और सैक्रेटेरिएट के एडमिनिस्ट्रेशन के लिये क्लार्क्स, इसकी व्यवस्था के लिये हम कानपुर में एक इन्स्टीट्यूट कायम कर रहे हैं। प्रदेश के अन्दर हमने पिछले तजुर्बे से देखा कि हिन्दी और अंग्रेजी के स्टेनोज की बड़ी कमी है। इसके लिये ६६-६७ के वर्ष में हमने निश्चय किया है कि प्रदेश के सभी डिवीजनल हैडक्वार्टर्स में, कानपुर, आगरा, बरेली, फैजाबाद, गोंडा, गोरखपुर, झांसी, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद और वाराणसी इन ग्यारह स्थानों पर ये इन्स्टीट्यूट हों। इनमें ५१२ स्टेनोज के ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है। इनमें अंग्रेजी के २४० और हिन्दी के २७२। इससे काफी नवयुवकों को एक अवसर मिलेगा ट्रेनिंग प्राप्त करने का। इस वक्त जो स्टेनोज की कमी है वह भी काफी हद तक पूरी हो सकेगी। नवयुवकों को भी तरक्की करने का एक उपयुक्त अवसर इस प्रकार मिल सकेगा। श्रीमन्, सेवायोजन के मातहत जितने भी यूनिवर्सिटीज के मेन्टर्स हैं वहां पर भी नवयुवकों को गाईडेंस दी जाती है और यूनीवर्सिटीज की तरफ से लड़कों को गाइडेंस दी जाती है कि क्या क्या कैरियर्स हैं और वेंक से ले सकते हैं। वहां की तरफ से एक बड़ी उपयोगी पुस्तिका छापी गई है इस संबंध में। एम्प्लायमेंट एक्सचेंज की तरफ से एक आकुपेशनल डायजेस्ट निकलता है, वह बड़ा पापुलर हो रहा है। इसको हमने दो भागों के अन्दर प्रकाशित करने का प्रयत्न किया है। एक हाई स्कूल स्टैंडर्ड के लड़कों के लिये और दूसरा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिये और उसका प्रसार बराबर होता चला जा रहा है।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)--

ये जो पुस्तकें माननीय मंत्री जी बता रहे हैं क्या, श्रीमन्, ये हमको भी देखने को मिलेंगी ?

श्री बनारसीदास--

जो जिज्ञासा करते हैं उनको अवश्य मिलेंगी। तो, श्रीमन, एम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज के द्वारा, हमारे इस प्रदेश में केंद्रीय गवर्नमेंट का नियम है, जो छोटे कर्मचारी हैं उनकी भरती केवल एम्प्लायमेंट एक्सचेंज के जरिये से करते हैं। इस आलोच्य वर्ष में केंद्रीय सरकार को हमारे एक्सचेंजेज ने साढ़े चौदह हजार व्यक्तियों को काम दिया है। स्टेट गवर्नमेंट को २२५४५ कर्मचारी दिये। अर्द्ध सरकारी संस्थाओं को ७६७१ दिये। इसके अलावा दूसरी जगहों पर १४३१४ व्यक्तियों को काम दिलाया और, श्रीमन्, सन् ६२ में जिस वक्त लड़ाई शुरू हुई तो केंद्रीय गवर्नमेंट को २८०६१ व्यक्तियों को काम दिलाया और स्टेट गवर्नमेंट को ४८ हजार से ज्यादा कर्मचारियों को दिया और दूसरे प्राइवेट व्यक्तियों को भी २४२४९ व्यक्तियों को दिया। इस प्रकार श्रीमन्, इससे लोगों को काम तलाश करने में सहायता मिली। अब हमने एक नयी योजना बनाई है। कानपुर में हम एक ऐसा इन्स्टीट्यूट कायम कर रहे हैं जहां पर इंजीनियर्स, डाक्टर्स और जो दूसरे स्किल्ड लोग हैं उनको रोजगार प्राप्त करने में सहायता हो और जो हमारी मारकेट कंडीशन्स हैं इनका भी ध्यान है, साथ ही जो पेशे हैं, और लोगों का जो ट्रेड है, इसके लिये भी सहायता की जाय। इसके लिये अप्रेन्टिस एक्ट को अमल में लाया गया है। इसके मातहत अनिवार्य है कि कल और कारखाने के लिये शार्ट और लांग टर्म की ट्रेनिंग दें। २७३५ सीट्स ऐसी हैं जिनमें आई०टी०आई० से निकले हुए प्रशिक्षार्थियों को छः महीने की ट्रेनिंग अनिवार्य होती है और कारखाने भी ऐसे प्रशिक्षार्थियों को लेने को बाध्य हैं। ९०० सीट्स कारखानों में पूरे टर्म्स के लिये हैं। वे लड़के जो आई०टी०आई० में दाखिल नहीं हो सकते वे इसके अन्दर पूरी ट्रेनिंग ले सकते हैं। इस अप्रेन्टिस एक्ट को पूरे प्रदेश के अन्दर नफोर्स किया गया है और यह काफी लाभप्रद सिद्ध होता जा रहा है। श्रीमन्, मैंने संक्षेप में इस विभाग के कार्यों का सिंहावलोकन करने का प्रयास किया है और आशा करता हूं कि आई०टी०आईज के खुल जाने की वजह से हम और पांच हजार सीटों का इजाफा कर

रहे हैं । इससे प्रदेश को औद्योगीकरण की तरफ लाने में मदद मिलेगी । इसके अतिरिक्त जो नयी योजना हमने नवयुवकों के प्रशिक्षण के लिये जारी की है, उससे भी उनको काम तलाश करने में मदद मिलेगी । यह प्रसन्नता की बात है कि इस वर्ष में औद्योगिक शांति रही है, काम के घंटों में कमी हुई है, मजदूरों और सेवा योजकों के संबंध अच्छे रहे हैं । आगे भी हम इस बात का सतत प्रयत्न करते रहेंगे कि सेवायोजक और मजदूरों के संबंध मधुर रहें ।

श्री संतसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अनुदान संख्या २६—श्रम और सेवा योजन पर अपना कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं । वह इस प्रकार है—

"संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य—सरकार की श्रम निति की आलोचना करना, मजदूर एवं मालिक के संबंधों के विषय में सरकार के पक्षपाती रुख व सामान्य नीतियों की चर्चा करना, सुझाव देना एवं शिकायतें करना ।

मान्यवर, मैंने माननीय मंत्री जी के भाषण को बहुत ध्यान से सुना और मेरा कहना यह है कि मंत्रीजी ने तस्वीर की केवल एक शक्ल पेश की, दूसरी शक्ल पेश नहीं की । अध्यक्ष महोदय, इस वक्त हमारा ध्येय समाजवाद है । मैं माननीय मंत्रीजी से यह आशा तो नहीं करता कि वे सारे मीन्स आफ प्रोडक्शन को नेशनेलाइज कर देंगे जमीन पर और कल कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के लिये स्वर्ग बना देंगे लेकिन उनसे इतनी आशा जरूर करता हूं कि वेलफेअर स्टेट के नाते मजदूरों की हालत बिगड़ेगी नहीं । लेकिन मेरा सरकार पर यह चार्ज है कि दिनों-दिन मजदूरों की हालत बिगड़ रही है । उनका रहन सहन और खाने-पीने की हालत गिरती जा रही है । सन् ३९ के मूल्य स्तर पर निम्बकर कमेटी की रिपोर्ट में ३० रुपया मिनिमम वेज रखा गया था । अब सन् ३९ को बेस बना कर इस वक्त की मंहगाई को देखें तो वह ७२२ प्वाइन्ट हो गयी है । इस पर भी हमारा चार्च यह है कि यह आंकड़े भी गलत हैं । इससे भी अधिक मंहगाई है । बाम्बे में इसकी जांच की गयी तो २० प्वाइन्ट कम तथा दिल्ली में जांच की गयी तो १५ प्वाइन्ट कम निकला । लेकिन यह यू० पी० की सरकार इन्क्वयारी कराने को तैयार ही नहीं हुई । अगर इस ७२२ को ही मान लिया जाय तो अभी जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट का बजट पेश हुआ है उससे ५० प्वाइन्ट मंहगाई और बढ़ जायगी । ७० पैसे के सिगरेट का डिब्बा ९० पैसे का हो गया है । ५-६ आना फी गज कपड़ा तेज हो गया है । दिसम्बर में जो फीगर ७४० थी वह जनवरी में आलू की कीमत कम हो जाने से ७२२ हो गयी । इसके अलावा कानपुर में जो राशनिंग होने वाली थी उसको लेकर भी थोड़े दिन अनाज की कीमतों में गिरावट रही । वह दाम अब फिर बढ़ गये हैं । सस्ते गल्ले की दूकानों पर गेंहूं के दाम ४३ से ६० पैसा प्रति किलो और देशी गेंहूं का दाम ८० पैसा हो गया है । इस तरह से ५० प्वाइन्ट अगले माह में बढ़ने वाला है । अगर ७२२ ही लगाते हैं तो ७ गुने से अधिक मंहगाई हो गयी तो २१० रुपया निम्मतम वेतन होनी चाहिये । कपड़ा उद्योग में ५० प्रतिशत न्युट्रेलाइजेशन में यहां १०५ रुपया मंहगाई भत्ता और बिजली के कारखानों मे केवल ४० प्रतिशत ही न्युट्रेलाइजेशन होता है । बिजली प्रतिष्ठानों के लिये सरकार ने सरकारी आदेश दिनांक ६ दिसम्बर, १९४८ को निकाला । क्या राज्य विद्युत् परिषद् इस आदेश का पालन कर रहा है ? नहीं—फिर श्रम विभाग खामोश क्यों बैठा है ? बोर्ड के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं करता ?

अन्य उद्योगों की क्या हालत है ? उनकी तो इससे भी बदतर हालत है । महंगाई भत्ता मिलता ही नहीं । कहीं पर ५० और कहीं पर ४५ रुपये ही तनख्वाह है । सरकारी रिपोर्ट में बीड़ी मजदूरों की तनख्वाह ४० और ४५ रुपये प्रति मास ही है । मिनिमम वेजेज मिलता है, वह १.८७ प्रति हजार के हिसाब से, १.७३ प्रति हजार के हिसाब से और १.७५ और १.६२ प्रति हजार के हिसाब से मिलता है । चमड़ा उद्योग और इंजीनियरिंग में ४५ रुपया प्रति माह है ।

[श्री सन्तसिंह यूसुफ]

वहां पर प्लान्टेशन वालों को एक रुपया रोज, ट्रान्सपोर्ट वालों को २ रुपया प्रति दिन के हिसाब से ५२ रुपया प्रति माह पड़ता है। हम विधायकों को ३०० रुपये प्रति माह मिलता है, तो कहां तो ३०० रु० और कहां पर ५ !

४५ रुपये को अगर हम रिड्यूस करें, १९३९ के मूल्य स्तर पर तो यह ६ रुपये या ७ रुपये माहवार आता है। अन्दाजा लगाइये कि इन के समाजवाद की क्या हालत है। प्राइस लेविल भी आज लगातार बढ़ता जा रहा है। यह १९५७ में ४४८ था, १९६० में यह ४७४ हो गया, १९६५ में में यह ७०७ हुआ और दिसम्बर, १९६६ में यह ७४४ था। अभी थोड़ा घटा है, धन्यवाद दीजिये आलू को। लेकिन आगामी माह में फिर ८०० तक पहुंचने वाला है। दो बातों में एक बात होनी चाहिये। माननीय मुख्य मंत्री जी ने यहां पर कुछ दिन हुये कहा था कि दूकानें खोलेंगे। यदि एक फिक्सड लेविल पर आप सामान दें जैसा कि १९४४ में रेलवे के कर्मचारियों को दिया जाता था तब तो कोई फायदा है वरना मैं तो यही कहूंगा कि कोई फायदा नहीं हुआ है। सिर्फ धोखा है। अगर गवर्नमेन्ट सरवेन्ट ने इन दूकानों का बाई काट किया है और सही किया है। आज ८० न० पैसे प्रति किलो के हिसाब से से देशी गेंहूं बिक रहा है। शुक्लागंज (कानपुर) में गंगापार १ सेर ६ छंटाक का देशी गेंहूं बिक रहा है। अगर २ या ४ नये पैसे का फर्क है तो उससे यह मसला कैसे पूरा होगा ? या तो आप दाम फिक्स कीजिये, जिसे यह सरकार नहीं कर सकती है, या उचित मंहगा बढ़ाकर वेजेज को फिक्स कीजिये। लेकिन अगर वे दाम फिक्स करेंगे तो इसका अगर बिजिनैस मैन के ऊपर पड़ेगा। यह वे नहीं करेंगे क्य कि उनसे उन्हें इलेक्शन के लिये पैसा लेना है। वे आपके दोस्त ह। मैं आपकी डिफिकल्टी को मानता हूं। तो दूसरा एक ही तरीका रह जाता है कि जितने भी मंहगाई के आंकड़े बैठें, उसी हिसाब से उसका शत प्रतिशत युटिलाइजेशन होना चाहिये। यह ही एक रास्ता है।

हमारे माननीय मंत्री जी ने यहां कहा कि पाकिस्तान के हमले की पृष्ठभूमि में यहां झगड़े खत्म हुये। मैं पूछना चाहता हूं कि ये झगड़े किस की वजह से खत्म हुये। ये मालिकों की वजह से समाप्त नहीं हुये हैं, और न सरकार की वजह से। अगर खत्म हुये हैं तो मजदूरों की यूनियनों के कारण समाप्त हुये जिन्होंने देश के प्रति फर्ज को पूरा किया है। मालिकों ने ट्रम एग्रीमेंट में यह वायदा किया था कि हम कोई कारखाना बन्द नहीं करेंगे। मजदूरों ने कहा था कि हम कोई हड़ताल नहीं करेंगे। मैं पूछता हूं कि मालिकों में वायदा पूरा किया ? एक ही उतर है—नहीं। काटेज इंडस्ट्री हैंडलूम की बिलकुल बन्द पड़ी है, मुरादाबाद की बरतन इंडस्ट्री चौपट हो गई, टैक्सटाइल मिलों में से आगरे की मिल बन्द हो गई, हाथरस की मिल बन्द हो गई, लखनऊ की मिल बन्द हो गई, उझियानी की कपड़े की मिल बन्द हो गई और हाथरस की एक मिल ने नोटिस दिया है क्लोजर का २९ मार्च से। फिरोजाबाद के ४० हजार मजदूर झगड़े में पड़े हुये हैं, फिर अगले हफ्ते के अन्दर ७० हजार बेकार होने वाले हैं। कानपुर में म्योर मिल्स ७ हीने से बन्द पड़ी हुई है और विक्टोरिया मिल बन्द होने जा रही है। मेरे पास कल टेलीफोन आया कि विक्टोरिया मिल वाले तनख्वाह देने के लिये तैयार नहीं हैं। वे कहते हैं कि पैसा होगा तो तनख्वाह देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। उसमें झंझट पड़ा है। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी कनटेक्ट स्थापित कर के ठीक करायें वरना विक्टोरिया मिल भी बन्द होने जा रही है। उसके बाद नम्बर कूपर ऐलन का आ रहा है। मालिकों से सरकार का इतना गठजोड़ है कि वे सरकार को कुछ करने नहीं देते। हम पहले वार्न करते हैं कि फलां मिल की हालत खराब होने जा रही है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। औद्योगिक शान्ति समझौते के संबंध में न तो मालिकों ने और न सरकार ने अपने वायदे को निभाया है। यह समझौता एक डेड लेटर है।

समाजवाद का नमूना देखिये कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने हिन्दुस्तान में, राष्ट्रीयता आन्दोलन की मदद से जितना मुनाफा इस देश में कमाया उतना किसी इंडस्ट्री ने नहीं कमाया। उन्होंने क्या किया ? जो मुनाफा कमाया उस से दूसरे कारखाने खोल कर लगा लिये, जैसे मिसाल के लिये लोहे

अल्मुनियम के कारखाने लगा लिये। एक एक टैक्सटाइल मैगनेट ने करोड़ों रुपया कमाया और उस से दो दो चार चार दर्जन इंडस्ट्रीज और लगा लीं, लेकिन टैक्सटाइल इंडस्ट्री में पैसा नहीं लगा ा। जब दुनिया में कपड़े का टेस्ट चेंज हो रहा है तो मारकीन जो १२ आने गज मिलती है उसमें प्र पर फिनिशिंग कर दीजिये तो सेनफोराइज्ड होने पर डेढ़ रु० गज हो जाता है, प्रिन्ट हो जाता है तो छींट के दाम दो, ढाई रुपये गज हो जाता है। तो मालिकों ने न प्रोसेसिंग मशीन लगायी, न फिनिशिंग मशीन लगायी, कोई मनी इनवेस्ट नहीं किया, बल्कि दूसरी इंडस्ट्रीज में मनी इनवेस्ट किया।

हमारी सरकार ऐसी समाजवादी सरकार है कि उनको लोन देती है। मालिकों ने बेईमानी की है, म्योर मिल वालों ने इनकी रिपोर्ट के मुताबिक, मैं चाहता हूं कि वह रिपोर्ट यहां आये। जो कपड़ा इनके पास था उससे ज्यादा इन्होंने बैंक से लोन ले लिया। ६० लाख का कपड़ा था, ७५ लाख का लोन लिया, बैंक को चीट किया, हमको चीट किया। हमारी तीन साल की ग्रेचुयटी नहीं दे रहे हैं और हमारा बोनस पड़ा हुआ है। मिल बन्द हो गई। सरकार ने कहा ६० लाख रुपये सरकार ने उनको लोन दिया और एल० एस० जी० के सेक्रेटरी श्री कपूर को वहां पर ऐडमिनिस्ट्रेटर अप्वाइंट किया और उस के बाद हम से कहते हैं कि हम कुर्बानी करें। ब नस को किस्तों में ले लें। और बाद में १०, १२ साल में जब कारखाना ठीक हो जाय तो उस को फिर पूंजीपतियों को वापस दे दीजिये। यही अथर्टन वेस्ट मिल में हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि सरकारी अफसरों ने हम से कहा कि पेट काट करके कारखाने को चलाओ। हम मजदूर देश के लिये कुर्बानी कर सकते हैं, समाज के लिये कुर्बानी करने को मजदूरों से कह सकते हैं लेकिन बेईमान पूंजीपतियों के लिये कुर्बानी करने को हरगिज हम तैयार नहीं हैं। बेईमान पूंजीपति को प्रासिकूट करना चाहिये।

दूसरा सवाल बोनस का है। बम्बई के अखबार माननीय मंत्री जी पढ़ते होंगे। ढाई लाख मजदूरों की हड़ताल हो रही है। उसके पीछे क्या है? ४ परसेंट बोनस का मामला है। बम्बई के मजदूर कहते हैं कि १६ परसेंट बोनस जो उनको मिलता था उसके स्थान पर वह ४ परसेंट बोनस नहीं मानेंगे। मिल मालिक कहते हैं कि वह ४ परसेंट ही बोनस देंगे। मैं माननीय मंत्री जी से कहता हूं कि वह यहां के मजदूरों को कम से कम ४ परसेंट ही बोनस दिलवायें। वह भी उनको नहीं मिल रहा है। स्वदेशी काटन मिल में ६२ का बोनस नहीं मिला। ६४ का बोनस कानून के मुताबिक ८ महीने के बाद ३१ अगस्त तक मिलना चाहिये था। लेकिन यहां एक, दो नहीं दर्जनों कारखाने हैं जिनमें बोनस नहीं मिला। स्वदेशी काटन मिल का बोनस ६४ का सितम्बर ६५ तक मिल जाना चाहिये था लेकिन नहीं मिला। सरकार के पास आये और उसको दया आ गयी। पूंजीपतियों के लिये इस सरकार को फौरन दया आ जाती है। दिसम्बर तक टाइम दे दिया। रुई उन्होंने दो करोड़ रुपये की खरीद ली लेकिन मजदूर के बोनस के लिये उनके पास पैसा नहीं है और दिसम्बर तक टाइम बढ़ा दिया। लेबर कमिश्नर के सामने मामला पेश हुआ और हम लोगों ने इंसिस्ट किया कि टाइम नहीं बढ़ना चाहिये लेकिन टाइम २८ फरवरी तक मिल गया और अभी झगड़ा चल रहा है। मालूम नहीं दो, चार महीने का टाइम और मिल जाय। जे० के० काटन मिल तथा जे० के० मैन्यूफक्चरिंग मिल ने ६४ का बोनस नहीं दिया। जे० के० काटन का कहना है कि पिछले बोनस में मुजरा कर लिया जाय। मैंने एक सवाल किया था कि जो पोस्टपोन कर दिया गया है। पूरे प्रदेश का सवाल था। बनारस के एक साथी आये हैं। उन्होंने ९१ कारखानों के नाम दिये जिनमें ६४ का बोनस नहीं मिला और झगड़े पड़े हुये हैं। एक चिट्ठी देहरादून से टी गार्डेन वालों से आई और वहां भी १९६४ का बोनस नहीं मिला। दो साल तक सरका मालिक की मदद के लिये टाल सकती है और कानूनन गुंजायश है और बा: में किसी कारखाने पर सरकार दयावान हो तो घुटाला कर सकती है। टी गार्डेन के एम्पलायर्स ने मुनाफा कमाया है और टी गार्डेन्स उन्होंने असाम में खरीदे हैं लेकिन भय यह है कि सरकार उनको छूट देने जा रही है बोनस मत दो। ६८ का भी बोनस ड्यू हो गया और ६४ का मिला नहीं है और मंत्री जा ने कहा कि यह तीर मारा, वह तीर मारा। मायन्बर,

[श्री संतसिंह यूसुफ]

यह मामला इस तरह से चलेगा नहीं। यह बोनस का मामला है। सरकारी कारखानों के बारे में कुछ मत कहिये। मैं जब से वहां आया हूं इस असेम्बली में तब से यह मेरा पांचवा बजट है और मैं परेशान हो गया हूं। जब मैं असेम्बली में नहीं था तो यह समझा करता था कि प्राइवेट कारखानों के मालिक बड़े बदमाश हैं। लेकिन जब मैं असेम्बली में आया तो मुझे मालूम हुआ कि यह इनके भी गुरु हैं। यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का ऐलान है और जितने उसके पब्लिक सेक्टर हैं उन सब में बोनस बांटा भी गया है। इस प्रदेश में राज्य विद्युत् परिषद् ने सिवाय कानपुर के और कहीं नहीं बांटा गया इसके अलावा परिवहन विभाग में नहीं बांटा गया है, गवर्नमेंट प्रिसिजन फैक्टरी और चुर्क सीमेंट फैक्टरी मिर्जापुर में नहीं बांटा है। गवर्नमेंट प्रेस के मजदूरों को नहीं दिया गया है। रोडवेज के वर्कशाप में और एग्रीकल्चर के वर्कशाप्स में जितने मजदूर हैं उनको भी नहीं मिला है। सरकार के लोग तो यह समझते हैं कि जितने सरकारी कारखाने हैं वे सब इससे एक्जेम्पटेड हैं। मिनिस्टर्स को एग्जेम्प्ट कर लीजिये, एम० एल० एज० को कर लीजिये, कोई बात नहीं है लेकिन गरीब आदमियों को कैसे कर देंगे? सब से बड़ा इम्प्लायर स्टेट गवर्नमेंट है। उसे अन्याय नहीं करना चाहिये।

एक बात माननीय मंत्री जी ने और कही। मैं उसे जोर से कहना चाहता हूं कि लेबर डिपार्टमेंट में जो हालत है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा और नाम लेना ठीक भी नहीं है। मेरी कई लेबर विभाग के आफिसर्स से बातें हुई हैं। इन्होंने एक परमानेन्ट कांसीलियेशन बोर्ड बनाया है सरकारी कर्मचारियों के लिये। यह तो जरा बतायेंगे कि उसके पास कितने मुकदमें सरकारी कर्मचारियों के गये। लेबर सेक्रेटरी को उनका इन्चार्ज बना दिया है। केवल एक केस वहां तय हो पाया। कांसीलियेशन और ट्रिब्यूनल के मामलों में दखलंदाजी करना ठीक नहीं है। यह जो आपके आई० सी० एस० और आई० ए० एस० आफिसर्स हैं यह लोग सोच नहीं सकते हैं और मजदूरों से यह लोग बात नहीं कर सकते हैं। हमने श्रम विभाग के आफिसर्स से बात की तो वे बेचारे कहते हैं कि हम क्या करें। आप सीधे मामले चलायें। सरकारी कानून जो इंडस्ट्रियल डिसप्यूट्स ऐक्ट का है वह सरकारी कारखानों पर क्यों नहीं लागू होगा? इस ऐक्ट की सुविधायें सरकारी और अर्ध-सरकारी कर्मचारियों को मिलनी चाहिये, मुताबिक ही कैसे जाने चाहिये। जैसा कायदा है उसी तरह से मामले कांसीलियेशन, एडजूडिकेशन और ट्रिब्यूनल में जाने चाहिये। आपको इस ढकोसले खत्म कर देना चाहिये। मैं बनारसीदास जी से कहता हूं, पर्सनली आपसे कहता हूं कि आप कांससली या अन्कांससली एक गलत मनोवृति फैला रहे हैं। जो गलत मनोवृति आई० सी० एस० और पुराने अफसरों में है, उसको आप दूर कीजिये। मैं यह नहीं कहता हूं कि उनमें सब बेईमानी हैं, उनमें ईमानदार भी हैं, लेकिन ज्यादा संख्या गलत लोगों की है, इसलिये आपको उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिये और उनसे आप कहें कि वह सरकारी कायदे के मुताबिक चलें।

(लाल बत्ती होने पर)

अभी आप हमें १० मिनट का टाइम और दें। आपने अभी से लाल बत्ती कर दी। जितना बनारसी दास जी को आपने टाईम दिया है उतना ही मुझे भी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, १० मिनट आप बोल लें।

श्री सन्तसिंह यूसुफ—

मान्यवर, मंत्री जी ने बिजली के कारखाने के बारे में, उसका जो बोर्ड मुकर्रर किया है, उसके बारे में कहा। मैं पूंछू—कहां है समिति की रिपोर्ट? १९४८ में सरकार ने बिजली मजदूरों के लिये निम्नतम वेतन और मंहगाई भत्ता मुकर्रर किया था और उसके बाद १९५९ में यह इलेक्ट्रिक बोर्ड बनाया गया है। उसके अधिकार क्षेत्र में जो स्थान है उनमें नियमों के लागू होने की समानता नहीं है। एक जगह तो एक कानून लागू हो रहा है

और दूसरी जगह दूसरा कानून लागू हो रहा है। कानपुर में तो बोनस मिला लेकिन बाकी के कारखाने हैं उनके कर्मचारियों को बोनस नहीं मिला।

(इस समय १ बजकर २१ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री चन्द्रजीत यादव, पीठासीन हुये।)

श्री बनारसीदास—

कानपुर में कितना बोनस दिया ? यह आप बता दें।

श्री सन्तसिंह यूसुफ—

यह तो आप बताइये, क्योंकि बोनस देने वाले तो आप हैं। कितना दिया गया इससे मतलब नहीं. यह तो आप स्वीकर करते ही हैं कि दिया गया। अधिष्ठाता महोदय, एक बोर्ड है, उसके मातहत अब सब कारखाने हैं, उनमें से सिर्फ कानपुर में तो बोनस दे दिया, लेकिन और जगह नहीं दिया।

सन् १९६४ में बिजली कारखाने के मजदूरों ने हड़ताल की नोटिस दी, उस पर एक कमेटी बनाई गई, उसने ३ महीने में अपनी रिपार्ट देने का यह वायदा सरकार ने किया था किन्तु अफसोस है कि अभी तक १६ या १८ महिने हो गये हैं, लेकिन उसने अपनी रिपोर्ट नहीं दी है। शायद अभी ४-५ महिने और उसकी रिपोर्ट आने में लग जायेंगे। इस बीच उसने कर्मचारियों की अन्तरिम रिलीफ देने की सिफारिश की, लेकिन वह अन्तरिम सहायता भी इस सरकार ने वर्क चार्जड इम्प-लाइज को नहीं दिया और सरकार खामोश बैठी है। यह बहुत से मजदूर वर्क चार्जड में रखते हैं।

मैं बनारसीदास जी से पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम वह अपनी मिनिस्ट्री काल में इस बीमारी को दूर कर जायें। बीमारी यह है कि नियम है कि २४० दिन जो काम करे, वह परमानेन्ट होता है। लेकिन मालिक किसी के २४० दिन पूरे होने ही नहीं देते हैं। २३९ दिन हुये नहीं कि उन्होंने उनका नाम काटा और नया फार्म भर कर चालू कर दिया। इसका आप कोई रास्ता अवश्य निकालिये। यह हाल सरकारी डिपार्टमेंटों का भी है कि वहां पर १२-१२ साल की सर्विस वाले, जो लगातार काम करते आ रहे हैं, वर्क चार्ज में पड़े हुये हैं या अस्थायी हैं, वह वर्क चार्ज में काम कर रहे हैं और इस तरह से उनको तमाम सुविधाओं से वंचित रखा जाता है। जब कि वह हर दूसरे मजदूर की तरह ही लगातार काम करते आये हैं। पी० डब्लू० डी०, रोडवेज वर्कशाप वगैरह सभी जगह यह रोग फैला हुआ है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि २४० दिन नहीं, आप बढ़ाकर यह समय एक साल या दो साल का रख दें, लेकिन जो उस समय तक परमानेन्ट जगह पर काम करें उनको परमानेन्ट अवश्य कर लिया जाया करे। लेकिन उनके साथ एक तरह का जो अन्याय हो रहा है, वह नहीं होना चाहिये। एक बात और है। श्री वी० के० राव, इंडियन इकानामिस्ट और प्लानिंग कमीशन के मेम्बर हैं, उन्होंने ९ फरवरी, १९६६ के अखबार में कहा है कि व यहां सोशलिज्म का विरोध हो रहा है, कैपिटलिज्म बनाया जा रहा है। जो सरकारी कारखाने हैं उनमें बोनस का मसला है और परमानेंसी का मसला है, इसको कम से कम हल कर दीजिये। अगले चुनाव में भगवान जाने क्या हाल होगा ! न जाने आप चुन कर आयें या न आयें, इसलिए कर जाइये। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट सभी कारखानों पर लागू होना चाहिये सरकारी हों या गैरसरकारी। प्राइवेट एम्प्लायर्स हमको अटैक करते हैं। पक्षपात वाली बात नहीं होनी चाहिये। दूसरी बात यह है कि कर्जा अदा करके जो कारखाना वापस कर देते हैं उनको वापस मत लीजिये। या तो लीजिये नहीं, नीलाम कर दीजिये। आप तो कोआपरेटिव के मिनिस्टर हैं। कोआपरेटिव बेसिस पर चलाइये। इस वक्त म्योर मिल की मार्केट वैल्यू ६० लाख है। आपने पौने दो करोड़ रुपया कर्जा निपटा कर, मजदूरों का खर्चा काट कर, रेशनलाइजेशन और छटनी होने जा रही है, उसके बाद फिर आपने दे दिया। मेरी इन तीन बातों को मानिये। मैं आशा करता हूं कि यह तीन बातें ऐसी हैं जो मानने योग्य हैं।

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस ग्रान्ट की जो ५,४९,८०,६०० रुपये की है, ताईद करने के लिये खड़ा हुआ हूं और जो कटौती का प्रस्ताव है, उसके विरोध में खड़ा हूं। मुझे यह कहने में लज्जा नहीं लगती कि हमरे लेबर मिनिस्टर ने, मैं नहीं जानता उन्होंने कभी लेबर में काम किया है या नहीं, जिस तरह से लेबर के मामलात को हैंडिल किया है उससे मालूम होता है जैसे उनको पहले से लेबर के तजुरबात है। (व्यवधान) जहां अच्छा काम करते हैं वहां तारीफ करना चाहिये, जहां अच्छा काम नहीं होता वहां क्रिटिसिज्म करना चाहिये। बावजूद इसके कि फील्ड में न होते हुये एक शख्स काम को करता है तो इसको मानना चाहिये।

श्रीमन्, हर मुल्क में लेबर जो है, मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। किसान भी लेबर है और कारखानों में काम करने वाले भी लेबर हैं। अगर लेबर की इकानामिक हालत अच्छी है, उसका रहन सहन अच्छा है तो मैं कहूंगा कि वह बहुत तरक्की कर रहा है। मुझे यह शिकायत है कि बावजूद इसके किस हमार युसूफ साहब न कटौती का प्रस्ताव पेश किया और गवर्नमेंट की इस प्लान को क्रिटिसिज्म भी किया है, कहीं कहीं वे इत्तफाक करते हैं लेकिन अफसोस यह है कि जो कांस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना चाहिये जिससे लेबर की वेलफयर हो वह उन्होंन नहीं किया। नीयत सिर्फ यह है कि गवर्नमन्ट को क्रिटिसिज्म करो। गवर्नमेन्ट समाजवाद की तरफ जो कदम बढ़ाती है, उसको क्रिटिसाइज करके विरोधी दल के लोग कहते हैं कि यह समाजवाद नहीं है। इनको खुद नहीं मालूम कि समाजवाद क्या है? तो मैं कहता हूं कि उन्होंनें कांस्ट्रक्टिव सजेशन नहीं दिया। ब्रिटिश गवर्नमेन्ट के जमाने में जो मजदूरों के तवानीन थे उससे यह बेहतरहाल आज है। आज अगर मिल मालिक नाजायज तौर से लबर को निकाल दे, छटनी कर दें तो इसकी फरियाद है। सारा कम्पन्सेशन मिलता है और वह रिइंस्टट होता है। आज मजदूर पहले यह नहीं था। आज मजदूर की माली हालत अंग्रेजों के जमाने से कुछ अच्छी है। जहां सरकार मिल मालिकों की मदद करती है वहां मजदूरों की मदद भी वह करती है। क्रिटिसिज्म तो तकियाकलाम अपोजीशन का हो चुका है चाहे जायज हो या नाजायज। खासकर जब "युसूफ साहब खड़े होते हैं यहां पर स्पीच देने के लिए तो व क्यों नाजायज क्रिटिसिज्म भी करते हैं। इस वास्ते कि इसके अलावा कोई चारा नहीं, उनकी लीडरी कैसे मानी जाय। मजदूरों को डिस्पलिन में रखकर ठीक तरह से काम कराने की जरूरत है लेकिन यह विरोधी दल के बस की बात नहीं। अगर गैरकानूनी तरीके से मिलों में मजदूर काम नहीं करता तो उससे इनडिस्पिलिन पैदा होता है। मैं मजदूरों की निन्दा नहीं करता लेकिन यूसुफ साहब को मिलों में गैर कानूनी हड़ताल करा कर मजदूरों में इनडिस्पिशिन् पैदा नहीं करनी चाहिए। इससे मजदूरों को फायदा तो कोई होता नहीं बल्कि उनको नुकसाल होने का अंदेशा रहता है। मगर युसूफ साहब को इससे क्या मतलब, उनको तो अपनी लीडरी चाहिए।

जहां तक ट्रेड यूनियन का ताल्लुक है, ट्रेड यूनियन लीडरों का मारेली फर्ज है कि उनको डिसिप्लिन में रखें। अगर आप गैरकानूनी स्ट्राइक का नारा उनको देते रहेंगे तो मेरा खयाल है कि देश का हित नहीं होगा। अगर उनके लिये रचनात्मक चीज बतायें उनकी सेहत के बारे में उनकी इकानामिक हालत के बारे में, तो उनको ज्यादा लाभ हो सकता है। मान लीजिये कि एक मजदूर काम करना नहीं जानता है। जब उसको नोटिस मिल जाती है तो वह ट्रेड यूनियन के पास जाता है। उसकी छानबीन किये बिना नेता लोग शोर मचाते हैं कि मिल मालिक नें बड़ी ज्यादती की। आप स्ट्राइक के लिये उसको तैयार कर देते हैं। आप म्योर मिल की बात करते हैं। आप लोगों ने म्योर मिल को बन्द कराया। गवर्नमेन्ट के सामने और चारा नहीं था। ट्रिब्यूनल को भी वही पावर हैं जो आपको हैं। आप आज कहते हैं कि ६ हजार मजदूर बेकार हैं। अगर मजदूरों को बरबाद किया है तो यूसुफ साहब और आई० एन० टी० यू० सी० वालों ने। इनकी ज्यादती की वजह से वे बरबाद हुये हैं वरना वह मिल बन्द नहीं हो सकती थी। सदन में मजदूरों की भलाई की बात करते हैं कि मजदूरों का हित किया जाय। जहां उसका नुकसान होता है वहां पर उसको रोकते नहीं हैं। उस चीज को आप उसे

बतलाते नहीं। तीन आदमी पहले सुपरवाइजरी कमेटी में थे। लेकिन फिर नये लोगों को लाकर रखा गया ताकि अपनी जिम्मेवारी के साथ काम करें। यूसुफ साहब ने कहा कि और जगह २० फीसदी बोनस है और यहां हमको २ फीसदी भी नहीं मिलता है। उनको पता नहीं होगा लेकिन मेरी जानकारी में लाल इमली में बोनस बांटा गया है। लाल इमली में ४ फीसदी बांटा गया है। दूसरी जगह की मैं नहीं कह सकता हूं। यह कहना कि आपने कुछ नहीं किया यह गवर्नमेन्ट पर इल्जाम लगाना है। ऐसे मिल मालिक हैं जिन्होंने ४ फीसदी दिया है। यह गलत इल्जाम है।

मैं कुछ निवेदन आई० टी० आई० के बारे में करना चाहता हूं। वह एक ऐसी संस्था है कि जहां पर नौजवान बच्चे टेक्नीकल ट्रेनिंग लेकर अपनी रोजी कमाने का जरिया बनाते हैं और अपनी रोजी पैदा करते हैं। सरकार को इस बात की तारीफ करनी चाहिये कि सरकार ने आई० टी० आई० हर एक जिले में खोल रखे हैं ताकि जो नौजवान नौकरी तलाश करते थे, उस तरह से उनको भटकना न पड़े बल्कि हर आदमी टेक्नीकल ट्रेनिंग लेकर देश की पैदावार बढ़ाये और देश तरक्की करे। आपने इस बात को नहीं कहा कि लेबर डिपार्टमेन्ट ने इस आई० टी० आई० को खोल रखा है। आपको वे बातें भी कहनी चाहिये जिससे देश की तरक्की हुई और हो रही है। आपको इन बातों की तारीफ करनी चाहिये। मैं सरकार से यह कहूंगा कि जैसा हमारे कानपुर में आई० टी० आई० है। मैं उसका चेयरमैन हूं और उसकी सब हालत से वाकिफ हूं।

मैंने सरकार से कई बार कहा कि ऐसी ट्रेडस् हमारे यहां हैं कि जो ठीक नहीं हैं। दूसरी ट्रेड्स भी होनी चाहिये। मैंने स्टेनोज के लिये और दूसरी चीजों के लिये लिखा कि अगर उनके क्लासेज खोल दिये जांय तो बहुत अच्छा है क्योंकि कारखानों और दफ्तरों में स्टेनोज की बहुत आवश्यकता रहती है। इसलिये सरकार से मेरी इल्तजा है कि वहां स्टेनोज के क्लासेज खोल दिये जांय।

दूसरे आप आई० टी० आई० के लिये ज्यादा से ज्यादा पैसा मंजूर करें क्योंकि इनमें हमारे बच्चे ट्रेनिंग लेते हैं और टेक्नीशियन बन कर काम करते हैं। कानपुर में तो जो बच्चे ट्रेनिंग पाते हैं, उनको सीधे मिलिटरी ले लेती है और उनको २५० रु० माहवार मिलता है। लेकिन इसका मतलब यह है कि वे ट्रेनिंग लेकर केवल नौकरी ही कर सकते हैं। वे अपना निजी कारखाना भी खोल सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। उनकी उचित सहायता का प्रबन्ध सरकार को करना चाहिये ताकि अगर वे चाहें तो बिना नौकरी किये अपने पैरों पर खड़े हो सकें।

मैं दो तीन बातें और कहना चाहता हूं। विक्टोरिया मिल के बारे में कहा गया कि वह बन्द होने जा रही है अर वहां मजदूरों को एक महीने की तनख्वाह नहीं मिली। मैं सरकार से चाहूंगा कि वह इसलिये फौरन ऐक्शन ले और विक्टोरिया मिल के मालिकों से मजदूरों को फौरन तनख्वाह दिलावें। इस महंगाई में अगर मजदूर को तनख्वाह न मिले तो वह कैसे काम कर सकता है? इसलिये मैं समझता हूं कि सरकार को जल्द से जल्द इसका बन्दोबस्त करना चाहिये।

मजदूरों की जो हालत गिरती जाती है, उसके भी कारण हैं। दूसरे नेता लोग ट्रेड यूनियन्स में काम करते हैं और उनको बहुत तरह से सब्जबाग दिखाते हैं और उसके लिये स्ट्राइक की तरफ उनका ध्यान दिलाया करते हैं। स्ट्राइक तो मजदूर का आखिरी हथियार है। जब मजदूर को सब तरफ अंधेरा नजर आये और उसके पास कोई चारा न रह जाय तब उसे स्ट्राइक का सहारा लेना चाहिये। लेकिन हमारे यहां मामला उल्टा है। नेता लोग हर जरा सी बात में स्ट्राइक करवाने को तैयार रहते हैं और इसका ही नतीजा है कि मजदूर की हालत गिरती जाती है और कारखाना भी तबाह हो जाता है। मैं अपने विरोधी नेताओं से कहूंगा कि वे स्ट्राइक

[श्री एस० जी दत्त]

से परहेज करें और मजदूरों को हालात के मुताबिक चलने दें। तभी कारखाने बन्द नहीं होंगे और दूसरे मामलात भी सही तरीके से चलते रहेंगे। आज जो ट्रेंड है स्ट्राइक का वह नहीं रहना चाहिये। इससे देश का नुकसान ही होगा।

मैं गवर्नमेन्ट का शुक्रगुजार हूं कि उसने ओल्ड एज पेन्शन में कुछ इंक्रीमेंट किया है और ऐसा इंतजाम किया है कि बूढ़ों को अच्छी तरह से पेंशन मिल सकती है।

दूसरे, स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेन्ट के बारे में एक बात है। मेरा भी खयाल है कि जो आंकड़े दिये जाते हैं वे गलत होते हैं। मेहरबानी करके आप इस डिपार्टमेन्ट को देखिये कि उसे गलत आंकड़े नहीं देने चाहियें और मजदूरों को सही तरीके से महंगाई भत्ता मिलना चाहिये। मैं समझता हूं कि उनकी पीछे से चाभी खींची जाती है जिसके कारण ही आंकड़े वे सही नहीं दे पाते। इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये।

इन शब्दों के साथ में इस कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कामरेड यूसुफ ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, अपनी पार्टी की ओर से उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं सोच रहा था कि क्या कहूं।

दिल में आता है लगा दूं आग कोहेतूर पर,
खयाल आता है कि मूसा लावतन हो जायगा।

महात्मा गांधी, डाक्टर लोहिया का बतलाया हुआ अहिंसा और जनतंत्र का रास्ता और वहां यह सरकार! मैं कामरेड यूसुफ की बात सुन रहा था और उससे किस नतीजे पर पहुंचा यही बात कहना चाहता हूं। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इस मामले में न म्योर मिल के मालिकान, टाटा बिरला दोषी हैं और न वहां की सुपरवाइजरी कमेटी दोषी है तो यह उत्तर प्रदेश की सरकार और कोई मुलजिम नम्बर वन है, जिसको उत्तर प्रदेश की जनता को फांसी पर लटकाना चाहिये तो वह इस सरकार के श्रम मंत्री हैं। म्योर मिल के मालिकों ने मजदूरों की छटनी कर दी जब तो मंत्री जी के यहां रोज हमारे डेपुटेशन आते थे और मंत्री जी खूब उनसे प्रेमालाप करते थे, मंत्री जी मुहब्बत फरामने में काफी माहिर हैं, अब उनमें से ७०० को निकाल दिया गया। अगर म्योर मिल के मजदूर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चले जायं रिट ले कर तो सब ठीक हो जायगा और बेकारी का भत्ता भी देना पड़ेगा। अब हमारे ग्राइस साहब कहते हैं कि ७०० मजदूरों की हम और छंटनी करेंगे। अब राष्ट्रीयकरण हुआ म्योर मिल का। इसी तरह से अर्थटन वेस्ट मिल का राष्ट्रीयकरण हुआ। पुनः अगर ऐसा ही होता रहा तो खुदा हाफिज। मंत्री जी इस विभाग को सम्हालें।

कामरेड दत्ता ने एक बात ठीक कही। कहा कि महंगाई के आंकड़े बनाने में विभाग पंचर ठोंक देता है। अगर सरकार कोई कदम उठाना चाहती है तो पहले कपड़ा और चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जाय तथा जूट मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जाय। जब तक आप यह नहीं करेंगे तब तक देश का, प्रदेश का जो लाखों मजदूर आप के नाम को रो रहा है, और जो उस के आश्रित हैं, जो रो रहे हैं और कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर की खोलियों में किसी तरह अपनी जिन्दगी गुजार रहे हैं, उनके लिये आप जिम्मेदार हैं। उनकी आग में आप जल उठेंगे और उसके लिये आप को कोई माफ नहीं करेगा। उग्रसेन असेम्बली में नहीं आयेगा, यह संभव है लेकिन यह सरकार चली जायगी मजदूरों की आहों से अब सत्य है। जूट मिलों के मामले को देखिये। जूट वेज बोर्ड बना, इसे मंत्री जी जानते हैं। लेकिन वेज बोर्ड लागू है और माहेश्वरी जूट मिल में मजदूरों को १५ दिन से तनख्वाहें नहीं मिली हैं। वह बंद है। बिजली के लिये उन्होंने बहुत धीरे से कहा कि अभी रिपोर्ट निकली ही नहीं। हजारों, लाखों रुपया-

खर्च हो गया, लेकिन रिपोर्ट दबाये बैठे हैं। यह सरकार रिपोर्टों को दबाये बैठी रहती है। अगर मैं कहूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार रिपोर्टों की सरकार है समस्यावार कायर सरकार है, समाधान सरकार है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या समस्या पैदा कर दी? समस्या पैदा कर दी कि बोनस का एक कानून आयेगा। चार फीसदी बोनस दिया जाय, लेकिन पूछिये कि चीनी मिलें बोनस दे रही हैं। वहां मजदूरों को बोनस नहीं मिल सका है। आप के विभाग की रिपोर्ट में क्या लिखा है इसे देखिये। यह वह भूसा है जिसे कागजी बैल खाता है। इसमें ही लिखा है कि "आलोच्य वर्ष में बोनस भुगतान के लिये १४२ दरख्वास्तें आयीं जिनमें ९० की अवधि बढ़ा दी गयी और दो को अस्वीकृत कर दिया गया और ५० आवेदन पत्रों पर ३१-१२-६५ को आदेश होने बाकी थे। ३११ में से १४२ की अवधि बढ़ा दी कि बोनस आगे देंगे। बोनस देने के लिये यह किया है आप ने। चीनी मिलों के बोनस का क्या हुआ? उसके लिये आपने एक कमेटी बना दी। उन मजदूरों का करीब १ करोड़ ४७ या ५० लाख के करीब बोनस आता है। उस उद्योग में ८० हजार मजदूर हैं। उनके लिये आपने एक कमेटी बना दी जिसमें काशीनाथ पांडेय तो जरूर होंगे। उसका बोनस गये साल ६९ लाख था, इस साल कम हो जायगा। आधा बोनस यह लोग बांट कर खा गये।

खड्डा चीनी मिल, देवरिया की एक रानी है जो नैपाल को चीनी भेजती है। उस के मिल को हम कहते हैं कि ले लीजिये तो कहा जाता है कि कैसे लें। मैंने कहा कि उसके बदमाश मैनेजर को डी० आई० आर० में ला कर मुकदमा चलाइये, तो कहते हैं कैसे करें? मैंने कहा कि श्रमिक संघ के राकेश चतुर्वेदी को तो आपने उसकी जगह से उखाड़ कर कानपुर भेज दिया, उन पर आपने डी० आई० आर० क्यों लगाया, तो यह इनका हाल है। तो कपड़े मिल की बात में क्या कहूं? कानपुर में एक चमड़े की टैनरी—मार्डन यूनियन टेनरीज के नाम से है जिसके १५० हजार मजदूर बोनस के लिये उस टेनरीज के मालिकान से बातचीत कर रहे हैं। पहले तो मालिकान ने उस टेनरीज को ही बन्द कर दिया और परसों मजदूरों पर लाठी चार्ज करवा दिया। अब खुदा ही हाफिज है उन मजदूरों का। आखिर माननीय मंत्री जी उन मजदूरों को बोनस क्यों नहीं दिलवाते हैं। कपड़े मिल को ले लें, जूट मिल को ले लें, चीनी मिल को ले लें, हर जगह काम करने वाले मजदूरों की यही हालत है। उस टेनरीज में जो १५० मजदूर काम करते हैं उनमें से ७५ मजदूरों की एक लिस्ट दे दी मालिकान ने कि हम इनको निकाल रहे हैं। मालिकान की यह हिम्मत कि वे मजदूरों को निकालने की लिस्ट दें सरकार को। मैं कहता हूं कि माननीय सम्पूर्णानन्द जी जब ४८-४९ और ५०-५१ में श्रम मंत्री थे तब मिल मालिकान उनसे डरते थे लेकिन आज तो माननीय बनारसी दास उनके नौकर हैं, वे उन्हीं के कहने पर चलते हैं। लक्ष्मी चन्द अग्रवाल जिसने एक करोड़ का सीमेंट व सामान कच्छ चौकियां बनवाने के लिये चोरी से भेज दिया था उसकी जमानत माननीय बनारसी दास ने करायी और उसको छोड़ दिया गया। इस तरह से ये तो मिल मलिकों के नौकर हैं, फिर ये मजदूरों की बात क्या कर सकते हैं? माननीय मंत्री जी, आपको मैं बतला दूं कि अगर आपने उनके मामले को सही ढंग से तय नहीं किया तो कपड़े मिल, जूट मिल तथा टेनरीज के सब मजदूर बहुत जल्दी हड़ताल करने वाले हैं। आपने मजदूरों के हित की कोई बात नहीं की है। इसीलिये मैं कहता हूं कि इस सरकार की श्रम नीति बिलकुल पूंजीपतियों की चेरी है। हमसे कहा गया है कि हमने श्रम कानून बना दिया है। पहले एक न्यूनतम वेतन कानून बना था उसके बाद उस पर एक कमेटी बनाई गयी लेकिन पता नहीं उसरिपोर्ट का क्या हुआ। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा वाली बात इस सरकार की है। खोदा पहाड़ और निकली चुहिया! भदोही, मिरजापुर और वाराणसी के कालीन बुनकरों के ऊपर भी बोनस का कानून लागू है लेकिन उसके उन पर लागू करने के लिये सरकार की तरफ से कुछ प्रयत्न नहीं किया गया है! इसकी वजह से उन मजदूरों में काफी असन्तोष है। आपको मालूम होना चाहिये कि अगर उनको आपने बोनस नहीं दिलवाया तो बहुत जल्दी ही कपड़ा उद्योग में लगे हुए ४०-५० हजार मजदूर, जूट उद्योग में लगे हुए १२-१४ हजार मजदूर बहुत जल्दी ही हड़ताल करेंगे क्योंकि उनके सामने कोई चारा नहीं है कि वे संघर्ष पर न जायं।

चीनी मिल मजदूरों के बारे में तो पांडेय जी बतलायेंगे। अब इन मिल मालिकों ने एक नया तरीका यह निकाला है कि किसी मजदूर को यह कह कर रिटायर कर देते हैं कि तुम्हारी उम्र स्कूल में इतनी लिखी है इसलिये तुमको रिटायर किया जाता है और ग्रेचुइटी तुमको बाद में भेज दी जायगी। इसका नतीजा यह है कि ८० हजार मजदूरों में करीब ७–८ हजार मजदूर इसके शिकार हैं, कपड़ा मिलों के भी मजदूर इसके शिकार हैं। उम्र के नाम पर तो उनको रिटायर कर दिया जाता है लेकिन यह सरकार जो अपने को माडर्न एम्पलायर कहती है, उन मजदूरों के लिये कुछ कर नहीं पाती। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वे सचेत हो जांय कि आपकी श्रमिक नीति मजदूरों के हित में नहीं है। होटल, प्रेस–धातु, रसायन के लिये मजदूरों के लिये सन् ६५ में एक कमेटी बनी थी कि उनके वेतन का पुनर्वीक्षण किया जाय लेकिन मालूम नहीं उसका पुनर्वीक्षण किया भी गया या नहीं। इससे लाखों आदमी प्रभावित हुए हैं लेकिन अभी तक उन पर सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं हुई है। तो निजी क्षेत्र की यह हालत है। सार्वजनिक क्षेत्र में भी जिसकी हमारी सरकार माडर्न इम्पलायर हैं, मजदूरों की बड़ी बुरी हालत है। परिवहन विभाग में १६ साल से यह होता आ रहा है कि १६ हजार मजदूरों में से ८१२० पोस्ट्स टी० सी० सैंक्शन्ड हैं यानी १ ली अप्रैल को उनकी सर्विस हरसाल शुरू होती है और ३१ मार्च को अपने आप समाप्त हो जाती है। यह बड़ा भारी मजदूरों का सवाल है। इस सवाल को हल करने के लिये सरकार असफल रही है। हमारे यहां वाराणसी रीजन में एक मजदूर को मेडिकल लीव दी गई सवेतन पर, दो साल बाद हुक्म आया कि आपकी छुट्टी बिला वेतन के हो गई। इसी तरह से कन्डक्टर्स का भी यह हाल है। एक बार हुक्म आया इन कन्डक्टर्स के लिये कि आप क्वालिफाईड मान लिये गये और फिर हुक्म चला गया कि अब आप क्वालिफाइड नहीं है। यह माडल एम्प्लायर हैं। चूर्क सीमेन्ट फैक्टरी के मजदूर बोनस के लिये लड़ रहे हैं। मान्यवर, वहां हड़ताल निश्चित होगी अगर वहां बोनस नहीं दिया गया तो। इसी तरह बिजली के मजदूर भी भूखों मर रहे हैं। जो प्राइवेट मिल मालिकान हैं कपड़े के साहूपुर में उसका बोनस नहीं मिला। हमारी सरकार ने एक करोड़ सैंतालीस लाख रुपया कर्जा दिया है परन्तु मैं समझता हूं कि उनसे सत्तर लाख भी वसूल नहीं होगा। करीब चालीस करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश के पूंजीपतियों पर बकाया है। जब उन पूंजीपतियों पर करोड़ों रुपया इस सरकार का बकाया है तो ये मजदूरों की मांग दिलायेंगे उनसे कह कर। यह बिल्कुल असम्भव बात है। इसी तरह से माटिन बर्न को भी सरकार ने कर्जा दिया है।

श्रीमन्, पहली योजना में मजदूरों के मकान २ हजार बनाने के लिये प्राविजन किया गया, दूसरी में ३ हजार और तीसरी में २३९८ मकानों का प्राविजन किया गया। इनमें बने हुए कितने हैं? केवल ७८ और आवंटित निल। २३९८ में एक भी मजदूरों को नहीं मिला। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, वाला तरीका हो रहा है।

मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके प्रदेश में साठ वर्ष से ज्यादा कितने हैं, कितने भिखमंगे और कितने अपाहिज हैं। उनके लिये आपने बीमा योजना लागू की है? आपकी वेतन अभिनवीकरण समिति बनी, उसने क्या किया? अढ़ाई लाख कर्मचारियों ने वेतन नहीं लिया। मैं तो उन कर्मचारियों से कहना चाहता हूं कि जब तक आप काम बन्द नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। बंगाल की गवर्नमेन्ट ने महंगाई भत्ता बढ़ा दिया। यहां के कर्मचारियों की भी मांग है कि उनका महंगाई भत्ता केन्द्र की तरह ७४४ आंकड़ों पर बढ़ाया जाय पर आपने एक भी पैसा उन्हें नहीं दिया है। सारे सरकारी कर्मचारी तबाह हो रहे हैं। मैं तो श्रीमन् यह चाहता हूं कि जो आप श्रम कानून बनाते हैं वे राजकीय कर्मचारियों पर भी लागू हों। आज यह सरकार की छिपी हुई योजना है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना लागू करते तीस हजार कर्मचारियों को निकाल दे। मुख्य मंत्री गलत बताती हैं कि उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी सैक्रेटेरिएट से कई कर्मचारी निकाले गये हैं पर सरकार की कान पर जूं नहीं रेंगती है। इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार जो भी श्रम कानून बनाये वह सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू हों।

माननीय बनारसीदास ने कोआपरेटिव कानून पास करवा लिया, वह अधिनियम बना दिया गया, मगर बैंक के कर्मचारियों पर उसको लागू नहीं किया गया, सरकार ने कहा कि वह खुद उनके केस को देखेगी। क्यों? आज प्रदेश के ५ लाख सरकारी कर्मचारी रो रहे हैं। मुख्य सचिव श्री के० के० दास ने दो जी० ओ० निकाल दिये, एक तो यह कि १० फीसदी कर्मचारियों की छटनी होगी, दूसरा ५० फीसदी चपरासी कम होंगे, और वह छटनी शुरू हो गयी। यह सब क्या तमाशा है? क्या इसी से आप माडेल कर्मचारियों की रूप रेखा हमारे सामने रखना चाहते हैं? आज बिड़ला, टाटा, सिंघानिया की एक तरफ आमदनी देखिये, दूसरी तरफ गरीब खेतिहर मजदूर की हालत को देखिये जिसे भरपेट रोटी तक नहीं मिलती और बिड़ला डेढ़ लाख रुपये रोज कमाता है। हम शुरू से कहते आये हैं कि सरकार कपड़े, चीनी, चमड़ा आदि उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करें। मगर सरकार हमारी नहीं सुनती। मैं भी एक वजीफा कमेटी का मेम्बर आई० टी० आई० में हूं। कमेटी के सामने माननीय रामायण राय के क्षेत्र का एक रामानन्द, ग्राम महुआरी (देवरिया), नाम का लड़का आया। उसने अपनी स्थिति बयान की कि उसका बाप किसी पंडित के यहां ९ साल से बन्धक है तथा उसकी मां ३ साल से बंधक है क्योंकि उसके बाबा ने उससे १,७०० रुपये का कर्जा ले रखा था। देवरिया, गोरखपुर, बलिया आदि जिलों की जहां यह हालत हो, जहां के खेतिहर मजदूरों को पूरी मजदूरी न मिलती हो, ४ आना रोज जहां मजदूरी मिलती हो, वहां की क्या हालत होगी? आप उनके साथ अफ्रीकियों और नीग्रो जैसा बर्ताव करना चाहते हैं? मान्यवर, गांधी जी के नाम पर यह बड़ा भारी कलंक है। जब तक सरकार हमारी पार्टी की नीति को नहीं अपनायेगी, प्रदेश और देश का भला हो नहीं सकता। सोशलिस्टों का यही तकाजा, १०० से कम न हजार से ज्यादा। आप सोशलिस्टों के नारों को अपनाइये। तभी देश और प्रदेश का भला होगा। निवेदन है कि जब तक जनसंघ, स्वतंत्र, कम्युनिस्ट सभी पार्टियां एक होकर श्रमिकों के संघर्ष की अगुवाई नहीं करेंगी, तब तक श्रमिकों का भला नहीं होगा। यही मुझे निवेदन करना था।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय श्रम मंत्री जी ने जो अनुदान प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। पूंजी और श्रम का बड़ा घनिष्ठ संबंध है। मैं समझता हूं कि वह पूंजी चाहे निजी क्षेत्र में हो, चाहे सार्वजनिक क्षेत्र में हो, अगर वह बढ़ती है तो उससे अवश्य प्रदेश और देश को लाभ होगा। आवश्यकता इस बात की है कि जो भी हम अपनी योजनायें बनायें, नियम आदि बनायें, वे हमारे लक्ष्य के मुताबिक हों, जब ऐसा होगा तभी कुछ लाभ होगा, वरना समाज का जो स्वरूप हमने खींचा है वह निखर नहीं सकता। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब आप समाजवाद का नाम लेते हैं तब आप समाजवाद की मान्यताओं को मानना चाहते हैं, और कांग्रेस की कमेटियों में प्रस्ताव पास करते हैं, तो यह भी आपको देखना होगा कि उस समाजवाद की रूपरेखा को आपने कहां तक निभाया है, कहां तक कानून–कायदे के जरिये आपने कर्मचारियों को राहत पहुंचाई है, कहां तक आपने उन मजदूरों को राहत पहुंचाई है जो विभिन्न कल-कारखानों में काम करते हैं, चाहे वह सरकारी क्षेत्र में हों या गैर सरकारी क्षेत्र में हो आज आप विवेचना करिये कि आपका कानून इस देश को और प्रदेश को कहां ले जा रहा है। जिस श्रम कानून में श्रमिक को न्याय नहीं मिल सके वह कानून श्रमिकों के लिये बनाया हुआ कहा जा सकता है? आपने कंसीलियेशन बोर्ड बनाये कि मजदूर अपनी मांगों को रखें, मालिक अपनी मांगों को रखे, चाहे वह निजी क्षेत्र का मामला हो या सार्वजनिक क्षेत्र का केस हो और उसके बाद कंसीलियेशन अफसर उन मांगों को देखेगा। देखने के बाद उसकी ड्यूटी है कि वह मालिक मजदूर में समझौता करावे और यदि समझौता नहीं होता है तो वह मामले को लेबर कमिश्नर को भेज दे कि आप इन सब चीजों को देखकर कम्पलसरी एडजुडीकेशन, या रेफरेंस कीजिये या डिपोजिट कीजिये।

आपने एक जगह तो समझौते की बात कही और दूसरी तरफ उस कंसीलियेशन असफर से कहा कि तुम सीक्रेट रिपोर्ट लिखो, यह नहीं कहा कि मालिक या मजदूर ने क्या कहा, बल्कि

[श्री नरसिंहनारायण पांडेय]

कान्फीडेंशल रिपोर्ट अपने विचारों की भेजी और उसके बाद लेबर कमिश्नर साहेब, जो कि सारी गद्दी के मालिक हैं, वह तय करेंगे कि इस मामले को एडजुडिकेशन में रेफरेंस किया जाय या नहीं। जितने भी मामले कंसीलियेशन बोर्ड द्वारा तय किये गये लेबर कमिश्नर के पास, अगर उनके आंकड़े को देखें तो आप यह पावेंगे कि जितने मजदूरों की तरफ से या सही यूनियन की तरफ से रेफर किये गये वे एडजुडिकेशन को रेफर नहीं किये गये; और जो फर्जी फेडरेशन और यूनियन बनाया बैठा हुआ है उसके मामले कंसीलियेशन बोर्ड को रेफर किये गये हैं। सहजनवा जूट मिल का १ हजार मजदूर एक पोस्ट कार्ड के ऊपर निकाल बाहर कर दिया गया। हाई कोर्ट में जब मामला गया तो माननीय जस्टिस धवन ने लिखा कि कंसीलियेशन अफसर को कोई अधिकार नहीं है कि वह सीक्रेट रिपोर्ट दे, ये सब टर्मिनेशन इल्लीगल हैं और ये मजदूर कंपसेशन के मुस्तहक हैं और इनको नौकरी में बहाल करो। कानून का नुक्ता आज सारे लेबर मूवमेंट को कहां ले जा रहा है? माननीय मंत्री जी का श्रम विभाग सोया हुआ है। वह आपके अकीदों को कार्यान्वित नहीं कर रहा है। चीनी मिल के मजदूरों के लिये वेज बोर्ड बना। उसकी अनामलीज की बात क्या कही जाय? आज भी हजारों केस फिर मैन चीनी मिल मजदूरों के पड़े हुए हैं। आपने क्या कोई ऐसी व्यवस्था की है कि मजदूरों का भला हो सके? आपके पास क्या जवाब है? सिविल सर्जन के सर्टीफिकट की बात कही जाती है; उसके बाद भी मजदूर नौकरी में बहाल नहीं किया जाता है चूंकि मालिक नहीं चाहता है। आप इस कंसीलियेशन बोर्ड को अबालिश कीजिये अगर वह सही तरीके से मजदूरों का काम नहीं कर सकता है। आपके लेबर अफसर हर फैक्ट्री में बैठे हुए हैं। आप उसका एप्वाइंटमेंट करते हैं और तनख्वाह देती है मिल, यानी मिल मालिक, एक तो अनामली यह है। वह मिल-मालिक का नौकर है और सरकार के दफ्तर में लेबर अफसर बना हुआ है। उसका फर्ज है कि उस फैक्ट्री में बैठकर मजदूर और मालिकों में समझौता करावे। लेकिन यह वह नहीं करता और मिल मालिक के लाभ को ही देखता है। कंसीलियेशन आफिसर तो लाखों रुपया रेफरेंस के मामले में बना लेते हैं। हमारे यहां रीजनल कंसीलियेशन अफसर हैं एक श्री कुलश्रेष्ठ। इसके बावजूद कि उनके बारे में स्ट्रिक्चर्स पर स्ट्रिक्चर्स होते चले जा रहे हैं लेकिन वह वहां से कहीं नहीं हटाये जा सकते, क्योंकि उनका किसी न किसी बड़े नेता से ताल्लुक है। (श्री कृष्णानन्द-राय के कुछ कहने पर) माननीय कृष्णानन्दजी अगर लेबर में काम किये होते तो मेरी ही बात कहते। मैं आपसे दावे के साथ कहता हूं कि आप लेबर कमिश्नर के किसी भी अफसर की माली हालत की जांच करा लें, तो आपको मालूम हो जायगा कि नौकरी में आने के पहले और आज क्या हालत है।

आज सवाल यह नहीं है कि आप न्याय दे पाते हैं या नहीं मजदूर को। सब से बड़ा सवाल यह है कि मजदूर जा कहां रहा है। राष्ट्र के ऊपर आपत्ति आई तो बेचारा मजदूर खड़ा हो गया कि कोड आफ कांडक्ट के मुताबिक मालिक और मजदूर में अच्छे सम्बन्ध होने चाहिये। जरा सरकार बतावे कि बोनस के बारे में जूट वेज-बोर्ड का क्या फैसला हुआ। क्या आप बता सकते हैं कि सहजनवां जूट मिल पर वह फैसला और महेश्वरीदेवी जूट मिल पर लागू हो गया? अगर नहीं हुआ, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? कितनी ट्रिपार्टाइट कमेटीज आप बनाते हो? मजदूरों के प्रतिनिधियों को, चाहे इधर के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले हों, जो सही तरीके से मदूरों की नीतियों को प्रतिपादित कर सकते हैं, उन्हें आप क्यों नहीं रखते हैं? अगर आप चाहते हैं कि मजदूरों के साथ न्याय हो, आप एक बार रैफ्रेंडरेंडम कराएं और उसमें जो फेडरेशन हार गया उसके रिप्रेजेंटेटिव और प्रतिनिधि आप ट्रिपार्टाइट और लेबर कान्फ्रेंसेज में क्यों बुलाते हैं? एक तरफ तो मैकेनाइज्ड उद्योगों के मजदूरों को आप न्याय नहीं दे पाते हो और दूसरी तरफ लाखों बे खेतिहर मजदूर हैं जिनको कोई पूछने वाला नहीं है। बेचारे गांवों में काम करते हैं, २, ४ आने रोज कमा लेते हैं, रियाया की तरह से रहते हैं। बड़े-बड़े जमींदार जो आजकल सीरदार हो गये हैं उनके सहारे गोबर का आटा उनको खाने को मिलता है। आज माननीय गेंदासिंह जी के डिपार्टमेन्ट में बड़े-बड़े फार्म हैं। वहां के लेबर

के लिये कोई कानून आपने प्रतिपादित किया ? अगर किया तो वहां क्या मजदूरी मिलती है ? आज खेती को हमारी सरकार उद्योगों के समकक्ष लाने जा रही है, उसे अधिक महत्व दे रही है, तो उस ८० फीसदी जनता को, उन करोड़ों मजदूरों को, जो आज गांवों में पड़े हुए हैं, उनकी भी कभी आपने खबर लेने की कोशिश की ? यदि नहीं की है तो यह समाजवादी विचारधारा नहीं है। आप यह समझिये कि यह विचारधारा आप को कहां ले जायगी। जो सरकार मजदूरों की जिन्दगी को नया जीवन नहीं दे सकती, उसका उनके लिये कुछ कहना केवल नारे मात्र हैं।

दूसरी बात यह है कि इस सब का कारण है। जिलों से जो रिपोर्टें आती हैं उन्हीं के ऊपर यह सारा लेबर का कानून बनता है क्योंकि जो सब से बड़ा हमारा अफसर है वह लखनऊ में बैठा रहता है। वह गांवों की हालत और कारखानों की हालत को जानता नहीं है। लेकिन आप तो उनकी नीतियों का मार्गदर्शन करते हैं। आपकी नीतियां ऐसी होनी चाहिये जो हमारा सही मार्गदर्शन कर सकें। जिस जनता के द्वारा हम चुने जाकर यहां बैठते हैं, यदि हम उसको लाभ न पहुंचा सके, यह जनता के लिये अच्छा नहीं, इससे तो यह अफसरशाही बढ़ेगी। आफिसर जैसा चाहेंगे, मसविदा बनायेंगे और आपके सामने रखेंगे और उस मसविदा या कानून में एक नुक्ता भी आप इधर उधर नहीं कर सकेंगे। अगर आप को इस देश को समाजवाद की ओर ले जाना है, यदि आप चाहते हैं कि देश के अन्दर चुनी हुई सरकार रहे, अगर आप चाहते हैं कि देश के उद्योग धंधों का सही तरीके से नेशनलाइजेशन हो, तो आप को यह करना ही पड़ेगा।

मैं एम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। इसकी हालत बड़ी खराब है। करोड़ों मजदूर गांवों में रहते हैं। लेकिन एम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज हर जिले में एक खोल दिया गया है जो केवल शहरों के कल कारखानों से ही अपने को संबंधित समझता है। देहात की उसके पास कोई फिगर नहीं होती। इसके अवाला वहां घूस का बाजार बहुत गरम है। वहां से वही नौकरी पाते हैं जो दफ्तर के बाबुओं की जाकर जी हुजूरी करते हैं। बहुत से ऐसे भी डिपार्टमेंट हैं जो डायरेक्ट एम्प्लायमेंट कर लेते हैं और एम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज को पता भी नहीं देते हैं। मैंने दो साल पहले यह सुझाव दिया था कि ब्लाक स्तर पर एम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज खोले जायं। हर गांव सभापति जो बी० डी० सी० का मेंबर है उसको यह मालूम होना चाहिये कि गांव में कितने पढ़े लिखे हैं, और कितने अपढ़ ऐसे हैं जो दूसरे स्थानों पर कारखानों में काम कर रहे हैं, कितने आई० टी० आई० पास हैं लेकिन बेकार हैं, कितने टीचरों को उनको आवश्यकता है आदि-आदि। और जिले का एक्सचेंज ब्लाक के एक्सचेन्ज से लोगों को मांगें और उनको अपनी काबलियत के अनुसार नौकरी दिलायें। यह कोई समाजवादी तरीका नहीं है कि जिसके पास पैसा है वही नौकरी पाये। इसमें भी आपको डिसन्ट्रैलाइजेशन करना होगा। ब्लाक स्तर पर आप को एक्सचेन्ज कायम करने होंगे। तभी आप सही तरीके से एम्प्लायमेंट की प्रोब्लम को मीट कर सकते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे सही तरीके से अपने यकीदों को कानून में ढालें, तभी आप सफल हो सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यहां पर माननीय यूसुफ जी की ओर से जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है, मैं उसका समर्थन करता हूं। वैसे तो इस विभाग का बजट जो ३-४ करोड़ का होता था वह अब साढ़े ५ करोड़ का हो गया है लेकिन यह जो अधिक रुपया लिया गया है वह प्राविधिक शिक्षा, आई० टी० आई० वगैरह के लिए है और शेष विभाग में सारे का सारा रुपया पहले की तरह ही है और बाकी सब आई० टी० आई० पर ही खर्च होगा। अभी बजट को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रक्षपालसिंह]

प्रस्तुत करते हुये माननीय मन्त्री जी ने यहां पर औद्योगिक शांति का उल्लेख किया। यह सच है कि जिस समय पाकिस्तान और भारत में युद्ध चल रहा था और जिसके विषय में अभी समझौता ताशकन्द का हुआ है, उस को निगाह में रख कर सारे सूबे के श्रमिकों और कर्मचारियों ने किसी प्रकार का उस समय आन्दोलन नहीं किया, कोई नियमों का उल्लंघन नहीं किया और किसी प्रकार की कोई अशांति नहीं होने दी। इसका सारा श्रेय श्रमिकों को है। एक म्योर मिल का उदाहरण हमारे सामने है। लगातार कई मास तक मिल बन्द रही, एक दो बार नहीं कई बार इसी सदन में इस प्रश्न को उठाया गया और सरकार से कहा गया कि वहां का मामला तय करे। ६,५०० श्रमिकों के जीवन का प्रश्न था, उन के परिवार की समस्या थी लेकिन क्या किया गया सरकार की या सरकारी कर्मचारियों की तरफ से? जैसा कि भाई यूसुफ साहब ने बताया कि सरकार के हाथ में लेने के बाद भी उनका पैसा अभी तक नहीं दिया जा रहा है, लेकिन इस बीच में श्रमिकों ने जो शांति बनाये रखी उसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं। लेकिन जो शांति अभी तक लड़ाई की वजह से बनी रही या अभी भी बनी है वह आगे भी बनी रहेगी, यह नहीं कहा जा सकता क्योंकि युद्ध के समाप्त होने के बाद भी उनकी मांगों के प्रति जो सरकार ने उपेक्षा दिखाई है, उससे पता नहीं कब वह शांति भंग हो जाय।

परन्तु हमारे मंत्री जी श्रमिकों का पेट काटते हैं मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह मिल मालिकों के अलावा इस गरीब वर्ग की दिक्कतों का भी समाधान करें। आज चाहे औद्योगिक मजदूरों की बात हो, राज्य सरकार के कर्मचारियों की बात हो सब जगह अशांति का वातावरण है। मैं माननीय नरसिंह नारायण जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उस दल में होते हुये भी सही ढंग से चीजों को रखा है और औद्योगिक क्षेत्र में जो श्रमिकों की समस्यायें हैं, उनको स्पष्टता के साथ रखा है। आज सूबे के श्रम कानून किसी तरह से भी मजदूरों के हित में नहीं है। हमारा औद्योगिक विवादों का कानून किसी भांति भी सेंटर के कानून की तरह नहीं है, उसमें वह सुविधायें मजदूरों को प्राप्त नहीं हैं जो होना चाहिये। यहां पर संराधन अधिकारी उस को अपने मनमाने ढंग से चलाते हैं, मजदूरों को जबरदस्ती निकाला जाता है और वह महीनों तक बेकार पड़े रहते हैं। जो चीजें सुविधाजनक मिलमालिको और सरकार के होती हैं वह की जाती हैं और मजदूरों के हितों की उपेक्षा इन अधिकारियों के द्वारा होती है। ६-६ मास बाद पता चलता है कि विवाद तथ्यहीन था और अस्वीकार कर दिया जाता है। अधिकारियों के द्वारा आज ऐसी स्थिति पैदा की गई है कि जब श्रमिक लोग हड़ताल का कानूनी नोटिस देते हैं तो यह संराधन अधिकारी कहते हैं कि यह हड़ताल इल्लीगल है। मैं एक मिसाल का उदाहरण भी दे सकता हूं। जब वहां बर हड़ताल करने की बात होती है तो संराधन अधिकारी उसको इल्लीगल घोषित करने की बात कर देते हैं।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

माननीय सदस्य से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रदेश की कोई लेबर यूनियन जनसंघ के पास है या नहीं?

श्री रक्षपालसिंह—

भारतीय जनसंघ हमेशा से यह चाहता रहा है कि मजदूरों के क्षेत्र में राजनीतिक दल का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जनसंघ प्रदेश के मजदूरों की समस्या को हल करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील है। इसके अतिरिक्त यहां पर एक और दल भी है जो हमेशा मजदूरों के हित की ही बात करता है।

श्रीमन्, आजकल जो कानून हैं, उनमें परिवर्तन किया जाना चाहिये। हमारे यहां पर भी जो बिल पेंडिंग हैं, उनको पास किया जाना चाहिए। ट्रेड यूनियन के कानून में भी विचित्र बात है। जब तक उनमें भी परिवर्तन न हो, हमारे रजिस्ट्रार को कोई रोक लगाने का अधिकार नहीं है।

जहां तक सोसाइटीज का सम्बन्ध है, उनमें भी आपत्तियां लगा कर खत्म कर दिया जाता है। अगर कोई ऐसी बात है तो उसमें इस प्रकार का उल्लेख कर दिया जाना चाहिए कि सोसाइटी प्रारम्भ में रजिस्टर हो जाय। रजिस्टर होने के बाद उसमें कोई शर्त आप लगा सकते हैं कि २ या ३ साल में इतनी परसेन्टेज यह चीज होनी चाहिए। यदि ऐसा न किया गया तो वे प्रारम्भिक एग्जिस्टैन्स में ही न आ सकेंगी। हमारे पुराने नियम यह हैं कि ७ आदमी मिल कर कोई यूनियन स्थापित कर सकते हैं।

वेज बोर्ड का जहां तक सम्बन्ध है, उसमें यह होता है कि किसी भी विभागीय संस्थान में या उद्योग के अन्दर वेज बोर्ड की मांग की जाती है। इसमें २–३ साल लग जाते हैं। अगर कहीं पर किसी प्रकार का आयोग बना भी दिया जाता है तो उसकी रिपोर्ट के आने में ही ४–५ साल लग जाते हैं। उस समय तक जो-जो मांगें रखी जाती हैं, वे सब समाप्त हो जाती हैं। पिछले ३-४ सालों में ऐसा ही हुआ है। तो ऐसी स्थिति में तो मेरा कहना यह ही है कि सारे प्रदेश के अन्दर एक स्थायी वेतन आयोग, परमानेन्ट वेज बोर्ड स्थापित कर दिया जाय जो कि हर उद्योग के लिए या संस्थान के लिए, समय-समय पर देखता रहे कि किस विभाग में कितनी तन्ख्वाह होनी चाहिए। यदि ऐसा हो जाय तो मैं समझता हूं कि वह मूल्यों के सूचकांक को आंकते हुए इसका फैसला करता रहे। इससे हमेशा मांग करना, हमेशा रिपोर्ट देना भी समाप्त हो जायगा।

हमारे यहां पर राजकीय कर्मचारियों की बात अभी कही गयी है। इसमें इतना औचित्य तो निर्विवाद सत्य है कि जब से पे कमेटी की रिपोर्ट सरकार की दी गयी है, उस समय से उसे लागू करने तक लगभग १ साल हो गया है। उस बीच में केन्द्रीय सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिये २ बार मंहगाई-भत्ता बढ़ा दिया है। तो प्रदेशीय सरकार को अपने कर्मचारियों को अतिरिक्त मंहगाई न देने का कोई औचित्य नहीं है और इन्हें यह मंहगाई भत्ता भी देना चाहिए। यदि सरकार अभी देने की स्थिति में नहीं है तो बाद म देना चाहिए। यह मांग उचित मांग है और सरकार को इस दिशा में भरसक प्रयत्न करना चाहिए।

यहां पर प्राइवेट मिलों के जो कर्मचारी हैं, उनकी दशा तो और भी खराब है और दयनीय है। यहां पर सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग और दूसरे विभागों की बात कही गयी जहां पर मजदूरों को वर्कचार्ज्ड में रखा जाता है। यह दुर्भाग्य की बात है कि १०–१० साल से ये बेचारे काम करते हैं, उनको परमानेन्ट नहीं किया जाता है, और उनको कोई और सुविधा नहीं मिल पाती है। उनको परमानेन्ट सर्विस में लेना चाहिए और सरकार को इसके लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। सरकार को एक आदर्श एम्प्लायर की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि दूसरों के ऊपर इसका असर पड़े। जब तक इस दिशा में सरकार ही कुछ नहीं करेगी, तब तक दूसरे लोग तो उन्हें मानेंगे ही नहीं। २४० दिन में परमानेन्ट करने की बात है, लेकिन उससे पहले ही मजदूरों को नोटिस वगैरह दे कर अलग करने की हरकतें की जाती हैं, जो सर्वथा अनुचित हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो मजदूर २४० दिन काम कर चुकते हैं, उनको स्थायित्व मिलना चाहिये और उनके उस पीरियड में कोई ब्रेक नहीं होना चाहिये, इस तरह की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिये।

इस के बाद प्रदेश में जो समस्यायें हैं, उनमें से तीन, चार की ओर आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उद्योग और वाणिज्य अधिनियम प्रदेश में लागू हैं। मैं चाहता हूं कि ५ हजार से अधिक आबादी वाले जितने भी स्थान हैं वहां पर इस अधिनियम को लागू कर देना चाहिये। उसमें एक बात का निरंतर उपहास हो रहा है। श्रमिक को जहां ८ घंटे काम करने की बात को माना गया है वहां दूकानों पर काम करने वाले श्रमिकों को १०, १२ घंटा काम करना पड़ता है। मेरा सुझाव है कि सरकार उन को ८ घंटे से ऊपर काम करने के लिए अतिरिक्त वेतन और भत्ता तथा अवकाश देने की व्यवस्था कराये।, इसी प्रकार विश्व-विद्यालय और विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी हैं उनके लिए न तो शिक्षा विभाग में

[श्री रक्षपालसिंह]

कोई व्यवस्था है, जब कि उनकी संख्या २० हजार के करीब है, और न उन पर श्रम कानून लागू होता है। मैं चाहूंगा कि उन पर श्रम कानून लागू करते हुए, उनकी दशा को सुधारने के लिए प्रयत्न करना चाहिए।

कालीन उद्योग में काम करने वाले मजदूरों की संख्या ७० हजार के करीब है। वे लोग ३० रु० में पिछले काफी दिनों से काम करते चले आ रहे हैं। यह कहां तक उचित है? उन की तनख्वाह कम से कम १०० रु० होनी चाहिए। उन्होंने हड़ताल का नोटिस दिया है। मैं चाहता हूं कि इस उद्योग में कोई गतिरोध उत्पन्न नहीं होना चाहिए और सरकार को हस्तक्षेप करके उनकी बातों को पूरा करने के लिए कोशिश करनी चाहिए।

इसी तरह से फिरोजाबाद में ३० हजार कर्मचारी हैं उनके बारे में कोई स्थायित्व नहीं है। कोई श्रम कानून उन पर लागू नहीं होता है। मैं चाहता हूं कि उनकी नौकरियों को स्थायित्व देने के बारे में कोई न कोई उपाय सरकार को करना चाहिये।

इसी प्रकार से कानपुर में, जब हमारे प्रधान मंत्री, श्री लाल बहादुर शास्त्री, का देहान्त हुआ दिनांक ११, १२ को छुट्टी रही। लेकिन कानपुर के टेक्सटाइल एमप्लायर्स द्वारा १२ तारीख का वेतन नहीं दिया जा रहा है। सरकार को इस ओर भी कदम उठाना चाहिए।

प्रदेश के अन्दर फार्मासिस्ट और कम्पाउन्डर्स हैं उनकी मांग न्यायोचित है। उनके काम के घंटे निश्चत किये जाने चाहिए त्यौहारों पर छुट्टी अदि मिलनी चाहिये।

अब मैं कुछ खेतिहर मजदूरों के बारे में कहना चाहता हूं। ३४ लाख के करीब खेतिहर मजदूर उपेक्षित हैं। इसके अलावा १० लाख के करीब जो घरेलू मजदूर हैं इन मजदूरों के बारे में भी सरकार चाहे कमेटी बना करके या और किसी तरह जो भी उचित समझे, उनके सुधार के लिए व्यवस्था की जानी चाहिये और उनको उपेक्षित नहीं रखना चाहिये। मजदूर क्षेत्र के अन्दर इतने बड़े वर्ग को उपेक्षित रखना ठीक नहीं है।

मजदूरों के लिये जितने क्वार्टर बने हैं, उनका किराया काफी ऊंचा है। एक मजदूर के लिए ३० रु० किराया, पानी बिजली का मिला कर, देना कठिन है। सरकार को चाहे जैसे भी हो, कम किराये पर इन क्वाटर्स को मजदूरों को देना चाहिये। जो नियम इस समय इस सम्बन्ध में लागू हैं उनको खत्म करके मजदूरों को क्वार्टर सस्ती दर पर देने चाहिये। आज स्थिति यह है कि दूसरे प्रकार के कर्मचारी मजदूरों के क्वार्टर में रह रहे हैं। मैं चाहता हूं मंत्री जी इन बातों की ओर ध्यान दें तो अच्छा रहेगा।

श्री ए० सी० ग्राइस (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)--

चेयरमैन साहब, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, जो आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के लिए मौका दिया। मैं अपने लेबर मिनिस्टर को कांग्रेचुलेट करता हूं, लेबर को और लेबर यूनियन्स को भी कांग्रेचुलेट करता हूं क्योंकि जहां तक हो सका इस साल शांति रही और वर्क प्रोडक्शन में कोई गड़बड़ी नहीं हुई।

बहरहाल मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री का ध्यान टेक्निकल एजूकेशन की तरफ दिलाना चाहता हूं। साढ़े ५ करोड़ के बजट में २.४ करोड़ रु० टेक्निकल एजूकेशन पर खर्च होगा, ए लिटिल ओवर टू फिफ्थ है इस का नतीजा यह रहेगा, इसका नतीजा अभी तक क्या निकल रहा है, मैं अपने एक्सपीरियेंस से बता सकता हूं कि टेक्निकल एजूकेशन को तीन सेक्शन्स में बांट सकते हैं---एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, दूसरे पोलीटेक्निक्स और तीसरे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। आई० टी० आई० खोलने का मकसद यह है कि हर जिले में जहां इंडस्ट्री बढ़ी है वहां आई० टी० आई० रख दी गयी है। इसलिये जो लड़के उस जिले के हैं उस जिले की इंडस्ट्री वहां सीखी जाय। नतीजा क्या हो रहा है? जितने लड़के आई० टी० आई० में

जाते हैं उनके बजट को देखने से मालूम होता है कि इस तरह का एक्सटेंडिचर मेनटिनेन्स आफ स्टाफ और मेनटिनेन्स आफ मेटीरियल होता है। कानपुर को आई० टी० आई० से लड़के हमारे यहां आते हैं ३ महीने और ६ महीने की ट्रेनिंग के लिए लेकिन वे कतई प्रेक्टिकल इल्म लेकर नहीं आते, थ्योरी में इल्म लेकर आते हैं। यह आई० टी० आई० का कसूर नहीं है, रा मेटीरियल की वजह से था। उन को आप ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेन्टर्स बनायें। हर जिले में आई० टी० आई० सेंटर है और उन को लोकल इंडस्ट्री के लिये ट्रेनिंग दी जानी चाहिये और लोकल इंडस्ट्री से आप सामान ले सकते हैं। फर्स्ट क्लास वर्कशाप है जो और मशीनरी आपके पास है उस मशीनरी को फुलली यूटिलाइज्ड करना चाहिये और आई० टी० आई० को नो प्राफिट नो लास बेसिस पर रन करना चाहिये। जहां तक सुपरवाइजरी स्टाफ का ताल्लुक है वह भी थोड़े से खर्चे पर मिल जायगा और एप्रेन्टिसेज को प्रेक्टिकल ट्रेनिंग देने में उनको फायदा होगा।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि यह जो कमेटी रखी गयी है वह बहुत अच्छी है, परन्तु मेरा यह सुझाव है कि जो इंजीनियर लोकल इंडस्ट्रीज में हैं उन को इस कमेटी में रखा जाय। इंजीनियर जानते हैं कि हमारी फैक्टरीज में किस चीज की जरूरत है, किस इल्म के लड़के की जरूरत है किस और स्टैंडर्ड की आवश्यकता है। जो यह एप्रेन्टिस भेजे जाते हैं, उनमें मिल मालिकों को कोई दिलचस्पी नहीं होती है और पहले भी लड़के एप्रेन्टिस के तौर पर रखे जाते थे। मिलों में लड़के क्या सीखते थे? उनकी वजह से कम नहीं हो गयी। उनकी दिलचस्पी तो इंजीनियर्स में होती है और जो लोकल इंजीनियर्स हैं उनको भी इन कमेटीज में कोआप्ट करना चाहिए। मैंने सुना है कि आई० टी० आई० में कोलम्बो प्लान की मशीनरी है, वह मशीनरी ओरिजिनल पेकिंग से निकाल दी गयी और ग्रीस पेपर लगा रहता है। माननीय मंत्री जी के फूड डिपार्टमेंट ने यह सुझाव रखा था कि इन मिलों में चीप ग्रेन शाप्स खोल दी जायं, लेकिन वह नहीं खुलीं। मिलों में उन दूकानों को खोला जाय।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य अपना आसन ग्रहण कर लें। जब सदन में एक या दो मंत्री हों, अधिक न हों तो आपस में बातचीत न कर के उनको चाहिये कि माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं, उनको ध्यान से सुनें।

श्री ए० सी० ग्राइस—

इंडस्ट्रियल हाउसिंग के बारे में मैं थोड़े से सुझाव देना चाहता हूं। उसका एप्लिकेशन बहुत गलत है। गरीब मजदूर जो सब्सिट्यूट लेबर होता है और उसको सबसे कम वेतन मिलता है उसको कतई नहीं पूछा जाता है। लक्ष्मीपुरवा हाता मेरे रास्ते में पड़ता है। एक कमरे में ८, ८ और १०, १० मजदूर रहते हैं। इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट से पूछा तो ज्ञात हुआ कि उनको कोई स्टेबिलिटी नहीं है। मेरी प्रार्थना है कि इस टेम्पोरेरी सब्सिट्यूट लेबर के लिये ५ अथवा १० परसेंट एलाटमेंट हो जाना चाहिए। बी० आई० सी० ग्रेप में मैंने बहुत कोशिश की लेकिन देखा यह गया कि जब तक किसी की पहुंच न हो नीडी आदमी को क्वाटर्स नहीं मिलते। बड़ा फेवरटिज्म होता है। लेबर कमिश्नर को इसे देखना चाहिए।

एम्प्लायमेंट एक्सचेंज की तरफ भी मैं ध्यान ले जाना चाहता हूं। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं और स्वयं उसका शिकार हुआ हूं जब तक दो रुपये न दिये जायं वह मजदूर का नाम नहीं लिखते हैं। मेरा निवेदन है कि इसको देखा जाय। ये दो, तीन कठिनाइयां हैं जिन पर मंत्री जी गौर करें और अपने विभाग को थोड़ा सा टाइट करें, अपना आदमी जांच के लिये भेजें कि क्वार्टर जरूरत के मुताबिक बिना पक्षपात के एलाट किये जायं।

[श्री ए० सी० ग्राइस]

ताकि उसमें उनको परेशानी न हो। इसलिये कोई शिकायत नहीं करता है। मैंने आपके द्वारा माननीय मंत्री जी के सामने ३–४ बातें रख दीं और मुझे आशा है कि मंत्री जी उन पर ध्यान देंगे।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय यूसुफ जी के तरफ से जो कटौती का प्रस्ताव पेश हुआ है, उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। देश और प्रदेश के अन्दर वैसे तो चारों तरफ असंतोष ही असन्तोष है। लेकिन मजदूर तबक़े के अन्दर कितना असन्तोष और कितनी परेशानी देखने में आती है, उसकी कहानी कहते हुये काफी तकलीफ होती है। यहां प्रदेश में खास तौर से माननीय सदस्य यह आम चर्चा करते हैं पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र की, पूर्वी क्षेत्र की हालत मैं समझ सकता हूं। इस आधार पर बिना देखे जब कि मैं पश्चिम की हालत को देखता हूं और वह यह है कि सुबह ४-५ बजे से ही मजदूर चलता है इस आशा को लेकर कि शहर में पहुंचेगा और उसे कोई ग्राहक मिलेगा। आपने सुना होगा कि पहले हुस्न के बाजार सजा करते थे और ग्राहक उसमें से मनचाही वस्तु को ले जाया करते थे। आज शहर में मजदूरों का बाजार सजता है। जहां सैकड़ों की तादाद में मजदूर बैठते हैं वहां पर मजदूरों में से लोग छंटाई करते हैं कि कौन सा मजदूर तन्दुरुस्त है काम के लिहाज से अच्छा रहेगा। इसके ऊपर तुर्रा यह कि कोई निश्चित नहीं है कितना पैसा उसे मिलेगा। जिस समय यह हालत देखते हैं कि, २००, २५० मजदूर एक जगह पर बैठते हैं वहां से जरूरतमन्द १०, १५ या २५ आदमियों को छांट कर ले जाते हैं तो बाक़ी पर जो गुजरती है उससे हमारा दिल दहल जाता है। यही मन में बात आती है कि यह रिवोल्ट क्यों नहीं कर देते हैं, बाजार में क्यों नहीं घुस जाते हैं ?

श्रीमन्, आज अखबारों में देखा होगा कि आसाम में मिजो हिल्स जिले में एक तूफान उठा और एक प्रकार से वहां से भारत सरकार का राज्य समाप्त हो गया है। उसमें साफ दिया हुआ है कि इस अराजकता का, इस रिवोल्यूशन का एकमात्र कारण यह है कि वहां बेरोजगारी है। उन्हें यदि पेट भर कर अन्न मिलता, कपड़े पहनने को मिलते और रहने के लिये मकान मिलता तो वे कभी रिवोल्यूशन करने की बात न सोचते। वह कभी भी इस भांति नहीं सोचेगा, वह लायल होकर रहेगा। वह रिवोल्यूशन आज यहां हो सकता है। नागालैंड की आज यही हालत है। यह हालत आज देश के हर कोने-कोने में है, जो मुझे नजर आ रही है, लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि उस रिवोल्यूशन के आने में अभी कितनी देर है। जो मजदूर–स्त्रियां और पुरुष जिस तरह से प्रदर्शन करते हैं मजदूरी को अपनी बेचने के लिये और जब वह हतोत्साहित होकर घर वापस चले जाते हैं, तो उनके दिलों पर उनके आश्रितों के दिलों पर क्या बीतती होगी। जब उनका कोई ग्राहक नहीं मिल पाता तो तो वह चुपके से अपने घर का रास्ता लेते हैं। जब उसके घर वाले उससे पूछते हैं कि २ रुपये की मजदूरी भी वह नहीं कर सका तो उसका क्या जवाब उसके पास रहता होगा, वह अपने बच्चों को क्या खिलाये। उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। सरकार का ध्यान किसकी तरफ जाता है ? जे० के० की तरफ, डालमिया की तरफ और सिंहानिया की तरफ जाता है। एक बड़े पूंजीपति कानपुर से आने वाले हैं, वह क्यों आते हैं वह गरीब मजदूरों की छाती पर चढ़कर आते हैं, अपने अनुचित और गलत कामों को मनवाने के लिये यहां पर रिश्वत देकर जाते हैं। उनका कोई पोलिटिकल कैरियर नहीं है। मैं मंत्री जी का खासकर माननीय गेंदा सिंह जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं, जे० के० इंडस्ट्रीज के बारे में, जिसके बारे में अभी माननीय यूसुफ और दूसरे सदस्यों ने जिक्र किया है कि इतनी धोखा देही हुई है कि ७ महीने तक म्योर-मिल बन्द रही और ६० लाख रुपया उसे सरकार ने कर्ज दिया, जिसको बैंक वालों ने कर्जा देने से इन्कार कर दिया था। क्योंकि वह बैंक वालों के साथ धोखा कर चुके थे, उन्होंने ७५ लाख रुपया उनसे ले लिया और ६० लाख का रुपया रखा। लेकिन अब भी

उस मिल को चलाने के लिये सरकार द्वारा प्रयत्न किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि इसे आपत्ति पर भी आपने कर्ज क्यों दिया है जिसे पहले भी आपने दिया है।

(इस समय २ बजकर २८ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुए।)

दूसरी बात यह है कि गरीब आदमी को आसानी से दो चीजें उपलब्ध हैं एक तो दूध है। लेकिन आज गरीब आदमी को वह दूध भी उपलब्ध नहीं है। इसलिये कि आपने बड़े-बड़े पंजीपतियों के हाथ में दूध के उपयोग के बड़े-बड़े कारखाने दे दिये हैं। आप पंजाब सरकार को देखिये, कोई खोवा नहीं बना सकता, कोई दूध की मिठाइयां नहीं बना सकता है। उसका नतीजा यह है कि जो दूध वहां पर पहले २ रुपया किलो मिलता था आज वह ७ आने किलो मिलने लगा है।

श्रीमान् जी, मैं दूसरी बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं—यहां लखनऊ के कारखानेदार हमारी सरकार की बड़े नाक के बाल रहे। पिछले दिनों उन्होंने अपने कामकाज को लम्बा चौड़ा किया यह कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से शोषण किया जाता है, वह देखने चीज है। इस प्रदेश में आम लोगों के खाने के लिये एक खास फल था—'आम' जो कि अमरूद की तरह ही आम फल है जिसे गरीब अमीर सभी खा सकते हैं, जिनको खाकर बेचारा गरीब आदमी बिना भोजन के भी दिन गुजार सकता था। लेकिन अब एक बड़ी मुसीबत इस प्रदेश में आने वाली है। वह यह है कि जे० के० इंडस्ट्रीज वालों ने ५ लाख रुपयों का आम यहां के बागों से खरीदने का इन्तजाम किया है, कर लिया है। १५ दिन तक आम के एजेन्ट खरीदने वाले यहां पर बैठे रहे और ५ लाख में उन्होंने सब बागों को ठेके ले लिये। उन तमाम बागों से आम सीजन में खरीद लिया जायगा। जो गरीब के पेट को भरने की चीज थी वह इस प्रदेश से उठने वाली है। उसका पाउडर बनाया जायगा। उसमें कैमिकल मिलाया जायगा। सरकार को यह धोखा दिया जा रहा है कि उस पाउडर से बाहर से विदेशी मुद्रा प्राप्त की जायगी। उसका फौरन एक्सचेंज तो नहीं मिलेगा वह यहीं पर बिकेगा। यह चीज गरीबों के मुंह से निकाल कर अमीरों के घरों में जा रही है। इस ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिये कि इस प्रकार के कारखाने यहां पर बनने न पायें। इसी प्रकार से दूध का कारखाना भी यहां पर नहीं बनना चाहिये। यहां पर दूध का इस्तेमाल सिवाय दूध के और किसी तरीके पर नहीं होना चाहिये। एक बड़ा भारी कारखाना दूध के पाउडर के लिये यहां पर बनाया गया है। आम के बाद अमरूद का नम्बर था जिसको जनता बहुत दिनों तक खाती थी। ८ महीने गरीब उसको खाकर अपना पेट भरता था। उसको भी उसके मुंह से निकाला जा रहा है। लाखों रुपये के अमरूद यहां से खरीदे जा रहे हैं। टमाटर भी खरीदा जा रहा है। उसका रूप बदलकर गरीबों के मुंह से छीन कर उससे लाखों रुपया पैदा किया जायगा। मैं चाहता हूं सरकार इस तरफ ध्यान दे और मजदूरों के हित में जो काम हो सकता है, उसको करने का प्रयास करे।

मैं इसके साथ-साथ विरोधी दल के लोगों से खास तौर पर कहना चाहता हूं कि आप जग हंसाई कराते हैं जगह-जगह आपस में पैक्ट करके। इससे जनता भी परेशान है कि वह कहां जाय। अलग-अलग दल हैं जो अपना प्रभुत्व कायम करना चाहते हैं। एक-एक फैक्टरी के अन्दर ४, ४ यूनियन बनी हुई हैं। एक जनसंघ की यूनियन है। एक आई० एन० टी० यू० सी० की है, कम्युनिस्टों की यूनियन है और एक एस० एस० पी० की यूनियन है। इस प्रकार से मजदूरों का हनन हो रहा है। आपस में सहानुभूति और मोहब्बत बिलकुल नहीं रह गई है तो फिर काम किस प्रकार लोग करें। सरकार बीच में हड्डी डाल देती है। मालिक और मजदूर में आपसी झगड़े पैदा कराती है जिससे यह सब असर दूर जाता है। अगर नियत साफ हो जाय और मजदूर के हित को सामने रखकर सरकार चले तो फिर अधिक झगड़े और लड़ाई की गुंजायश नहीं रहती है। मजदूर के हित में किसी यूनियन का भी विचार नहीं करना चाहिये चाहे वह कितना ही पैर पीटे। जब एक यूनियन बन जाय तो दूसरी को रिकग्नाइज नहीं करना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अपना विचार प्रकट करता हूं।

*श्री बेचनराम (जिला मिर्जापुर)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो श्रम और सेवायोजन का अनुदान प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं और इसके सम्बन्ध में माननीय यूसुफ साहब ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उसका मैं विरोध करता हूं। श्रीमन्, हमारे माननीय सदस्य जिन्होंने मजदूर संघ में काम किया है और जिन्होंने उनकी समस्याओं को उनके नजदीक रह कर अध्ययन किया है, उन्होंने बहुत अच्छा सुझाव इस सदन के समक्ष रखा है जो विचारणीय है। कुछ बातें ऐसी कही गईं जिनमें अतिरंजना, सरकार की अनावश्यक समालोचना, तथ्यों को तोड़ कर रखना और मिथ्या दम्भ प्रदर्शन करना था। ये ऐसी बातें थीं जो ग्राह्य नहीं हो सकतीं। लेकिन उन तमाम बातों के बावजूद भी कुछ तथ्यपूर्ण बातें रहीं जो सुझाव के रूप में सरकार के सामने उसकी नीतियों को बनाने में बदलने में दृष्टिगत रह सकती हैं। श्रीमन्, हमारे माननीय यूसुफ साहब, जो बचपन से ही सर्वहाराओं के नेता हैं, उन्होंने कुछ बातें मजदूरों के बारे में कहीं। उन मजदूरों के बारे में जो संगठित संस्थाओं में काम करते हैं। जिनका एक यंत्र है जो सुविधानुसार बड़े-बड़े उद्योगों में एक समूह में काम करते हैं। उनमें असन्तोष पैदा किया जा सकता है और स्वाभाविक असन्तोष उनमें पैदा होता भी है। पहले-पहले उन्होंने उनके वेतन के बारे में कहा कि वेतन बहुत कम है महंगाई के अनुपात में। इस बात पर बड़ी हैमेरिंग हुई।

श्रीमन्, मैं उसी वेतन के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे भारतवर्ष के जितने प्रकार के मजदूर हैं, जो मेहनतकश हैं, जो देहातों में, गांवों में, खेतों में, छोटे उद्योगों में और अन्न उत्पादन में लगे हुए हैं, जो समूह के उद्योगों से परे हैं, जिनकी कोई यूनियन नहीं है, जिनका कोई नेता नहीं है, जिनकी कोई संस्था नहीं है, जिनका कोई नारा नहीं है, जिनके द्वारा कोई हड़ताल की धमकी नहीं है, उनके लिये क्या है? एक हरवाहा चरवाहा, गोबर थोपने वाला, चारा देने वाला जो मजदूर है उसे क्या सुविधा है? उसे कितना पैसा मिलता है? उसे एक रुपया भी नहीं मिलता, डेढ़ रुपया भी नहीं मिलता। अगर उस नजरिये से मैं कहूं, तो हम क्यों इतने जोर शोर से शहर के मजदूरों के लिये मांग करते हैं और उन भूमिहीन मजदूरों के लिये मांग नहीं करते जिनकी कुल जनसंख्या का १४ प्रतिशत भाग आज देश में है और हम उस स्थिति का भी अनुमान करें कि अगर हम ने उस भूमिहीन मजदूर के लिये १३५, १४० रुपया वेतन का बांध दिया तो उस समय अन्न की कीमत क्या होगी, अन्न उत्पादन की लागत क्या होगी और उसके अनुपात में टैक्सटाइल और दूसरी वस्तुओं का दाम क्या होगा। फिर प्राइसेज का जो फैलाव होगा उस का अन्दाजा यूसुफ साहब अच्छी तरह से कर सकते हैं। हमारे देश की जितनी पूंजी उद्योग में लगी हुई है, जितना उत्पादन हम कर सकते हैं, उसे देखते हुए किस प्रकार वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण होता है यह हमारे अर्थवेत्ताओं का विषय है और अगर इसी रेट से हम उनका वेतन बढ़ाते रहे तो उसका असर हमारी इकोनामी पर क्या पड़ेगा इसके बारे में आप नजर डालें और तब हैमरिंग करें। मैं मानता हूं कि उनको सुविधा मिलनी चाहिये। मजदूरों को अधिक से अधिक सुविधा मिलनी चाहिये, उनके वेलफेयर का काम होना चाहिये, उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, उनके बीमे के बारे में, उनकी उन्नत्ति के बारे में हमें प्रयास करना चाहिये, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकतीं। मगर उग्रसेन जी ने जिस नाट्य ढंग से चीजों को रखा, मैं तो कहता हूं कि उन्होंने बड़ी ही गैर जिम्मेदारी के साथ जिस चीज को कहा, उससे कोई मजदूर का लाभ होने वाला नहीं है। मैंने बहुत स पूंजीपतियों को शोषण करते देखा है, बहुत से जमींदारों को शोषण करते हुए देखा है, बड़े-बड़े लीडर्स को सेवाटाज करते हुये देखा है। श्रीमन्, प्रश्न हमारे सामने आज एक ही है और हमें इसी प्रश्न पर विचार करना चाहिये कि किस तरह से हम मजदूरों का अधिक से अधिक हित कर सकते हैं। बात यह है कि जो भी मजदूरों के नेता हैं वे मजदूरों के बीच से नहीं आते। वे सही मानी में मजदूरों के हितैषी नहीं हैं वे उनके सहारे अपना कुछ लाभ उठाना चाहते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

श्रीमान् जी, उग्रसेन जी नहीं हैं, उनके लिये कुछ कहना ठीक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

उनको रहना चाहिये।

श्री बेचनराम—

उग्रसेन जी तो कह कर चले गये, उन्हें जवाब सुनना चाहिये।

मान्यवर, मायर साहब ने जो गरीब मजदूरों का नक्शा खींचा, उसको देख कर किसके हृदय में दर्द नहीं होगा। मगर प्रश्न तो यह है कि हम उसको किस तरह से दूर करें। आज जो हमारे लीडर्स बनते हैं, जो अपने को मजदूरों के हितैषी कहते हैं, वे फैक्टरी के मजदूरों में असन्तोष पैदा करने की कोशिश करते हैं। अगर वे नेता लोग मजदूरों के बीच से आयें तो वास्तव में वे उनकी समस्याओं को सही-सही रूप में सदन के सामने रख सकते हैं। आज हमारे प्रदेश में इतनी बड़ी तादाद में मजदूर और श्रमिक लोग हैं कि हमें बड़े ठंडे दिमाग से उनकी समस्याओं पर विचार करने की आवश्यकता है। हमें यह देखना है कि पूरे प्रदेश की एकोनामी के अन्दर किस तरह से हम उनको अधिक से अधिक लाभ पहुंचा सकते हैं। किस तरह से हम अपने समाजवादी लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। समाजवादी समाज का नक्शा सामने रख कब ही हमारी सरकार इन प्रश्नों पर विचार करती है और जो भी उनके हित में होता है वही करने का प्रयास करती है।

माननीय उग्रसेन जी ने कहा कि इस चीज का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय। मैं नहीं समझता कि क्या वे चाहते हैं कि रूस की प्रणाली को यहां पर भी लागू किया जाय? क्या वे यहां भी उस प्रणाली को अपनाये जाने के लिये तैयार हैं? कभी नहीं होंगे। यह कैसे सम्भव होगा कि किसी व्यक्ति विशेष का कोई इनीशियेटिव ही न रहे। मैं इस चीज को नहीं मानता। हमें तो ऐसे कानून बनाने चाहिये, ऐसे लेबर लाज बनाने चाहिये जिससे कि श्रमिकों का अधिकाधिक लाभ हो। श्रीमन्, सही बात तो यह है कि जब तक मजदूरों के बीच से उनके नेता लोग नहीं आयेंगे तब तक उनकी सही पिक्चर हमारे सामने नहीं आ सकती।

आई० टी० आई० के बारे में जो अभी माननीय मंत्री महोदय ने जिक्र किया—यह पहली मर्तबा है जब कि इस मंत्रालय ने गांव के नवयुवकों को साइंस और टेक्नोलाजी में लाने का श्रेय प्राप्त किया है। इसके लिये मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। अभी तक बड़े-बड़े डाक्टर और इंजीनियर ही साइंस और टेक्नोलाजी में माहिर बन कर निकलते थे क्योंकि वे पैसे वाले थे। लेकिन अब छोटे क्षेत्र में भी, देहातों के गरीबों और किसानों के बच्चे जो हाई स्कूल पास हैं इन संस्थाओं में, वेल्डर, फिटर आदि की ट्रेनिंग पाकर अपने सुखद भविष्य की कल्पना करते हैं। मुझे तो आई० टी० आई० का अनुभव है और मैं चाहता हूं कि यहां से जो भी स्नातक पास होकर निकलें उनको चुर्क सीमेंट फैक्टरी, आलमुनियम फैक्टरी, आदि में प्राथमिकता दी जाय। आज वहां हालत यह है कि जो पोलिटक्निक आदि से निकले हुए स्नातक होते हैं उन्हीं को उन फैक्टरियों में प्राथमिकता दी जाती है। इसलिये माननीय मंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि जब आपने इतना प्रयत्न करके गरीब बच्चों की ट्रेनिंग के लिये इस तरह की संस्थायें खोली हैं तो इस बात का भी प्रयत्न अवश्य करें कि वहां के निकले हुए छात्रों को हर फैक्टरी में प्राथमिकता दी जाय।

दूसरी बात मुझे उन संस्थाओं में पढ़ने वाले छात्रों को स्टाइपेंड देने के सम्बन्ध में है। आज आप उनको बहुत कम पैसे छात्रवृत्ति के रूप में देते हैं। मेरा निवेदन है कि आप उनको अधिक पैसा दें और कम से कम ४०–५०, ६० रुपये तक स्टाइपेंड दें ताकि वे स्टेंडर्ड तरीके से होस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। इस सिलसिले में आपके निदेशालय ने जो योगदान दिया है, उसकी मैं तारीफ करता हूं और आशा करता हूं कि अगली योजना में औद्योगिक क्षेत्र में इसका और भी योगदान होगा।

*श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो श्रम तथा सेवायोजन बजट माननीय श्रम मंत्री जी ने पेश किया है, मैं समझता हूं कि श्रमिकों के लिये यह बजट नहीं पेश हुआ है बल्कि बड़े-बड़े कैपिटलिस्टों का यह बजट है और उन्हीं के हाथ में वह जा रहा है। जैसा कि यह बजट पेश किया गया है, अगर उसी के आधार पर उसको ध्यान में रख कर यह सरकार चले तो मैं समझता हूं कि इस उत्तर प्रदेश का भला हो जाय। लेकिन वास्तव में जैसा कि उधर के भी माननीय सदस्यों ने कहा—और विरोधी दल तो कहता ही है कि पीछे हाथ करके एक तरफ तो आप मजदूरों पर डंडे लगाते हैं, दूसरी तरफ चुनाव में वोट लेने के लिये इस तरह की बात भी यहां करते हैं जिससे आगे उनको वोट मिल सके। मैं समझता हूं कि अगर सरकार चाहे तो उन मजदूरों का भला कर सकती है, उन श्रमिकों के ऊपर विचार कर सकती है। आखिरकार यह १८ साल का समय बीत गया और १९वां चल रहा है आज हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा था कि बहुत सी संस्थायें उन मजदूरों ने बना ली हैं और अगर वे एक हो जातीं तो उनको भी खरीद लिया जाता। लेकिन अब इनकी मनमानी नहीं चल सकती। आज प्रजातांत्रिक राज्य में एक-एक को सुविधा मिली हुई है, कोई भी किसी संस्था को खरीद सकता है। हम लोगों को भी खरीदा जा सकता है। अलग-अलग मजदूर यूनियन्स हैं और उनकी संख्या भी काफी है। लेकिन कांग्रेस यूनियन जो होती है वह एक यूनियन को आगे खड़ा कर देती है और उनकी बात मानी जाती है और बकिया जो मिल कर एक हैं उनकी बात नहीं मानी जाती। इस प्रकार बहुरूपिया बन कर जो रहते हैं उनकी बात सुनी जाती है। लेकिन जो वस्तव में मजदूरों का हित करने वाले हैं और मजदूरों और श्रमिकों की बात करने वाले हैं उनके दुःख और सुखों को समझते हैं उनकी बातों को माना नहीं जाता।

आप तो मिल मालिकों से पैसा लेते हैं और उन्हीं को खड़ा भी करते हैं चुनाव के मौके पर। अभी माननीय स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु पर केन्द्रीय सरकार ने यह घोषणा की कि दो दिन तक मिल चाहे वे प्राइवेट ठेकेदारी के हों, चाहे कोई भी हों, बन्द रहेंगी, लेकिन उसके बावजूद उन मिलों को प्रदेश के सारे चीनी मिल मालिकों ने और भी ऐसे उद्योगों ने बन्द नहीं किया। तुलसीपुर और बलरामपुर के मिल बन्द नहीं हुये। मैंने एक टेलीग्राम किया मुख्य मंत्री और प्रधान मंत्री को और कमिश्नर को भी और कहा कि वे इस पर हस्तक्षेप करें क्योंकि यह तो राष्ट्र की बात है किसी व्यक्ति की बात नहीं है, और उसके बाद भी उन्होंने बन्द नहीं किया। इस पर भी जिन मजदूरों ने काम नहीं किया उन मजदूरों को पैसा नहीं दिया जाता है जब कि केन्द्रीय सरकार ने घोषणा की है कि सवेतन छुट्टी मिलेगी। हमारी मांग है कि माननीय मंत्री जी इस पर ध्यान दें। उन मजदूरों को मजदूरी दिलायें क्योंकि उन्होंने मनमानी नहीं की, बल्कि राष्ट्र की रक्षा की बात की है।

मैं एक बात कहना चाहता हूं। इसी सदन में यह कहा गया गोन्डा टेस्ट वर्ग जो खोला गया उसमें मजदूरों की पूरी मजदूरी का भुगतान कर दिया गया। परन्तु मैं कहना चाहता हूं और मैंने इस सदन में कहा भी था और यह जो लांछन लगाया गया कि वहां जनसंघ के लोगों ने आतंक पैदा किया और जिसके नाते से वहां पर मजदूरों को भड़काया गया कि काम पर न आयें। मैं कहना चाहता हूं कि मैंने इस संबंध में तीन दिन तक भूख हड़ताल की थी उनको रोजी दिलाने के संबंध में। पर सरकार की तरफ से यह कहा जाता है कि उन मजदूरों को भड़काया गया। उन मजदूरों को मजदूरी कम दी जाती है। वहां छः आना बच्चों को मजदूरी, आठ आना औरतों को और मरदों को दस आना दी जाती है। मेरे खयाल में उसमें तो शायद एक अंडा भी खरीदना मुश्किल हो जायेगा। मंत्री जी यह कहते हैं कि यह बजट हमने मजदूरों के हित के लिये रखा है। मैं यह मांग करता हूं कि आप अपने उस कानून में टेस्ट वर्क के नियम में यह परिवर्तन करें। यह अंग्रेजों के जमाने के नियम है। आज स्वतन्त्र भारत है। आज स्वतंत्र भारत का नियम

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बनाइये। आज मंहगाई इतनी बढ़ती चली जाती है और उसके साथ-साथ मजदूरों के नाम पर इतना बड़ा बजट लाकर पेश करा लिया जाता है पर यह नहीं देखा जाता कि मजदूरों के बच्चे कैसे पढ़ते लिखते हैं उनके परिवार के लोग किस तरह से रहते हैं, इसकी चिन्ता सरकार नहीं करती। हमारे मंत्री जी कहते हैं कि हमने तो यह मजदूरों का और श्रमिकों का बजट पेश किया है इस पर कटौती का प्रस्ताव पेश क्यों करते हो। इसे तो आपको पास कर देना चाहिये। मैं तो कहता हूं कि इस पर और ज्यादा बजट रखा जाय लेकिन उस बजट से अगर उन श्रमिकों का भला हो सकें तब तो उसकी बात की जाय। इसलिये मैं समझता हूं कि ऐसे वेतन जो किसी भी संस्था या विभाग द्वारा दिये जाते हैं जो अंग्रेजों के समय के है, उसमें परिवर्तन किया जाय। श्रीमन्, एक कर्मचारी जो कि सरजू केनाल में केनाल विभाग में काम करता था वह १-११-६१ को मुन्शी के स्थान पर चुना गया और उसके बाद सरजू केनाल के स्थगित होने पर उस को गोंडा में मुन्शी के स्थान पर तबदील कर दिया गया और मुन्शी के स्थान पर इतने दिन तक काम करने के बाद उस को ई० ई० आई० ओ० के यहां एक डाकनवीस बना दिया गया। उसने चीफ इंजीनियर तथा अन्य उच्च अधिकारियों को प्रार्थना-पत्र दिये लेकिन आज तक उस की कोई सुनवाई नहीं हुई। वह मातादीन उपाध्याय अब भी काम कर रहा है। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वह ऐसे छोटे कर्मचारियों की प्रार्थना पर ध्यान दें जिनको कि ऊपर के अधिकारी सताते हैं और अन्याय जिन के साथ होता है, वह अत्याचार करते हैं उसको रोका जाय।

इसके अतरिक्त आप देखें खेतिहर मजदूरों को कितनी अधिक उपेक्षा हो रही है। जो गांवों में बसने वाले खेतिहर मजदूर हैं या चाकरी करने वाले लोग हैं या जो होटलों में काम करने वाले हैं या जो माननीय सदस्य निजी नौकरों से इधर के या उधर के उनसे काम कराते हैं ६ आना रोज या ७-१० रुपया माहवार पाते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के लिये किसी भी श्रम नियमों का प्राविधान श्रम कानून में नहीं है। लखौरी गांव में कई लोगों का वेतन लोगों ने नहीं दिया। पियरा गांव में रामजस वगैरा ४ भाई हैं, वेतन नहीं दे रहे हैं, इंसपेक्टर के पास वह गये लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास इसके लिये कोई कानून में प्राविधान नहीं है आप कोर्ट जाइये। जो लोग ५-६ आना रोज की मजदूरी कर के अपना पेट पालते हैं वह कैसे कोर्ट जा सकते हैं या जीवन यापन कर सकते हैं। मैं मंत्री जी से मांग करता हूं कि खेतिहर मजदूरों और ऐसे निजी काम करने वाले गरीब श्रमिकों के लिये भी नियम बनाने की कोशिश करें। इन चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को अफसरों के चंगुल से छुटकारा दिलाइयें। यह बेचारे दिन भर बड़े-बड़े अफसरों का काम दफ्तर में करते हैं और रात को एक-एक बजे तक अफसर और उनकी मेम साहब उनसे घर का काम कराती हैं। अगर मंत्री जी वाकई श्रमिकों की भलाई चाहते हैं तो इस चीज को दूर करें। इसलिये मेरा निवेदन है कि श्रमिकों को मैनेजमेंट और मुनाफे में भागी बनाया जाय क्योंकि वह दिन रात खून पसीना एक करके काम करते हैं। जिस तरह से शिक्षा संस्थाओं में टीचर्स को मैनेजमेंट कमेटी में रहने का सरकार अधिकार देती है उसी तरह से श्रमिकों को भी अपने प्रतिनिधियों को मैनेजमेंट में रहने का अधिकार मिलना चाहिये। खेतीहर मजदूरों के लिये भी श्रमिक नियमों में परिवर्तन होना चाहिये। उनको भी भत्ता ग्रेचुटी और छुट्टी की सहूलियत मिलनी चाहिये। इसके अलावा यदि वास्तव में मंत्री जी श्रमिकों का हित चाहते हैं तो श्रमिकों के हित के लिये वह यह बजट लायें तो वह श्रमिकों के हित में कानूनों को बनाये और पूंजीपतियों को प्रोत्साहन न दें। अगर यह पूंजीपतियों के हित में है तो मैं इसके विरोध में हूं और इसको पास कराने से कोई हित न होगा।

श्री मूल चन्दशास्त्री (जिला मेरठ)—

उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन के सामने जो श्रम और सेवा योजन का एक अनुदान प्रस्तुत है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसमें सन्देह नहीं है कि देश में और प्रदेश में जैसे-जैसे कल कारखानों की संख्या बढ़ती जा रही है वैसे-वसे यहां मजदूरों की समस्यायें भी बढ़ती जाती हैं। सरकार ने मजदूरों की सस्याओं के समाधान के लिये समय-समय पर अनेक कानून भी बनाये हैं, उनके काम के घंटे निश्चित किये है। उनके लिये और तरह-तरह की सुख-

[श्री मूलचन्द्र शास्त्री]

सुविधाओं का प्रबन्ध किया है और इस प्रकार से जितना संभव हो सकता था, सरकार ने यह कोशिश की कि फैक्ट्रियों में या दूसरी जगहों में या कल कारखानों में भी जो मजदूर काम करते है, वे अपने आपको यह महसूस करें कि वे एक स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक है और वे उन सब अधिकारों को बरत सकते हैं जिनको देश का बड़े से बड़ा आदमी बरत सकता है। अभी हमारे माननीय सदस्यों ने, चाहे इधर के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले हों, कुछ बड़ी-बड़ी बातें कहीं और यहां तक कह डाला कि बहुत जल्दी ही भविष्य में हिन्दुस्तान में एक क्रान्ति होने वाली है क्योंकि मजदूरों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। उनकी सुनवाई नहीं होती, उनको अच्छी तरह से वेतन नहीं दिया जाता है। भविष्य में क्रान्ति हो या न हो, यह तो अलग बात है लेकिन इस तरह की बातें मजदूरों के सम्बन्ध में सदन में और बाहर की जाय और तब भी क्रान्ति न हो तो यह आश्चर्य की बात है। एक तरफ जब से तो हिन्दुस्तान स्वतंत्र हुआ है। हर आदमी अपने अधिकारों को तो जानता है लेकिन उसने अपने कर्त्तव्यों की चिन्ता नहीं की है। हम लोग कांग्रेस में हो या दूसरी पार्टियों में हों, सब लोगों ने ज्यादातर लोगों को यह बताया है कि आपके अधिकार क्या हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं बताया कि आपके कर्त्तव्य क्या है? उनको यह नहीं समझा सके कि पहले आप अपने कर्त्तव्य का पालन करें, फिर अधिकार तो स्वयं आपको मिल ही जायेंगे। गीता में स्पष्ट लिखा है कि "कर्मण्येवधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन"। इधर के और उधर बैठने वाले दोनों ही यह चाहते हैं कि हिन्दुस्तान में प्रजातंत्र फले फूले लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्य जिस तरह की बातें यहां पर और बाहर भी करते हैं, क्या उन बातों से यहां पर प्रजातंत्र फले फलेगा।

यहां पर बड़ी मांग की जाती है कि जितनी भी हमारी शुगर फैक्टरीज हैं, या दूसरी कपड़े या जूट की मिलें हैं, उन सब को नेशनेलाइज कर लिया जाय, सरकार उनको अपने हाथ में लें ले। अगर ऐसा कर भी दिया जायगा तो क्या मजदूरों की समस्या हल हो जायगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन फैक्टरियों को सरकार ने अपने हाथ में ले रखा है क्या वहां पर मजदूरों को कोई शिकायात नहीं है? चुर्क सीमेंट फैक्ट्री सरकार के हाथ में है लेकिन वहां पर हड़ताल हुयी। कितना शोरगुल हुआ और बड़ी मुश्किल से वहा पर शाति हो पायी, मैं यह नहीं मानता कि सरकार अगर अपने हाथ में इन फैक्ट्रियों को लेले तो इससे समस्या हल हो सकेगी। सरकार ले या न ले यह बड़ी समस्या तो सरकार को तय करनी होगी, कि भविष्य में क्या होगा लेकिन यदि सरकार ले भी ले तो भी यह समस्या हल नहीं होने वाली है। अगर इसी तरह से हम लोग इस बात में लगे रहेंगे कि किसी तरह से लोगों में अशांति पैदा करके, किसी तरह से लोगों में झूठ या सच बोल कर जैसे भी क्रांति पैदा करें तो प्रजातंत्र कभी भी फल और फूल नहीं सकता है।

अभी माननीय सदस्यों ने जो गांवों में काम करने वाले खेतिहार मजदूर है, उनके बारे में कहा है कि उनकी ओर कोई देखता हीं नहीं है। जो निजी नौकर हैं उनकी ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, उनकी समस्या सुलझाई ही नहीं जाती है। आज जो फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर हैं, उनकी समस्या के होते हुए अगर ये दो बातें और जोड़ दी जायें तो यहां पर अराजकता और अशान्ति के आयास पैदा हो जायेंगी। हमें देखना चाहिए कि किसानों की आमदनी ही क्या है और उस आमदनी के लिहाज से उन्हें कुछ मिलता भी है या नहीं। ठीक उसी प्रकार से जो निजी नौकर हैं, उनके मालिकों की क्या आमदनी है? उस औसत से वे क्या वेतन दे सकते हैं? वास्तव में एक समस्या पैदा कर दी जाती है और फिर सरकार से कहा जाता है उसका हल निकालो। आखिर सरकार भी तो हम से ही बनी है। हमें सोचना चाहिए कि इन समस्याओं का हम कैसे निकल सकता है। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि हमें एक बात नहीं भूल जानी चाहिये। जिस समय अंग्रेज यहां था, कांग्रेस ने और जो दूसरे लोग देश को स्वतंत्र करना चाहते थे, अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिये विदेशी सत्ता को यहां से सदा के लिये हटाने के लिए कुछ इस तरह की बातें अपनाई जो अपनी हुकुमत होने पर नहीं अपनानी चाहिये। आज कांग्रेस सरकार कुछ अंश में उसका फल भोग रहा है। यूनीवर्सिटी

में जब झगड़े होते हैं, या और दूसरी जगह झगड़े होते हैं तो एक बात कही जाती है कि उस समय भी ऐसा हुआ था । मैं माननीय सदस्यों से केवल एक बात कहना चाहता हूं और वह यह है कि विरोधी दल के माननीय सदस्य भी यह आशा करते हैं कि कभी इधर की बेंचों पर बैठेंगे और ईश्वर करे बैठें क्योंकि प्रजातन्त्र में सबको बराबरी का मौका आता है, लेकिन इस बात को सोच करके वह है यह भी सोचा करें कि उन सुधारों को जिन्हें वे आज इस सरकार के सामने रखते हैं उन सुधारों या बातों को अगर उन की हुकुमत बने तो पूरा कर सकेंगे । दूसरे को उपदेश देना बहुत आसान होता है लेकिन यह नहीं भूलना चाहिये, ऐसा उपदेश नहीं देना चाहिये जिस उपदेश को अपने जीवन में और जब कभी अपने हाथ में सत्ता आवे उस समय हम पूरा न कर सकें ।

मैं केवल एक सुझाव देना चाहता हूं कि हम सब को मिल कर के सब से ज्यादा कोशिश यह करनी चाहिये कि जहां कहीं भी मजदूर हों, चाहे सरकारी नौकर हों या दूसरे कर्मचारी हों, हमें उन्हें उभाड़ने की कभी भी कोशिश नहीं करनी चाहिये । इस तरह से हम उन्हें उभाड़ने की कोशिश करेंगे तो उस का नतीजा किसी के लिये भी अच्छा नहीं हो सकता है । और इसीलिये मैं इस संबंध में सरकर से नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि यह बड़ी गलती होती है जब कभी कोई आन्दोलन करने लगता है, जब कभी भूख हड़ताल और दूसरी बातें होने लगती हैं तब तो हम उन बातों को सुनने का प्रयत्न करते हैं और अगर शान्ति से कोई बात कही जाती है तो हम उस को सुनने का प्रयत्न नहीं करते हैं । इसलिये मैं श्रीमन्, निवेदन करूंगा कि आप के माध्यम से मंत्री महोदय बड़े समर्थ हैं, और मुझे यह भी खुशी है कि वह उस वर्ग से आते हैं जो वर्ग श्रमिकों की दिक्कतों को, श्रमिकों की जो जो आवश्यकतायें हैं, उन सब को अच्छी तरह से समझते हैं, और चूंकि उनका ऐसे लोगों से संबंध रहा है और अभी भी इसी तरह के लोगों से संबंध है, इसलिये हमें खुशी होनी चाहिये कि हमारे प्रान्त में श्रम एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो उन समस्याओं को अच्छी तरह से समझता है और हमें यह भी आशा करनी चाहिये कि वह ईमानदारी से उन समस्याओं को हल करने में जरूर प्रयत्नशील होगा । हां, अगर कभी कोई ऐसी गलती हो जाती है कि वह समस्या किसी तरह से हल नहीं हो सकती है तो यह भी समझना चाहिये कि आज तक दुनियां में हर समस्या का हल निकल आया हो, ऐसा मैं नहीं मानता । बहुत सी ऐसी बातें हैं हम अनुभव करते, हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिये, लेकिन फिर भी उसकी कोई दवाई हमारे पास नहीं होती । इसके साथ-साथ मैं एक बात और कहना चाहुंगा कि, जिस तरह से अभी कुछ बातें रखीं, कि हमारे जो श्रम न्यायालय बने हुये हैं उनमें न्याय नहीं मिलता है, उसका उचित प्रबन्ध होना चाहिये ।

श्रीमन्, ज्वालापुर की हैवी इलेक्ट्रिक फैक्ट्री है हरिद्वार के पास, वहां मैं गया । वहां पर कुछ किफायतशारी की बात हुई । वहां के मजदूरों ने मुझे यह बताया कि जिन लोगों के घरों में पंखा था वह तो निकलवा लिया लेकिन जिन अधिकारियों के यहां ५, ५, और ७, ७ पंखे थे उनको निकलवाने का कोई प्रबन्ध नहीं हुआ । हालांकि यह फैक्ट्री हमारी सरकार के हाथ में नहीं है, लेकिन यह दिक्कत हमारे यहां भी आ चुकी है । मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से प्रार्थना करूंगा कि जब कभी किफायत की बात की जाय उसमें यह ध्यान रखा जाय कि केवल छोटे तबक़े पर ही उसका असर न पड़े बल्कि जो बड़े तबके के अफसरान या दूसरे व्यक्ति हैं उन पर भी उसका असर पड़े । गवर्नमेंट में अगर कभी छटनी की जाय तो केवल छोटे-छोटे चपरासी या दूसरे लोगों की ही छटनी न हो बल्कि हमारे यहां 'उप' लगा कर जो बहुत से अधिकारी बना दिये जाते हैं उनकी भी छटनी करने का प्रबन्ध किया जाय । मैं समझता हूं कि अगर दो, चार अधिकारियों को भी कम कर दिया जाय तो सैकड़ों चपरासियों की छटनी रोकी जा सकती है । इसलिये मैं आपके माध्यम से उधर के बैठने वाले सदस्य भाइयों से केवल यह निवेदन करूंगा कि हमें, मजदूर हों या सरकारी कर्मचारी, उन्हें उभाड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिये और गवर्नमेंट को कटिबद्ध हो जाना चाहिये कि जो बातें शान्ति से उसके सामने रखी जायं उनका पालन करें और जबरदस्ती से रखी जाने वाली बातों को हर्गिज न माने । इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता ।

*श्री लखीसिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यूसुफ जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, मैं उसके समर्थन में अपने विचार व्यक्त करूंगा ।

श्रीमन्, जहां तक मैं समझता हूं मजदूरों की परिभाषा में अब तक केवल मिल मजदूरों की बात ही यहां हुई । लेकिन मजदूरों में वे लोग भी शामिल हैं जो बड़े-बड़े सरकारी अधिकारियों के नीचे छोटे-छोटे सिपाही और चपरासी रहते हैं, जो रोडवेज के उन कारखानों में काम करते हैं जहां मोटरों की मरम्मत वगैरह होती है, जो सार्वजनिक निर्माण विभाग में सड़कों पर पत्थर, रोड़ी वगैरह डालते हैं या उनके रख रखाव का काम करते हैं । मजदूर वे भी हैं जो गांवों में रहते हैं, जो खेतिहार मजदूर हैं । जिनको जब कभी फसल अच्छी हो जाय तो कुछ मजदूरी मिल जाती है नहीं तो बेचारे बेकार पड़े रहते हैं । माननीय सदस्य अभी बोल रहे थे कि मजदूरों को भड़काते हैं । एक माननीय सदस्य पहले बोल रहे थे । मैं उन्हें अपने से ज्यादा जानने वाला समझता हूं, और मैं यह भी समझता हूं कि वे वही हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा सन् ३६ और ४७ से पहले मजदूरों को भड़काया । मैं भी वही हूं । अब आप उनकी जबान पर ताला लगाना चाहते हैं । आज की आजादी में रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन चीजें अगर मजदूरों को नहीं देंगे तो बगावत का झंडा बुलन्द किया जायगा और मजदूरों को भड़काया जायगा । हमने यह गांधी जी के सामने कहा था और आज भी बापू जी के चित्र के सामने हम कहते हैं कि अगर सौ रुपये से कम और हजार रुपये से ज्यादा का सीमा वेतन नहीं बनाया तो हम उन आदमियों में से नहीं हैं जो एक माननीय सदस्य ने कहा था कि जनसंघ के भाई की तरफ इशारा किया । मैं मानता हूं कि वह एक सेठ थे जो इधर बैठे थे, उनकी दूकान साड़ियों की बनारस में है । मुझसे उन्होंने कहा कि तुम क्यों बोलोगे ? यह तो मजदूरों की बात है । मजदूर निकला कहां से है ? वह किसान परिवार में से ही निकला है । मजदूर के माने गरीब के हैं, चाहे जन्म से हो, चाहे भूमिहीन हो, चाहे अलाभकर जोत वाला हो, सभी मजदूर हैं । मैं मंत्री जी का भाषण सुनता रहा । लेकिन मंत्री जी हमारी बात सुनेंगे नहीं क्योंकि वे मजदूरों के मंत्री हैं ही नहीं । यह गलत विभाग उनको दे दिया गया है । अगर किसी मजदूर को यह विभाग दिया जाता तो ठीक होता । हमारी बात वे नहीं सुनेंगे, हम उनके पुराने साथी हैं ।

इस किताब में से मंत्री जी ने बताया । यह उनकी ही श्रम की किताब है । मैं भी बताना चाहता हूं कि इसमें लिखा है कि "सड़कों का निर्माण या रख रखाव अथवा भवन निर्माण तथा पीसने के नियोजन के लिये न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित की गई । १ रुपया प्रति दिन अथवा २६ रुपये प्रतिमास की मजदूरी दर परिवर्तित करके २६ कार्य दिवसों के लिये १.७३ रुपया प्रति दिन या ४५ रुपया प्रतिमास कर दी गई है" । मैं नहीं समझता कि २८ साल के स्वराज्य में भी ५ रुपये या ८ रुपये माहवार के मजदूर हैं और इस प्रान्त में लाखों की तादाद में हैं । वे गवर्नमेंट के चौकीदार हैं । हम भड़काते नहीं हैं लेकिन उनकी याद करके इस स्वराज्य की सरकार को रोते हैं । हम जवाब देने लायक नहीं हैं ।

वृद्धावस्था की पेंशन की बात कही गई । एक वृद्धावस्था प्रामदा तौना, तहसील छाता जिला मथुरा की है, वह मुझे मेरे क्षेत्र में मिली । उसकी पेंशन की स्वीकृति २ मार्च, १९६५ को आयुक्त । कानपुर ने दे दी है । लेकिन आज तक उसको पेंशन नहीं मिली । अगर न्यायाधिकारी अधिकारी हैं तो वह देखें और मंत्री जी इसे नोट करें । मेरी बात झूठ हो तो जो चाहे सजा दें । दो लोग पेंशन के लिये टक्कर मारते फिर रहे हैं लेकिन मिल नहीं रही है । वहां से अधिकारियों ने आंकड़े बना दिये हैं । हम पैसे की बात नहीं करेंगे । अनुदान तो जो आपने रखा है पास होगा ही । ५ बजे तक हम चिल्लायें और उपाध्यक्ष हां या नहीं कहेंगे और यह पास हो जायेगा । लेकिन हम असलियत कहते हैं । एक ओवरसियर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मुझे आगरा में मिला उनको अक्तूबर से नौकरी में लिया गया लेकिन आज तक उनको तनख्वाह नहीं मिली। वह विभाग के तमाम अफसरों को एप्लीकेशन भेज चुका है लेकिन कोई सुनवाई नहीं मिली। छोटे-छोटे चपरासियों को वर्दी नहीं मिलती और उनको मुश्किल से २४ घंटे में एक आध घंटा सोने को मिलता है और इतवार को भी सोने को भी छुट्टी नहीं मिलती। अंग्रेजों के जमाने से भी बदतर हालत है। अगर लिख कर भेजे तो नौकरी से हाथ धोना पड़े। यह हालत है, लिख कर किस को भेजेगा। मैं कुछ और कह नहीं सकता श्रीमन्, मैं मंत्री जी के विभाग की सेवा योजन समिति में भी रहा हूं। मैंने उस में दो चार सुझाव दिये, लेकिन उनको उठा कर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। रोजगार के दफ्तर में हमारे यहां, श्रीमन्, सैकड़ों विद्यार्थी आते हैं और जो पूजा कर देता है उसका नाम तो सूची में चढ़ जाता है, अगर कोई खाली जगह हो और कोई पैसा दे देता है तो उसे नौकरी मिल जाती है। लेकिन जिनके पास पैसा न हो, गरीब है, हरिजन है, जाटव है, उसके पास पैसा नहीं है तो रोजगार के दफ्तर में सूची में उसका नाम चढ़ेगा ही नहीं। मैंने सुझाव दिया था कि जिसको कार्ड मिल जाय वह कार्ड कम से कम छः महीने तक चलना चाहिये। छः महीने के अन्दर जिसका नाम हो उसका नाम सूची में आ जाना चाहिए।

कोसी कलां मेरे क्षेत्र में है। उसमें १३ मील छोटे-छोटे कपास के कारखाने हैं। मजदूर की उदासीनता और पूंजीपति की तानाशाही से तेरहों मिल चौपट हो गये। वह नहीं चल रहे हैं। यही नहीं हाथरस में भी यही हालत है। वह भी अच्छे मिल थे, सब चौपट हो गये। आपने अपने भाषण में प्रगति बतायी है। मैं कहता हूं कि हुई है प्रगति रुपये में दस पैसे शायद बढ़ा हो १८ साल में। कुछ आदमी हैं मंत्री जी को आंकड़े लिख कर दे देते हैं। वह यहां भी और जिलों में भी बैठे हैं। वह आंकड़े लिख कर दे देते हैं और दशमलव में हमको सुनाया जाता है। दशमलव से हम परेशान हो गये। हम समझते ही नहीं कि दशमलव क्या बीमारी होती है। मैं एक बात और कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। अगर आसाम जैसी, बंगाल जैसी हालत बनाना चाहते हो, और इस देश को कम्युनिस्ट बनाना चाहते हो, इस देश के मजदूरों को खूंखार बनाना चाहते हो, खूनी क्रान्ति करवाना चाहते हो, तो मजदूरों की बात मत सुनो, समाजवादी पार्टी की मत मानो। समाजवादी पार्टी विकेन्द्रीकरण की बात कहती है, कहती है कि १०० से कम न हजार से ज्यादा, जब तक सीमा नहीं लगेगी तब तक मैं इसको समाजवाद नहीं कहूंगा, नहीं कहूंगा, नहीं कहूंगा।

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी द्वारा जो सेवा योजन और श्रम विभाग का अनुदान पेश है, उसका समर्थन करने के लिये और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अभी मैं माननीय सदस्य का भाषण सुन रहा था। मुझे ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे उन्होंने एक तरफ का चित्र देखा हो दूसरी तरफ का चित्र देखा ही न हो। वह कह रहे थे कि इस मुल्क में खूनी क्रान्ति करवानी है तो मजदूरों की बात न सुनें। समाजवादी पार्टी की बात उन्होंने कही। जब तक सौ और हजार के अन्तर की बात नहीं मानी जायेगी तब तक शान्ति होने वाली नहीं है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि जो उद्देश्य उन्होंने बनाये हैं, क्या उनकी पार्टी के सब सदस्य उनको मानते हैं? क्या उन्होंने अपनी आमदनी को हजार और सौ के बीच में कर लिया है? गांधी जी ने जो आन्दोलन चलाया और जिसके अनुसार देश को स्वराज्य मिला। उनका कहना था कि जो कर सको वह करो और जो न कर सको वह न कहो। उन्होंने हमें सिखाया कि हमारी कथनी करनी में कोई अन्तर नहीं होना चाहिये और हमें बहुत सोच समझ कर ही किसी बात को कहना चाहिये। उन्होंने तो कांग्रेस के अन्दर यहां तक लोगों से कहा कि जो कांग्रेस के सदस्य बनना चाहें और कार्य करना चाहें, उन्हें पार्टी के

[श्री मुरलीधर]

आदर्शों और बातों को पूरी तरह से मानना चाहिये। जो उन सिद्धान्तों और उद्देश्यों का पूरी तरह से पालन करते थे, उसके आधार पर चलते थे वही कांग्रेस सदस्य थे और जो ऐसा नहीं कर पाते उनके लिये उनका कहना था कि उनके लिये अच्छा हो कि वह इस तरफ न बढ़ें। जो १७ वर्षों में काम श्रमिकों (लेबरर्स) के लिये हुआ है, वह उनके सामने नहीं आया है। मैं ऐसा समझता हूं कि मजदूरों के लिये सस्ते किराये पर मकान और उनके यहां पर बीमारी हो तो उस की व्यवस्था, बुढ़ौती पेन्शन, इन सब चीजों पर उन की दृष्टि नहीं पहुंची। इसके साथ साथ मजदूरों के लिये बोनस और मंहगाई जो कि समय-समय पर बदलती रहती है, उसके अनुसार बिलाने के लिये बराबर प्रयास किया जाता है। तो जहां तक उन्होंने सब बातें कहीं उन को इस चित्र को सामने रखना चाहिये था। १७–१८ वर्षों में श्रमिक हित के लिये जो बातें हुयीं वह अंग्रेजों के समय में नहीं थीं। आज जो सुविधाएं उन्हें प्राप्त हैं वह अंग्रेजों के समय में नहीं थीं। यही नहीं मजदूरों का दमन और शोषण होता था, उनकी कोई आवाज नहीं थी, वह कुछ कह नहीं सकते थे, वह हड़ताल नहीं कर सकते थे इतना उनके ऊपर दबाव था। आज वह अपनी बात मनवाने के लिये हड़ताल कर सकते हैं और उनके नियम बने हुये हैं और उन नियमों के अन्तर्गत व अपनी बात मनवाने के लिये आन्दोलन कर सकते हैं। लेकिन मुश्किल यह है कि बहुत से लोग तो इसलिये नेतागिरी करते हैं कि मजदूरों को उकसायें और जब वह आगे बढ़ जाएं तो पीछे से उन का पैर पकड़ कर घसीट लें और रिश्वत में मिल या कारखाना मालिकों से पैसा ले कर अपनी जेबें भरें और बंगले बनवायें। इस तरह से उन नेताओं के द्वारा मजदूरों को धोखा दे दिया जाता है। यदि सही तरीके से उनका नेतृत्व किया जाए तो बहुत सी बातें शान्तिपूर्वक हल हो सकती हैं और उससे मजदूरों का वास्तविक हित हो सकता है।

बुढ़ौती पेन्शन व्यवस्था के बारे में मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि जो लोगों को पेन्शन की स्वीकृति मिली है, उसका जो प्रोसीजर है, उसमें कई महीने लग जाते हैं जब कि बहुत से लोग असहाय होते हैं, और पेन्शन न मिल सकने के कारण तथा समय पर उनकी अस्वस्थता में इलाज के अभाव में या भूख से मृत्यु हो जाती है। तो आप ऐसे नियम बनाइये कि इतनी इतनी अवधि से अधिक पेन्शन का कागज एक अधिकारी के पास नहीं रुकना चाहिये, यानी नियत समय के भीतर उस अधिकारी द्वारा उस पर एक्शन ले लिया जाना चाहिए। जिससे कि जिन लोगों को फायदा देना है, उन्हें समय पर मिल जाए। क्योंकि वह असहाय और शारीरिक असमर्थता के कारण इसके बिना भूख की ज्वाला में समाप्त हो जाते हैं और पेंशन की स्वीकृति का विचार ही होता रह जाता है। आई० टी० आई० का जहां तक सम्बन्ध है, यह अच्छी योजना है, लड़के ट्रेनिंग लेकर निकलते हैं, लेकिन इसके साथ-साथ यह भी समस्या दिन प्रति दिन बढ़ती जाती है कि ट्रेनिंग प्राप्त लोगों की बेकारी बढ़ती जाती है। जैसे कि हाईस्कूल और इन्टर पास होने के बाद लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती है, वही स्थिति इसमें भी आती जारही है। इसलिये ऐसा प्रबन्ध होना चाहिये कि ट्रेनिंग प्राप्त लोग बेकारी के शिकार न बनने पावें।

कारखाने के मालिक बेपढ़ अनट्रेण्ड को रख लेते हैं किन्तु इन पढ़े लिखे प्रशिक्षितों से पता नहीं क्यों द्वेष मान कर नहीं रखते हैं तो कोई न कोई बहाना बना कर निकाल देते हैं इन बातों की व्यवस्था की जाय जिससे इन प्रशिक्षितों की बेकारी की समस्या न पैदा हो। इन शब्दों के साथ प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं। इसलिये उसकी वजह यह है कि जब लड़के ट्रेनिंग ले कर निकलते हैं तो कारखानेदार उनको काम नहीं देते हैं और उनकी जगह पर गैर पढ़े लिखे लेबर को काम देते हैं। पढ़ा लिखा आदमी जब ट्रेनिंग लेकर निकलता है और उसको स्थान किसी तरह न मिलने पर इनमें भी बेकारी बढ़ जावेगी। पता नहीं है कि कारखाने के मालिकों की मनोवृत्ति किस तरह की हो गई है और वे इस दिशा में क्या सोच रहे हैं। मालूम होता है कि वह सरकार की स्कीम को चलने देना नहीं चाहते हैं या यह जो पढ़े लिखे आदमी वहां

से प्रशिक्षण करके निकलते हैं उनसे द्वेष मानते हैं या क्या बात है। इस बात पर सरकार गौर करे और यह जो प्रशिक्षण प्राप्त कर के यहां से निकलते हैं उनको कम से कम काम अवश्य मिलना चाहिये।

ग्रामीण क्षेत्र में जो बिखरे हुये मजदूर हैं उनके सम्बन्ध में कुछ डेली वेजेज के नियम बनाये गये हैं यह बात ठीक है लेकिन डेली वेजेज नियम के लागू होने के बाद भी सही तरीके से उनको मजदूरी मिल पाती है या नहीं इसकी भी देखरेख करने वाला कोई नहीं है। जिस तरह से शहरों में अस्पताल की व्यवस्था होती है और मजदूरों के लिये भी रहने की मकान की और दवाइयों की व्यवस्था होती है उस तरह से गांव के मजदूरों के लिये नहीं है। सरकार को इस तरफ गौर करना चाहिए। वहां पर भी मजदूरों के स्तर को उठाने के लिये, उनके स्वास्थ्य का निर्माण करने के लिये प्रयत्न होना चाहिये। उनके लिये स्वस्थ मकान की आवश्यकता है। इसका प्रयास होना चाहिये। ऐसी कोई योजना सामने आनी चाहिये जिससे उनको कुछ न कुछ लाभ हो सके। इसके साथ साथ गांव में जो मजदूर रहते हैं उनके रहने के लिये मकान बहुत छोटे होते हैं। अधिकतर मकान तालाब के किनारे या गंदी जगह पर होते हैं जो उनके स्वास्थ्य के लिये हानिप्रद होते हैं। इन सब बातों की ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिये। यहां अब स्टेट इम्प्लाइज इन्श्योरेन्स स्कीम के अस्पतालों के विषय में कहना चाहता हूं कि मजदूरों को दवा ठीक ढंग से मिले और दवा के लिये कोई कर्मचारी उनसे किसी प्रकार कोई पैसा न ले इसकी देखरेख होनी चाहिये। वहां पर तब्दीली के सम्बन्ध में जो गड़बड़ी पैदा की जाती है और कर्मचारियों के इधर उधर स्थानान्तरण करने में जो परेशान किये जाते हैं उसको भी देखना चाहिये। अन्यथा यह जो अस्पताल की योजना है इससे लोगों लाभ इतना नहीं मिल पायेगा जितना मिलना चाहिये।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

उपाध्यक्ष महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव पेश हुआ है मैं उसका समर्थन करता हूं। मैंने माननीय मंत्री जी के भाषण को बहुत गौर के साथ सुना। माननीय मन्त्री जी ने जिक्र किया कि इस विभाग के माध्यम से ३, ४ किस्म के काम किये जाते हैं जो मजदूरों के हित में किये जा रहे हैं। एक सेवा योजन के द्वारा काम हो रहा है और दूसरा टेक्निकल ट्रेनिंग के संबंध में जो आई० टी० आई० के माध्यम से किया जा रहा है और जिसके बहुत से लोगों को रोजगार दिलाने के सम्बन्ध में कार्य किया जा रहा है। यह जो काम हैं जो इस विभाग के माध्यम से किये जा रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आई० टी० आई की ट्रेनिंग की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसका उन्होंने अपने भाषण में जिक्र किया था। आई० टी० आई० ट्रेनिंग जिस तरह से होनी चाहिये उस तरीके पर नहीं हो रही हैं। आप जाकर देखें कि जो लड़के आज आई० टी० आई० से ट्रेनिंग पाकर निकलते हैं उनको उससे ट्रेनिंग नहीं मिलती है जिस तरीके से उनको मिलनी चाहिये। बहुत सी जगह देखा गया है कि न तो वहां पर मशीनरी अच्छी है और न औजार हैं और न ऐसे इन्स्ट्रक्टर हैं जो पूरी तरह से योग्य हों ऐसे ऐसे इंस्ट्रक्टर रखे गये हैं जो अन्ट्रेन्ड हैं। आप ही सोचिये कि जो स्वयं अनक्वालीफाइड हैं वे कैसे दूसरों को ट्रेन्ड कर सकते हैं।

दूसरी बात मान्यवर। मैं यह कहना चाहता हूं आज मंहगायी की जो हालत है उसको देखते हुये सरकार जो वजीफे देती है वह बहुत कम है। पंजाब में मैंने देखा कि वहां पर सभी छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है और यहां से बहुत ज्यादा है। हमारे यहां सरकार २५ रुपये तो छात्रवृत्ति देती है और वह भी केवल २५–३० प्रतिशत छात्रों को। अगर आप आप चाहते हैं कि औद्योगिक तरीके से प्रदेश का विकास हो, तो यह आवश्यक है कि सरकार हर छात्र को छात्रवृत्ति दे और वह कम से कम ४५ रुपये हो। जब आप ग्राम सेविकाओं को ६० रुपये देते हैं और दूसरे लोगों को ज्यादा देते हैं, तो कोई कारण नहीं है कि इन्डस्ट्रियल ट्रेनिंग के छात्रों को कम वजीफा दें।

[श्री ऊदल]

दूसरा निवेदन मैं यह करना चाहता हूं कि एपरेन्टिस के लिये जिन छात्रों को भेजा जाता है उन्हें भी सरकार स्टाइपेंड देती है जो ५० रु० से ६० रु० माहवारी का होता है वह कम है क्योंकि डेढ़ साल, ३ साल तथा कम से कम ६-६ महीने की उनकी ट्रेनिंग होती है। और आज की मंहगाई को देखते हुये वह बहुत ही कम है। मान लीजिये यदि किसी को वाराणसी से लखनऊ व कानपुर में अपरेंटिस के लिये भेजा जाता है तो उसका खर्च ५०-६० रु० में कैसे चल सकता है? और प्रदेशों में भी ऐसे छात्रों को ७५ से लेकर १५० रुपये तक दिये जाते हैं। मैं चाहता हूं कि वहां भी अपरेंटिस करने वालों को स्टाइपेंड कम से कम १०० रु० दिया जाय।

श्रीमन्, आपके महकमें में जो कर्मचारी हैं उनको आप वही वेतन दे रहे हैं तो सन ४८ में जबकि पाकिस्तान और हिन्दुस्तान का बटवारा हुआ था और रिफ्यूजी यहां आये थे उस वक्त रिफ्यूजियों के बसाने का उनका वेतन ६०-७० प्रतिशत तथा इस विभाग का खर्च तो केन्द्रीय सरकार देती है। उनके वेतन के बारे में कई बार मैंने मंत्री जी को पत्र भी लिखा कि आप उनकी तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं। आज हमारी सरकार बी० डी० ओ० को ८०० रुपये देती है और क्लास टू का दर्जा दिया है लेकिन इस विभाग के अधिकारियों को २५० रुपये देती है उनका कोई खास दर्जा नहीं है। एम्प्लायमेंट आफिसर्स का संघ भी बना है। और वे मांग भी करते हैं मेरा सुझाव है कि आप इस प्रश्न पर गौर करें और वाराणसी कमिश्नरी में एक रीजनल इम्प्लायमेंट आफिस स्थापित करें। वहां विश्वविद्यालय है, लोको है, दूसरे बड़े कारखाने हैं तथा काफी महत्व का शहर है और भी जगहों पर यह आफिस आप खोलें। इससे काफी लाभ होगा।

एक निवेदन मैं बिजली के कर्मचारियों के बारे में करना चाहता हूं। इस विभाग के कर्मचारियों को बहुत कम वेतन अब तक मिलता रहा है। विद्युत परिषद् की स्थापना हो गयी, इसके बाद भी उनके वेतन पर विचार नहीं किया गया। झांसी इलेक्ट्रिक कम्पनी जो एक प्राइवेट कम्पनी थी उसको विद्युत परिषद ने ले लिया लेकिन मजदूरों को तनख्वाह कम्पनी देती थी उसको भी विद्युत परिषद नहीं दे रहा है। मजदूरों ने सिटी मैजिस्ट्रेट के यहां केस किया जिसने विद्युत परिषद के खिलाफ फैसला दिया, विद्युत परिषद फिर सेशन जज के यहां गयी, उसने भी सरकार के खिलाफ फैसला दिया। अब सरकार हाई कोर्ट रिट लेकर गयी है। यह बड़ी ही ताज्जुब और शर्म की बात है। माननीय बनारसी दास जी, आप जैसे व्यक्ति के लिये भी यह बड़े शर्म की बात है कि इस तरह से तानाशाही की जाय कि लेबर कोर्ट का फैसला हो गया उसके बाद भी उससे लेकर हाई कोर्ट में सरकार जाय।

इसी तरह से मिनिमम वेजेज ऐक्ट को बहुत जगह नहीं लागू किया गया है। कानपुर में बहुत सी बिस्कुट फैक्टरीज हैं, हमारे वराणसी में भी बहुत सी बिस्कुट फैक्टरीज हैं, इंजीनियरिंग के कारखाने हैं मेटल कारखाने हैं उन सब पर प्राविडेंट फंड योजना लागू है लेकिन बहुमत में कारखाने ऐसे हैं जो उस मद में पैसा नहीं देते हैं। तो क्यों नहीं सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही करती? जब माननीय सम्पूर्णानन्द जी चीफ मिनिस्टर थे तब मजदूरों की बहबूदी के लिये उन्होंने मिनिमम वेजेज ऐक्ट बनाया था लेकिन वह कानून आज भी सब कारखानों पर नहीं लागू है। जिन कारखानों ने प्राविडेंट फंड योजना को नहीं लागू किया है उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्यवाही करने की आवश्यकता है। सरकार को चाहिये कि वह इस सवालों पर गौर करके मजबूती के साथ कदम उठावें।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय। आज माननीय मंत्री जी ने सेवायोजन के सम्बन्ध में जो बजट का अनुदान रखा है, उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और जो कटमोशन विरोधी दल की तरफ से आया है, उसका मैं विरोध करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय

मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि कानपुर के म्योर मिल मजदूरों की हालत आज बहुत ही शोचनीय है। आज ८ महीने से करीब साढ़े ६ हजार मजदूर बेकार घूम रहे हैं और उनकी हालत बहुत ही खराब है। ८ साल पहले वह मिल बागला साहब के पास था, जिन्होंने उस मिल के अच्छे से अच्छे सारे मशीन के पुर्जे आहिस्ता आहिस्ता निकाल लिया, फिर वे ए० के० ग्रुप पी० डी० सिंहानिया के पास गया, उन्होंने भी उसमें से बचा खुचा अच्छे से अच्छा मशीन का पुर्जा निकाल लिया, और उसके बाद उन्होंने मिल बन्द कर दी। फिर बड़े जोरों से कोशिश की गयी कि वह मिल खुले, तब उसे केन्द्रीय सरकार से कंन्ट्रोलर के हाथ में दे दिया गया। उसे भी करीब एक सवा माह हो गया लेकिन उसे चालू नहीं किया गया। इसकी वजह से वहां के मजदूर बहुत ही मुसीबत व संकट में हैं, इसलिये सरकार का ध्यान इस बात की ओर जाना चाहिये कि शीघ्र से शीघ्र वह मिल चालू की जाय जिससे उन मजदूरों को रोटी मिल सके। एक तरफ तो मजदूरों की हालत इतनी खराब है और दूसरी तरफ माननीय मंत्री जी के लेबर डिपार्टमेंट के कर्मचारीगण ने उन बेकार मजदूरों पर भूमि भवन कर की अदायगी का नोटिस दे दिया। नोटिस देने के बाद जब कांग्रेस वाले लेबर आफिस के अधिकारियों के पास जाकर नोटिस को वापस लेने के लिये कहा तो उसको उन लोगों ने नहीं माना, लेकिन जब विरोधी दल के श्री एस० एन० बनर्जी गये तो उन्होंने नोटिस को वापस लिया। इसी से आप समझ सकते हैं कि वास्तविक स्थिति क्या है। उन कर्मचारियों ने विरोधियों की बात मान कर कांग्रेस वालों का अपमान करने की कोशिश की है। दूसरी तरफ यह भी शिकायत है कि मिल मालिक चार चार घंटे गैर कानूनी तरीके से कुछ श्रमिक नेताओं से समझौता के जरिये मिल मजदूरों से काम लेते है और यदि वह साबित न हो तो सरकार मिल मालिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा रही है लेकिन लेबर नेता की बात नहीं मानती। माननीय मंत्री जी ऐसे समझौते के खिलाफ क्या कार्यवाही करने जा रहे है, इसको बतलाने की कृपा करें। जहां तक सेवायोजन का ताल्लुक है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आज हरिजनों का कोटा पूरा नहीं दिया गया है, उसका क्या कारण है? सेवायोजकों के द्वारा जो रोजगार दफ्तर हर जिले में खुले हुये है वहां पर नौजवान जाकर अपना नाम लिखवाते है और लिखाने के बाद जब कहीं से मांग आई कि इतने मजदूर, इतने क्लार्कस चाहिये तो सेवायोजन के जो जो कर्मचारी है उनमें रिश्वत का इतना जोर है कि कहने की कोई बात नहीं। उस दफ्तर से यह नहीं पूछा जाता है कि हरिजनों के १८ परसैन्ट कोटा पूरा है या नहीं परन्तु वहां से तो एक लम्बी लिस्ट भेज दी जाती है। यह हमारी एक शिकायत है जिसे मंत्री जी दूर करने की कोशिश करें।

इसके अलावा खेतिहर मजदूरों की बड़ी समस्या है। वे बिखरे हुये हैं। उनकी यूनियन नहीं है। उनके लिये सरकार बिल्कुल शून्य है। उनकी हालत बदतर होती जा रही है। जहां संगठित मजदूर हैं जहां ट्रेडयूनियन्स बनी हुई है उनके लिये सारा का सारा धन आप खर्च कर रहे है श्रमिक कल्याण के नाम से परन्तु खेतिहर मजदूरों के लिये कोई सुविधा आज नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि इनके सम्बन्ध में आप इन्क्वायरी कमेटी बैठाये और वह जांच करे कि आज की हालात में इन मजदूरों को मजदूरी क्या दी जानी चाहिये जबकि बाजरा में गेहूं सवा सेर का मिल रहा है। और उन मजदूरों को १५ या २० रुपये तक मजदूरी मिल रही है। इनकी तनख्वाह और इनके बच्चों के सम्बन्ध में सरकार पूरा का पूरा खर्चा उठाये जिनसे इनकी हालत में सुधार हो सके और ये अपने सामाजिक अधिकार को प्राप्त कर सकें।

इसके अलावा, आई० टी० आई० में जब लड़के दो साल की ट्रेनिंग लेते हैं तब भी उनको नौकरी मिलने में सन्देह रहता है। वह बहुत परेशान होते हैं। सैकड़ों लड़के ऐसे हैं जो बेकार है क्योंकि मिल मालिक उनको लेने के लिये तैयार नहीं है। सरकार अपनी ओर से इसका प्रबन्ध करे और उनको किसी न किसी कारखाने में नौकरी मुहइया करे। अगर ऐसी नहीं होता है तो ट्रेनिंग पाया हुआ लड़का बेकार रहता है।

[श्री गंगाप्रसाद]

आज देश में, जहां तक खेतिहर मजदूरों का सम्बन्ध है, उनकी हालत बिगड़ती जा रही है और उनको ठीक से खाना और कपड़ा नहीं मिल रहा है। और आपने नैनीताल में लेबर कमेटी में कहा था कि कानपुर में जो न्यू कालोनी है उसका किराया ज्यादा है। वहां पर एक दूसरी कालोनी में १२ रुपये किराया है और एक कालोनी में २१ रुपये किराया है मकानों का। कहा गया कि दोनों में कोई अन्तर नहीं है। आपने कहा था कि किराया कम करेंगे, लेकिन नहीं किया गया है। इसके अलावा भूमि भवन कर भी लगा दिया न्यू कालोनी के सामने ईदगाह के बराबर में जो जानवर कटते हैं उससे बदबू आती है और लोगों को बड़ी परेशानी होती है। इस परेशानी को आपको दूर करना चाहिये ताकि वे अपना जीवन बसर कर सकें और बीच में से जानवर के कटने का मार्केट हटाकर नगर बाहर कर दिया जाय।

खेतिहर मजदूरों के संबंध में आपने लेबर इन्सपेक्टर्स रखे हैं लेकिन जिलों में रहने से वे अपने काम को पूरा नहीं कर सकते हैं। आज विकास का कार्य गांवों में बढ़ रहा है इसलिये आपको एक एक इन्सपेक्टर हर एक विकास क्षेत्र में रख देना चाहिये ताकि वह ठीक प्रकार से अपने लेबर के कार्य को देख सके, उनके रहन सहन को देख सके। इन शब्दों के साथ में इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री श्रीराम (जिला उन्नाव)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे श्रम विभाग पर बोलने का समय दिया, उसके लिये मैं धन्यवाद देता हूं। मुझे इस बात का खेद है कि सरकार की तरफ से लोग जब भाषण देने के लिये खड़े होते हैं तो वे सन् ६७ में टिकिट पक्का करने की वजह से माननीय मंत्री जी को ऐसा सुन्दर भाषण सुनाते हैं और कोशिश करते हैं कि मंत्री जी समझें कि यह सरकार के पक्ष में है बहुत अच्छा बोलने वाला है। हम सब लोगों ने आन्दोलन में शुरू से एक ही जगह काम किया है आज वे चाहे किसी भी पार्टी के हों। सन १९-१९ में किसान घुटनों तक का कपड़ा पहनता था, गरीब था, उस समय हमने आन्दोलन शुरू किया था और सोचते थे कि जब हमारा देश आजाद हो जायगा तो लोगों की गरीबी दूर करेंगे, लोगों को ऊंचा उठायेंगे,। लेकिन आज स्वराज्य हो जाने पर कहते हैं कि अगर हम मजदूरों की मजदूरी बढ़ा देंगे तो कपड़ा और अनाज मंहगा हो जायगा। इस बात से रूलिंग पार्टी के लोगो को इस बड़ी तकलीफ होती है। १९६२ में चुनाव के बाद योजनाओं को चलाने के लिये सरकार ने टैक्स लगाये तो हमने कहा था कि चीजों के दाम ऊंचे हो जायेंगे, लेकिन अपने नहीं माना और मंहगाई आ गयी। लेकिन जब चीजे मंहगी हैं तो सरकार मजदूरों की मजदूरी बढ़ाना नहीं चाहती है। उत्तर प्रदेश के खासकर पूर्वी जिलों में अब भी ५-६ आना मजदूरी है। जब मैं रिहन्द बांध पर गया तो मैंने पढ़ाने वाले बच्चों को नंगा देखा, केवल नेकर पहने हुये थे। उनको देख कर मुझे बड़ा दुख हुआ कि १८ साल की आजादी के बाद भी हमारे प्रदेश के कई जिलों की ऐसी हालत है। आज भी बहुत से स्थानों पर लोग अन्न न खा कर तालाबों के केकड़े कीड़े को खाते हैं। मजदूरों की मजदूरी का सर्वे कराया जाय तो ज्यादा से ज्यादा औसत मजदूरी ८ आना मिलेगी। उस समय हम जमींदारी की कटु आलोचना करते थे लेकिन अब १-१ हजार एकड़ के बड़े बड़े फार्म बना कर बहुत से जमींदार लोग पहले से भी ज्यादा बड़े हो गये हैं। और उनमें अपना, अपने जानवरों और ऐसे लोगों के नामों से में जमीन को लिखा लिया है जिनका भी कभी कोई पता ही न था। धामपुर शुगर मिल के फार्म के एक मैनेजर थे। जब जमींदारी जानेवाली थी तो उन्होंने ऐसे आदमियों के नाम जमीनें कर दीं जो कभी पैदा भी नहीं हुए थे, ऐसे नाम पटवारी से लिखा दिये। वहां पर लेबर २०, २२ रुपये महीने पर काम करता है। आज के महंगाई के जमाने में मजदूरी २ रुपये से कम नहीं होनी चाहिये। मैं बिजनौर का रहने वाला हूं। ४०, ४५ रुपये पर आज वहां आदमी काम करता है। मैं अपने नौकरों को हमेशा ५० रुपये माहवार देता हूं और साथ ही उनकी हर फसल में १, १ बीघे

अनाज बुवाता हूं। वे मेरा काम अच्छी तरह से करते हैं। इसलिये जहां सरकार कारखानों में बोनस की बात करती है, अगर मजदूरों को पूरी मजदूरी मिलेगी तो वे अच्छा काम करेंगे और उत्पादन स्वयं बढ़ जायगा। और आज कम पैसा देने पर तो वे अच्छा काम नहीं करेंगे और उत्पादन भी कम होगा। आज कारखानों में यूनियनें बनाई जाती हैं। सरकारी कर्मचारी, जैसे बिजली का विभाग है, वे लोग अपनी यूनियन बनाते हैं, सरकारी विभागों में काम करने वाले मजदूर यूनियन बनाते हैं, तो उनके ऊंचे अधिकारी उनके प्रधान और मंत्री को कुचलने की कोशिश करते हैं और उनके ऊपर तरह तरह के अभियोग लगाकर उन्हें निकालने की कोशिश करते हैं।

कानपुर में जो तेल का कारखाना है, बनियाइन का कारखाना है और ऋषिकेश में जो दवाई का कारखाना है, क्या वहां के मजदूरों के यूनियनों को मान्यता दी गई? नहीं दी गई। अगर विरोधी दल का कोई सदस्य मंत्री जी को सुझाव देता है तो उन्हें वे बातें बुरी क्यों लगती हैं? आज खेतिहर मजदूरों की जो दयनीय दशा है और उनके साथ जो व्यवहार होता है, जो फार्मों पर १००, २०० और ५० की संख्या में काम करते हैं, उनके लिये भी कोई ऐसा नियम बनावें जिसे उन्हें इतना तो मजदूरी मिले कि वे अपना रहन सहन ऊंचा उठा सकें।

आज जो फार्म हैं, बड़े–बड़े, और गलत नाम दर्ज किये हुए हैं उनमें से जमीन निकाल कर मजदूरों को मिलनी चाहिये। कानपुर के तेल के कारखाने में जो दुलीचन्द्र वगैरह के हैं, उनमें मजदूरों को उतराई और चढ़ाई नहीं दी जाती है। वह मिलनी चाहिये।

सेवा नियोजनों में जो सरकारी कर्मचारी काम करते हैं वे रिश्वत लेकर पहले उन लोगों के नाम निकालते हैं जो उन्हें घूस दे देते हैं जिससे कि उन्हें पहले नौकरी मिल जाय। मंत्री जी इधर ध्यान देने की कृपा करें।

हरिजनों के पास आज काम नहीं है। सरकारी कारखाने खड़े कर के उन्हें काम देने का प्रबन्ध होना चाहिये। पूर्वी जिलों में, जहां आज मजदूर रोटी और कपड़े के लिये तरह रहे हैं, वहां भी कारखाने लगाकर उन्हें रोजगार देने का प्रयत्न किया जाय।

मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि यह प्रस्ताव स्वीकार किया जायगा।

*श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—

उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में जो स्किल्ड और एजूकेटेड लेबर है उसकी वकालत तो बड़े पैमाने पर हो चुकी है। मैं पहली बार इस सरकार से यह जानना चाहता हूं कि लेबर पोटयिल का सर्वे यू० पी० सरकार की तरफ से किया गया है। या नहीं। पहली जानने की बात यह है कि यू पी० में लेबर पोटेंशियल कितना है इसके आंकड़े और तख्मीना सरकर के पास होना चाहिये। जब सरकार यह जिम्मेदारी अपने ऊपर समझती है कि जिन के पास काम नहीं है, उन को काम देने की व्यवस्था होनी चाहिये। पहले इस का पता होना चाहिये कि कितने लोगों को काम की जरूरत है और किन को सरकार की मदद की जरूरत है। हमने एम्पलायमेन्ट एक्सचेंज कायम किये लेकिन वह केवल लिखे पढ़े लोगों के वास्ते हैं। जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें और ज्यादा जरूरत है, वह लेबर करते हैं उन के लिये कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं है कि वह उन को श्रम के काम में लगा सके, कहां लगा सके, किधर लगा सके और किस काम पर लगा सके, इस की कोई सरकार की तरफ से आज तक व्यवस्था नहीं है। इसलिये मैं सुझाव दूंगा कि सबसे पहले लेबर पोटेंशियल का सर्वे होना चाहिये जो बहुत आवश्यक है। दूसरे जो अनस्किल्ड लेबर है उसके लिये भी व्यवस्था होनी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रसिंह रावत—]

चाहिये। यह भी बहुत जरूरी है। तीसरे, में समझता हूं किहमारे माननीय सदस्यों ने समझा है कि सरकार ने जो स्कीम आई० टी० आई० की चलाई है लोगों को टेक्निकल ट्रेनिंग दिलाने की उससे वह समझते हैं कि नौकरी के लिये लोग तैयार किये जाते हैं लेकिन यह बिलकुल नासमझी की बात है। हम देश में केवल नौकर पैदा करना नहीं चाहते। जब तक लोग खुद अपने छोटे मोटे व्यवसाय जोड़कर अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते तबतक इन ट्रेनिंग से कोई लाभ नहीं होगा। इस ट्रेनिंग का मतलब यह नहीं होना चाहिये कि उन को एक कारखाने में काम सीखने के बाद बंधा हुआ वेतन मिलने लग जाय। में बड़े अदब के साथ कहूंगा कि जो जो पैसा यह टेक्निकल एजूकेन दिलाने पर व्यय किया जाता है, उस का सही उपयोग होना चाहिये, हमारा उद्देश्य होना चाहिये कि इन ट्रेनिंग को लेने के बाद लोग खुद छोटे मोटे उद्योग खड़े करें। यह ठीक है कि इस के लिये उन गरीबों के बच्चों के पास पूंजी नहीं है, उन की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि वह अपने को रिहैबिलिटेट करने में समर्थ नहीं है।

सरकार की तरफ से यह प्रबन्ध होना चाहिये कि वह छोटे-छोटे अनुदान उनको दे या जहां लोन की व्यवस्था हो सके वह करे और जैसे भी हो लोगों को अपने में कानफिडेंसन पैदा करने में मदद करना चाहिये। इसलिये मेरा सुझाव है कि बजाय इस के कि उन को खाली नौकरी के लिये ही तैयार किया जाय उन्हें खुद अपने कारबार आरम्भ करने में मदद करें, उनमें रोजगार लगाने की उत्कण्ठा पैदा करें। यह जरूर है कि सरकार ने लेबर को मदद करने के लिये, छोटी तन्ख्वाह पाने वालों के लिये मकानों की व्यवस्था की है। आपने मकान बनाये जरूर है परन्तु बनाने के बाद यह पता चला कि इन मकानों का किराया इतना ज्यादा है कि लेबर क्लास इन्हें नहीं पा सकता। जब वे इन मकानों को नहीं ले सके हैं तो सरकार ने उनको दूसरे आदमियों को दे दिया है। इसलिये उनको मदद करने के लिये जो भी कोशिश की जाय वह बड़ी सोच समझ कर करनी चाहिये। भविष्य में जब कभी भी इस प्रकर की मजदूरों को सहायता की जाय तो इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिये कि जो एकोमोडेशन उसे दी जाय वह उसकी कैपेसिटी के बाहर न हो और वह आसानी से किराया दे सके। अगर ऐसा न हुआ तो वह क्या किराया देगा और क्या खायेगा?

दूसरी जो व्यवस्थायें हैं, उनको समझने की जरूरत है। माननीय मंत्री जी तो कहा करते हैं कि आप तो बुनियाद की बात करते हैं लेकिन जो उस काम को जानते हैं और जो लोग दिमाग से आम लेते हैं, उनको कमियों के लिये इनकार नहीं करना चाहिये। हमारी सरकार की जो लेबर को मदद करने की स्कीमें हैं, वे जरूर आगे बढ़ी हैं किन्तु वे केवल उन लोगों के लिये हैं, जो कि पढ़े लिखे हैं। आखिर इस प्रान्त में और हिन्दुस्तान में समुद्र जैसी तादाद बिना पढ़े-लिखे लोगों की है और जितने बादल उठा करते हैं, उतनी तादद यहां पर पढ़े लोगों की है। अगर आप देश का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो लेबर फोर्स की सहायता करनी होगी। आपके पास जो अनस्किल्ड लोग हैं, उनके लिये इस बात की व्यवस्था करनेकी जरूरत है कि उनको काम दिया जाय, जिसके लिये अभी तक आपका ध्यान नहीं गया है और न ही आपने कोई व्यवस्था की है। आपको लोगों को खुद बखुद मालिक बनने के लिये व्यवस्था करनी चाहिये, एजूकेशन होनी चाहिये। इसके लिये आपको और अधिक रुपया पैसा खर्च करने की जरूरत है। में माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उन्हें पढ़े-लिखे और बड़े लोगों के कहने में नहीं आना चाहिये। उनके चाय के प्याले हैं उनकी दावतों से दिमाग उल्टे न हो जायें। इस देश के बढ़े लोग चाय का प्याला और दावतें देने में बड़े माहिर होते हैं। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि जब लेबर की समस्या होती है तो हम लोगों को कड़ाई के साथ काम लेने की जरूरत है। जो मिल मालिक मिल बन्द करने की धमकी देते हैं, उनको प्राइवेट सैक्टर में क्यों नहीं ले लिया जाता है। इस समय तो उनकी दुगानी रफ्तार से काम करना चाहिये जब कि मुल्क को अधिक पैदावार की आवश्यकता है। अगर इस प्रकार को धमकियां मिल मालिकों की तरफ से आती हैं तो

सरकार को अपनी आंखें मूंद कर नहीं बैठना चाहिये। इस चैलेन्ज को सरकार को एक्सैप्ट करना चाहिये और हमें यह बताना चाहिये कि हम इस मुल्क की टैन्डैन्सी को कैपिटलिज्म की तरफ नहीं जाने देंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस मांग का समर्थन करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं।

(श्री संत सिंह यूसुफ का नाम पुकारे जाने पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, मैं चाहता था कि माननीय संत सिंह यूसुफ और मंत्री जी का समय ५, ५ मिनट कम कर दें तो कोई नुकसान नहीं होगा। हम लोगों के भी सुझाव सुन लें।

श्री बनारसीदास—

ठीक है, श्रीमन्, ५, ५ मिनट कम समय दे दीजिये।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

उपाध्यक्ष महोदय, श्रम सम्बन्धी विवाद की जानकारी मिलों के सम्बन्ध में इस सदन में काफी दी जा चुकी है, लेकिन मैं प्रदेश के जिस भाग से आता हूं वहां के खेतिहर मजदूरों की ओर मैं सरकार का ध्यान विशेष दिलाना चाहता हूं। माननीय राम कुमार शास्त्री को जानकारी होगी कि १९ साल के स्वराज्य के बाद भी पूर्वी जिलों के खेतिहर मजदूर उसी प्रकार की जिन्दगी व्यतीत करते हैं जो अंग्रेजी राज्य में करते थे। और हमारे गांव में बसने वाले खेतिहर मजदूर जिनको हल जोतने वाला कहते हैं, वे छोटी जाति के होते हैं। मैं समझता हूं, चमार जाति जो कही जाती है कोई ऐसा परिवार नहीं है जो चैत के महीने में भी गोबरहा न खाता हो। यह हमारे प्रदेश की सरकार के लिये कलंक की बात है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बलिया, आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर आदि जिलों में ३४ फीसदी खेतिहर मजदूर बसते हैं, उनकी जो दयनीय दशा है, यह इन की रिपोर्ट से मालूम है कि उनकी क्या हालत है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को आप देखेंगे, उसमें सरकार की तरफ से लिखा गया है कि खेतिहर मजदूर की आमदनी ३१२ रु० वार्षिक है, यानी २६ रु० मासिक है। और पुराना कानून जो बना रखा है फार्मों पर मजदूरी का वह १ रु० है। इसलिये मैं चाहता हूं कि खेतिहर मजदूरों के लिये एक कमीशन बनना चाहिये जो छानबीन करे और कोई ऐसा रास्ता निकाले जिससे लाखों, करोड़ों की तादाद में जो बसते हैं खेतिहर मजदूर उन्हें जीवन यापन का सहारा मिल सके।

रोजगार दफ्तरों में आज भी घूसखोरी का राज्य है और पढ़े लिखों का ही नाम लिखा जाता है, अनपढ़ का नहीं। आई० टी० आई० के बारे में कहना है कि पंजाब जो हम से छोटा है प्रदेश है, वहां आई० टी० आई० में गरीब परिवार का छात्र ही प्रवेश पा सकता है, लेकिन हमारे प्रदेश में वह भी नहीं है और जो भरती किये जाते हैं उन में से १० फीसदी को सरकार सहायता देती है और २५ रु० सिर्फ देती है। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी अपनी मजदूर नीति में तबदीली करें ताकि खेतिहर मजदूरों को एक नागरिक की तरह जिन्दगी व्यतीत करने का अवसर मिल सके।

*श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

श्रीमन्, १८ साल की आजादी के बाद भी इस सरकार ने समाजवादी व्यवस्था के लिये मजदूरों का कोई हिस्सा कारखाने में प्रबन्ध या मुनाफे में नहीं रखा है। अगर आप यूरप में देखें, चैकोस्लोवाकिया या इजराइल में, आज एक-तिहाई हिस्सा मजदूरों का मैनेजमेंट के अन्दर होता है। समाजवाद की आपकी रूपरेखा है, लेकिन क्या आपने उस ढांचे के लिये आज भी उस मजदूर का, जिसकी मेहनत की वजह से चमचमाहट है, कारखानों में ज्यादा से ज्यादा आमदनी है,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बलवानसिंह]

कोई हिस्सा उस मुनाफे में सरकार दिलाने जा रही है ? मैं एक चीज जानना चाहता था कि कानपुर के अन्दर हजारों मजदूर बेकार घूम रहे हैं । लाखों की मशीनरी कारखानों में लगी हुई है, लेकिन मिल मालिक अपनी मर्जी के मुताबिक काम को रोक देते हैं । यह सरकार वहां डी० आई० आर० का इस्तेमाल करे जबकि देश में आज प्रोडक्शन की जरूरत है ।

आप आंकड़े देखें कि हिन्दुस्तान में मजदूर का एवरेज काम २ घंटे से ज्यादा नहीं आता है । दुनिया के और देशों के मुकाबले में हिन्दुस्तान के कारखानों में मजदूरों के काम के घंटे बहुत कम हैं । अब भी सरकार ने कोई नीति इस तरह की नहीं बनाई है, जिससे खेतिहर मजदूरों तथा कारखाने के मजदूर को साल भर में ज्यादा से ज्यादा काम दिया जा सके । आज भी गांव के अन्दर ६ महीने से ज्यादा काम नहीं है । कारखानों में ज्यादा से ज्यादा दो शिफ्ट्स से ज्यादा का काम नहीं है । १८ साल के बाद बड़े बड़े डैम्स, बड़े बड़े कारखानों पर तो सरकार ने ज्यादा खर्च किया है, लेकिन जो छोटी छोटी काटेज इंडस्ट्रीज हैं या जो छोटे-छोटे कारखाने हैं उनके ऊपर सरकार का कोई खर्चा नहीं आया, जिसका नतीजा यह हुआ कि देश के बेकार लोगों को ज्यादा से ज्यादा काम नहीं दिया जा सका ।

तीसरी चीज यह है कि आई० टी० आई० और आई० आई० टी० से जो छात्र निकलते हैं वे आज भी सड़कों पर घूम रहे हैं । जब आज भी आपकी टेक्नोलाजी के आदमी बेकार रहते हैं तो लेबर मिनिस्टर की हैसियत से आपकी क्या पालिसी है ? आज विद्यार्थियों के वोकेशन के लिये कोई काम नहीं है और जून में लाखों की तादाद में बेकार घूमते हैं । देश को आगे बढ़ाना है तो कोई ठोस नीति दीजिये ताकि देश का बेकार आदमी ज्यादा से ज्यादा काम में इस्तेमाल हो सके जिससे इस मुल्क की तरक्की हो सके ।

श्री संतसिंह यूसुफ—

मैंने जो कटौती का प्रस्ताव दिया है, उसमें मैं खास तौर से उधर के माननीय सदस्यों का और इधर के माननीय सदस्यों का भी बहुत आभारी हूं कि उन्होंने उन बातों को सदन के सामने रखा जिनको मैं समय की कमी की वजह से छोड़ गया । मैंने भी देखा कानपुर में कि आई० टी० आई० से निकले हुए लोगों को जब काम नहीं मिला तो रिक्शे चलाने लगे । भरती के दफ्तर की भी हालत बदतर है, जैसा कि कानपुर के माननीय सदस्य ने कहा ।

मजदूरों के ४ हजार विवाद पड़े हुये हैं और २५ परसैंट कैसेज का रिफरेन्स होता है । मैं माननीय मंत्री जी से बहुत साफ तरीके से कहना चाहता हूं कि दो ही तरीके हैं, या तो मजदूर डायरेक्ट ऐक्शन करें या मजदूरों के मामले कंसोलियेशन और ऐजुडिकेशन से हल हों । लेकिन जब ७५ फीसदी केसेज को आप वहां रेफर नहीं करेंगे और लेबर कमिश्नर की स्वीट बिल पर छोड़ देंगे तो अगर कोई भला लेबर कमिश्नर हुआ तो दो चार कैसेज को जब आप रेफर करेंगे तो एक आध को वह रेफर कर देगा, और अगर भला नहीं है, कोई बदमाश टाइप का है तो फिर बिलकुल ही रेफर नहीं करेगा । यह बात खत्म होनी चाहिये और जो केसेज कंसोलियेशन में हों वे सब के सब एजुडिकेशन में जाने दिये जायं । माननीय पांडेय जी ने जो बात कही, मैं उसका बिलकुल समर्थन करता हूं ।

हमारे बेचन राम जी ने खेतिहर मजदूरों की हालत सुधारने के बारे में कहा । वह बिलकुल सही बात है । मैं उसका भी समर्थन करता हूं और अपनी सरकार से यह प्रार्थना करता हूं कि खेतिहर मजदूरों की हालत सुधारने की मांग बिलकुल सही है और सरकार की जो नीति चल रही है, बड़बड़े पूंजीपतियों को फार्म देने की वह नीति खेतिहर मजदूरों की हालत सुधारने की नीति नहीं हो सकती । जरूरत इस बात की है कि किसान को मौके पर पानी दो, बीज दो, खाद दो । तब पैदावार बढ़ेगी और उनकी हालत भी सुधरेगी । आज जो सरकार की नीति है, उससे उनकी हालत नहीं सुधर सकती । मैं माननीय बेचनराम जी की बात का बिलकुल समर्थन करता हूं ।

एक बात मैं माननीय मंत्री जी से खास तौर पर कहना चाहता हूं अपनी तरफ से कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो स्कैण्डल है–मैं उसको स्कैंडल कहूंगा उसको मेहरबानी कर के देखिये और मजदूरों की मांगों को पूरा कीजिये । १९४८ में सरकारी आर्डर हुआ और १९५९ में यह बोर्ड बना। अब सरकार ने उसे टेक ओवर कर लिया । बोर्ड ने इस आदेश की अवहेलनाकी है और उल्लंघन किया है । लखनऊ में दो रुपये पर भरती हो और मुरादाबाद में डेढ़ रुपये पर हो रही है, यह बात आपके लिये भी अच्छी नहीं है । झांसी में मजदूर मुकदमा लगायें, सिटी मैजिस्ट्रेट के यहां से जीतें, सेशन में जीतें और बोर्ड हाईकोर्ट में रिट कर दें, यह आपके लेबर मिनिस्टर होते हुये भी शोभा की बात नहीं है । इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आपके बस में नहीं है तो आप कैबिनेट का फैसला लेकर जो एनार्की है इसके खत्म करायें । कहीं बोनस मिल रहा है, कहीं नहीं मिल-रहा है, कहीं महंगाई कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं ओवर–टाइम मिलता है और कहीं नहीं, इसको दूर कीजिये ।

आखिर में दो चीजें सरकार की नोटिस में लाना चाहता हूं । मैं मिनिस्टर साहब के नोटिस में भी ला चुका हूं । सीतापुर का सन् १९६३ का केस लेबर डिपार्टमेंट को रेफर हुआ । यहां से होम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी या किसी डिप्टी सेक्रेटरी ने उसे स्टे कर दिया । जब लेबर डिपार्तमेंट में केस भेज दिया तो फिर होम डिपार्टमेंट को क्या अधिकार है ? अगर यह एनार्की चली तो फिर आपका लेबर डिपार्टमेंट काम नहीं कर पायेगा । मैंने आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट की कि इस केस को रेफर करवाइये ।

इसी तरह जिला खीरी में बिरला जी का बेला का फार्म है । वहां काफी गड़बड़ी हो रही है । यूनियन के रजिस्ट्रेशन का आवेदन पत्र लम्बे अर्से से पड़ा हुआ है और लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता, यह भी मैं मिनिस्टर महोदय के नोटिस में लाना चाहता हूं और मैं आशा करता हूं कि जो बातें मैंने कही है, उन पर मंत्री जी ध्यान देंगे । वह बात दूसरी है कि किसी मजबरी की वजह से माननीय मंत्री जी सदन में मानें या न मानें लेकिन वह मेरी बात मानते हैं। मुझे विश्वास है और मैं मानता हूं कि इस परमानेंट बोर्ड को खत्म करने की बात है और जो टैम्पोरैरी वरकर्स हैं उनको परमानेन्ट करने की बात है । आजकल मालिकों ने रास्ता निकास लिया है कि लोगों को वर्षों टैम्पोरैरी रखते हैं । यह चीज गलत है और इसको वे भी समझते हैं । वह बात दूसरी है कि गवर्नमेंट की वजह से वह करें या न करें, लेकिन इसको ठीक मानते हैं ।

इतनी बात कह कर मैं यह कहना चाहता हूं कि आजकल जो सरकरी कर्मचारियों को टाला जा रहा है, वह गलत नीति है । सरकारी कर्मचारियों ने पहली तारीख को तनख्वाह भी नहीं ली और मामला आगे बढ़ सकता है । इसके पहले मंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करके सरकारी कर्मचारियों के यूनियनों से बात करके कोई रास्ता निकालें । मुझे आपत्ति यह है कि जब मजदूर हड़ताल कर देता है या गड़बड़ी कर देता है तब कहीं जाकर समझौते वगैरह की कोशिश की जाती है । इसमें आपको कोई श्रेय नहीं मिलता है । इसी तरह से सरकारी कर्मचारियों के मामले में पहले से ही ध्यान देना चाहिये और हिन्दुस्तान में जैसी धारा बह रही है, उसकी तरफ ध्यान रखना चाहिये । बम्बई, अहमदाबाद, मद्रास में आज क्या हो रहा है और कलकत्ते में तो काफी मामला आगे बढ़ गया है । हमारे यहां यह चीज न हो जाये । अभी तक तो हम लोग आपस में बैठकर कोशिश करते हैं कि मामला हल हो जाय । अगर यही हालत रही तो यह मामला हमारे हाथ से निकल जायेगा । मैं फिर माननीय बनारसीदास जी से प्रार्थना करूंगा कि वे सब बातों की तरफ ध्यान देकर मामले को सुलझाने की कोशिश करें।

*श्री बनारसीदास—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस अनुदान पर सदन के १८ माननीय सदस्यों ने अपने मूल्यवान सुझाव दिये हैं । उन सभी माननीय सदस्यों का मैं बड़ा आभारी हूं । माननीय संतसिंह यूसुफ

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री बनारसीदास]

ने कटौती का प्रस्ताव पेश करते समय जिन बातों की तरफ ध्यान दिलाया, थोड़े से समय में उनको जवाब देने से पहले मैं अन्य बातों की चर्चा करना पसन्द करूंगा ।

आई० टी० आई० का यहां पर जिक्र किया गया और मुझे अत्यन्त प्रसन्नता है कि आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों में इस योजना की उपयोगिता का काफी अहसास है । मैं इससे सहमत हूं कि ट्रेनीज की छात्रवृत्ति में इजाफा होना चाहिये और इसके लिये हमने सिफारिश की भी थी कि यह रकम ४० रुपये माहवार होनी चाहिये और पाने वाले शिक्षार्थियों के प्रतिशत में वृद्धि होनी चाहिये। इसका ६० प्रतिशत गवर्नमेंट आफ इंडिया वहन करती है और ४० प्रतिशत हमारी गवर्नमेंट देती है । गवर्नमेंट आफ इंडिया ने पाकिस्तान के लड़ाई की वजह से इस पर विचार स्थगित कर दिया है और जहां तक हरिजन विद्यार्थी हैं, वैसे साढ़े बारह प्रतिशत को छात्रवृत्ति मिलती है, इसके बाद यदि संख्या ज्यादा होती है तो हरिजन विभाग से मिलती है। मैं जानता हूं कि आई० टी० आई० में काफी सुधार की जरूरत है । अभी कुछ दिन हुए माननीय ऊदल जी तथा अन्य सदस्यों ने इसकी चर्चा करते हुए कहा था कि इसमें अनट्रेंड इंन्स्ट्रक्टर्स हैं कानपुर में जो सी० टी० आई० है उसमें हमने आई० टी० आई० के लिए पहले ट्रेनिंग की व्यवस्था कर दी है । इनसे निकले हुए व्यक्तियों को काम मिल सके, इसके लिए हमने अप्रेंटिस ऐक्ट लागू कर दिया है । ऐसी २७ संस्थाएं हैं जहां इनको काम मिलता है । हमने आदेश दिया है कि जो लड़के यहां से निकलें उनका विवरण रखा जाय और कोशिश की जाय कि उनको काम मिले । हमारे यहां के ट्रेंड व्यक्ति भारी तादाद में भूपाल और बंगलौर में नौकर हैं। कुछ ट्रेड्स हैं जिनमें कठिनाई पड़ती है । लेकिन इस तरफ से हम गाफिल नहीं हैं और प्रयत्नशील हैं कि इसके अन्दर प्रयास किया जाय ।

माननीय संतसिंह यूसुफ ने बोनस की तरफ मेरा ध्यान आकर्षित किया । स्वदेशी काटन मिल वालों को पहले २८ फरवरी तक समय दिया गया था । वहां पर मजदूरों के प्रतिनिधियों ने समझौता किया है कि मिल मालिकों ने इस बात का वायदा किया है कि बोनस की रकम ३० अप्रैल तक अदा कर दी जायगी । जेके वीविंग ऐण्ड स्पिनिंग फैक्ट्री के संबंध में मिल-मालिकों को तरफ से विवाद है कि लेबर कमिश्नर ने १९६२-६३ में जो बोनस का फैसला किया था वह चार परसेंट से ज्यादा था, उसको १९६४ के बोनस के अन्दर एडजस्ट कर दिया जाय । उसको लेबर कमिश्नर ने उचित नहीं समझा और उन्होंने कहा कि सितम्बर तक अदा कर दें । मिल मालिकों ने हाई कोर्ट के अन्दर रिट दायर कर दिया है । गवर्नमेंट उसका विरोध कर रही है । जैसे हाई कोर्ट का फैसला हो जायगा, उसके बाद आवश्यक कार्यवाही की जायगी। जेके मैनुफैक्चरिंग कंसर्न पर बोनस लागू नहीं है । वह आठ महीने के बाद लागू होता है । जैसे ही अवधि समाप्त होगी वह बोनस अवश्य अदा किया जायगा । हम कानून के अन्दर अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं । म्योर मिल के अन्दर मुझे खेद है, यह कारखाना अगस्त के महीने से बन्द है लेकिन अफसोस है कि कानपुर में माननीय संतसिंह यूसुफ जैसे नेता षड़यंत्र के शिकार बन जाएं और मजदूर हड़ताल करें ताकि कंपेन्शेशन का दावा भी खतरे में पड़ जाय । पहली जनवरी से प्रशासक नियुक्त किया गया है । मिल मालिक चाहते थे कि ६० लाख कर्जा दिया जाय लेकिन हम लोगों ने विरोध किया । मैं इस बात से सहमत हूं जो उधर से एक प्रश्न किया गया कि क्या यह मुनासिब होगा कि जो कारखाने मिल मालिकों की अयोग्यता की वजह से लिए जाएं और जिस वक्त उनकी कमियां दूर हो जाएं उनको वापस कर दिया जाय । हमारा प्रयास है कि इस तरह के कारखाने जो अयोग्यता के कारण प्रशासकों के मातहत किए जाते हैं, उनका राष्ट्रीयकरण किया जाय, कानून में परिवर्तन किया जाय, या गवर्नमेंट ५१ फीसदी शेयर ले । यह सुझाव केंद्रीय सरकार को दिया है और हम चाहते हैं कि इस प्रदेश के और दूसरे कारखानों को इस बात की चेतावनी हो कि यदि वह अपने कारखानों के प्रबंध में कार्यक्षमता नहीं दिखायेंगे और दुरुपयोग करेंगे तो उनका राष्ट्रीयकरण किया जायगा । गवर्नमेंट पूरी तरह से उस पर विचार करेगी । हमारा केंद्र की सरकार से प्रयत्न होगा कि म्योर मिल के कारखानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय ।

जहां तक उग्रसेन जी का सवाल है, उग्रसेन जी इस प्रकार से बोलते हैं जैसे बहुत ज्यादा स्टीम बनती है लेकिन वह चैनलाइज नहीं होती। उसका नतीजा होता है कि वेस्ट हो जाती है। यदि उसको सही माने में बिजली की तरह शक्ति बनाया जा सके तो ज्यादा उपयोग हो। मैं मानता हूं कि हमारे प्रदेश के अन्दर कुछ कारखानों पर काफी बकाया है लेकिन ४० करोड़ नहीं है। यह भी चर्चा की जाती है कि साहू जैन आदि को कर्जा दिया गया लेकिन जब से कर्जा दिया गया चार-पांच करोड़ कर्जा दिया गया—उससे कई गुना ज्यादा इस प्रदेश के मजदूरों को मजदूरी मिली। कर्जा चाहे अदा न भी हो कई गुना टैक्स की शक्ल में मिला। मैं सहमत हूं कि जो सुझाव दिया गया कि प्रदेश में कारखाने बढ़ाने चाहिएं प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में। बहरहाल, इस प्रदेश के अन्दर ६७-६८ करोड़ रुपया कर्जा दिया गया। कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को सहायता मिली। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज का सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि हम अपने प्रदेश में उद्योगी करण की प्रगति को तेज करना चहते हैं या नहीं। यह सेमिनार का विषय हो सकता है कि पब्लिक सेक्टर वर्सेस प्राइवेट सेक्टर। बहरहाल यथार्थवादी की दृष्टि से मैं यह समझता हूं कि प्राइवेट सेक्टर में कारखाने लगें, पब्लिक सेक्टर में कारखाने लगें और कोआपरेटिव सेक्टर में कारखाने लगें। मेरा अभिप्राय यह है कि यहां पर ज्यादा से ज्यादा तेजी के साथ कारखाने लगें क्योंकि कारखाना जहां पर होता है, वहां मजदूरों का संगठन होता है। मजदूरों का संगठन हो जाने से प्रगतिशील विचार आता है। आसपास के लोगों में चेतना पैदा होती है।

यहां पर चर्चा किया गया अलमोनियम कारखाने का। मैं नहीं समझता कि इस प्रदेश के अन्दर कोई बुरा काम किया गया है इस कारखाने को लगाकर। उग्रसेन जी जाकर देखें कि कारखाने के अन्दर मिनिमम वेतन एक चपरासी को और अनस्किल्ड लेबर को १२५ रुपया मिलता है। इससे आसपास के चपरासी और आसपास के खेतिहर मजदूरों के ऊपर भी असर पड़ता है। लोगों के दिमाग के अन्दर इस प्रकार के विचार आते हैं कि किसी का वेतन १२५ रुपए से कम नहीं होना चाहिए। तो, श्रीमन्, जहां पर इस प्रकार का कारखाना होगा.....

श्री उग्रसेन—

आपने उसको वहां पर सबसे सस्ती बिजली दी है।

श्री बनारसीदास—

मैं यह समझता हूं कि अगर उनको बिजली देने का फैसला न करते तो कौन-सी ऐसी चीज आपके पास थी, जिसकी वजह से वहां पर वह कारखाना लगा सकते थे। क्या वहां पर आपके पास रा मैटीरियल था? रा मैटीरियल बाहर से आता है। क्या उग्रसेन जी अपने प्रदेश के अन्दर कोई इस प्रकार का कारखाना लगाना नहीं चाहते हैं? क्या स्टेट गवर्नमेंट और केंद्रीय गवर्नमेंट इस बात का प्रयास न करें कि इस प्रदेश के अन्दर कोई कारखाना बड़े रूप में लगाया जाय? केवल कुछ सिद्धांत को लेकर, एक विचारधारा को लेकर एक क्लाइमेट पैदा करना चाहते हैं जिससे यहां परउद्योग का लगना सम्भव न हो सके। माननीय संतसिंह यूसुफ ने कहा कि अभी सेंटर का बजट आया है, उससे यहां का प्राइस इंडेक्स और बढ़ जायगा और ५० के लगभग या और अधिक बढ़ जायगा। उनके खयाल में ७२२ के स्थान पर ७७२ और ८०० तक प्राइस इंडेक्स बढ़ जायगा। यहां पर इस मर्तबा हमारे यहां प्राइस निश्चय ही गिरी है। दो साल का जो ऐवरेज सन् ६५ तक आया है वह ७०९ और ७०७ तक आकर बैठता है। यह मानता हूं कि आप अगर यह कहें कि मजदूरों का वेतन २२५ होना चाहिए तो उस तरह के साधन कारखानों के अन्दर पैदा करने की आवश्यकता है। मैं संतसिंह जी यूसुफ से कहना चाहता हूं कि क्या कानपुर के अन्दर जो घरेलू मजदूर लोग हैं या खेतीहर मजदूर हैं उनके लिए आपने इस बात का प्रयत्न किया है कि खेतिहर मजदूरों का वेतन २२५रुपया हो। घरेलू मजदूरों के लिए २२५ रुपये देने का प्रयत्न किस प्रकार किया गया है?

[श्री बनारसीदास]

कानून के जोर से काम होता है लेकिन कानून से तो समाज की विचारधारा का कोडीफिकेशन होता है। समाज को अपनी विचारधारा से आगे चलाने का प्रयत्न करना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि विरोधी पक्ष के कितने लोग हैं जो इस ओर प्रयत्न कर रहे हैं? विरोधीपक्ष में बहुत से किसान हैं और बहुत से किसानों के प्रतिनिधि हैं। क्यों आप मिनिमम वेजेज ऐक्ट का सहारा लेने की बात सोचते हैं? आपके रास्ते में क्या रुकावट हैं? आप अपने मजदूरों को तीन रुपया दें तो कम से कम अपने यहां से आप स्वयं इसको शुरू करें। माननीय राजनारायण जी काश्तकार हैं और उग्रसेन जी भी काश्तकार हैं। मैं तो यह कहता हूं कि हर शख्स यहां पर मिनिमम वेजेज ऐक्ट की प्रतीक्षा न करे। आप समाजवादी विचारधारा के अपने को कहते हैं। मैं कद्र करता हूं बलवान सिंह जी की। उन्होंने कहा था कि मैन टु मैन पार्टीशन होना चाहिए। क्यों? आप इसको देखें कि लेबर विभाग इस बात को कर रहा है या नहीं। बाहर से आकर कोई लीडर इसको नहीं करेगा। क्या आप यह समझते हैं कि दूसरे मुल्क से आकर कोई यहां करेगा?

केन्द्रीय सरकार ने एक लेबर प्रशिक्षण की योजना बनाई। हम भी यह चाहते हैं कि यहां पर लेबर का प्रशिक्षण हो ताकि यहां का मजदूर लेबर लीडर के नेतृत्व के कंधों पर न चले बल्कि स्वयं अपना नेतृत्व करे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जैसे बोनस का ऐक्ट था, उसकी परामर्शदात्री समिति में मैंने देखा कि लोग चाहते थे कि बोनस के लिए किसी समिति का प्राविधान किया जाय और आपस में फैसला कर लें। मैंने कहा कि लेबर को इतना प्रोटेक्शन दिया जाय कि ४ परसेंट से बोनस कम न होना चाहिए और अधिक से अधिक २० प्रतिशत तक वह मालिक से समझौता कर के दे सकते हैं। मैं जानता हूं कि ऐसी लेबर यूनियन्स हैं कि जो मिल मालिकों से समझौता कर के मजदूरों के हित को कुर्बान कर देती हैं।

श्री उग्रसेन—

आई० एन० टी० यू० सी० ऐसी ही यूनियन है।

श्री बनारसीदास—

चोर की दाढ़ी में तिनका। मैं समाजवादी यूनियन की बात कह रहा था। उसने म्योर मिल में हड़ताल का नारा दिया और वह था मिल मालिक के इशारे पर। उस स्ट्राइक की बिना पर वह लाक आउट करना चाहते थे। सिंहानियां मिल बन्द करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने उन लेबर लीडर्स का इस्तेमाल किया ताकि स्ट्राइक होने पर वह लाक आउट कर सकें और मजदूरों का जो अधिकार है ले आउट का उसे कोर्ट में कंटेस्ट कर सकें। आई० एन० टी० यू० सी० काफी समर्थ है और मैं उसकी तरफ से वकालत करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं, लेकिन मैंने समाजवादी यूनियन का जिक्र किया।

अभी ऊदल जी ने कहा कि प्रावीडेंट फंड का बकाया बहुत है। हमारे प्रदेश में साल भर में करीब साढ़े तीन करोड़ रुपया प्रावीडेंट फंड का वसूल होता है और उसमें से आज बकाया है कुल ४६,३८,९९० रुपया और यह भी केवल ६ मिलों पर बकाया है जिनमें हैं न्यू विक्टोरिया मिल, काटन मिल, न्यू मिल, माहेश्वरी देवी जूट मिल, लक्ष्मणदास शुगर मिल, आदि। संसार में ऐसा कोई कंसर्न नहीं है कि जहां सेंट पर सेंट वसूलयाबी हो जाती हो, लेकिन हमारा एरियर ५, ७ परसेंट से ज्यादा नही होता। विक्टोरिया मिल की जांच हो रही है। उसकी स्थिति बहुत खराब है, इसमें आज कोई भी संदेह नहीं है। जैसा यूसुफ साहब ने कहा, उझानी है, हाथरस है, आगरा है, वहां के कारखानें बन्द हो गए हैं। वहां स्टाक बहुत जमा हो गया है। लेकिन परिस्थितियां होती हैं। जैसे माहेश्वरी देवी जूट मिल है, वह बन्द हो गयी। उसका कारण उसे कच्चा माल न मिलना है। तो इस समय एक बड़ा संकट आ रहा है और वह एक विचारने की बात है कि कैसे उस पर काबू पाया जाय। मैं जानता हूं कि एलेक्शन नजदीक है और इस बात से एक नारा मिल सकता है कि पूंजीपतियों पर

बकाया काफी है, लेकिन इससे फायदा कुछ नहीं होगा। डेढ़ करोड़ रुपये की अनकवर्ड लायबिलिटी सिंहानिया साहब ने छोड़ी है सरकार के लिए और उसके अतिरिक्त हमें मिल चलाने के लिए रुई आदि की व्यवस्था करनी है। जो मशीनरी है वह भी ५० परसेंट बेकार पड़ी हुई है। हमारे प्रशासक कोशिश कर रहे हैं कि स्टेट बैंक से पैसा मिले। आप चाहते हैं कि सरकार इस मिल को चलाने पर दो करोड़ रुपया लगाए। इसके अलावा म्योर मिल ६, ७ महीने से बन्द पड़ी है, उसके लिए आप सदन में प्रश्न करें कि वह चालू क्यों नहीं हुई। तो क्या आप चाहते हैं कि इसी तरह से राष्ट्रीयकरण हो?

जहां तक कल कारखानों का सवाल है क्या आप हाई कोर्ट क जूरिस्डिक्शन को बाहर कर सकते हैं, जैसा अभी मैंने जिक्र किया जे० के० काटन वालों ने रिट हाई कोर्ट में दायर किया। उसके फैसले को तो मानना ही होगा।

नेशनलाइजेशन का प्रश्न उठाया गया, हम चाहते हैं कि राष्ट्रीयकरण हो, हम उसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन उसका कोई नारा नहीं होना चाहिये उसके व्यावहारिक पहलू पर हमें सोचना चाहिये।

श्री उग्रसेन—

म्योर मिल की तरह नहीं चाहते?

श्री बनारसीदास—

अब चूंकि मैंने कहा हम राष्ट्रीयकरण चाहते हैं, उग्रसेन जी कहने लगे कि वह नहीं चाहते, हर बात का आपको तो विरोध करना है। (व्यवधान)

यह कहा गया दूध पर नियंत्रण कर दो, आम तथा दूसरी चीजें बाहर मत भेजो। आपको विदित है कि यू० पी० के अन्दर कापर नहीं है, सोना नहीं है, लोहा नहीं है। अगर जो चीजें आपके यहां होती हैं उनको और प्रदेशों में नहीं भेजेंगे तो कैसे आदान प्रदान संभव होगा? फारेन एक्सचेंज के लिए हमको आखिर बहुत सा सामान बाहर भेजना पड़ता है। तो इस तरह की बात कोई भी एकोनामिस्ट नहीं कर सकता है।

स्थायी कंसीलिएशन मशीनरी की जो बात कही गयी, मैं यह मानता हूं और यह चाहता हूं कि इसे खत्म किया जाय और कर्मचारियों को वही प्रोटेक्शन मिले जो अन्य कर्मचारियों को मिलता है। इसके लिए मैं प्रयत्नशील हूं। (व्यवधान)

सीमेंट फैक्ट्री तथा प्रिसीशन इंस्ट्रमेंन्ट्स फैक्ट्री के अन्दर भी बोनस दिए जाने का प्रश्न हमारे विचाराधीन है और सरकार उस पर विचार कर रही है।

जहां तक संराधन मशीनरी का सवाल है, मैं आपको बताऊं कि ८६४ केसेज रेफर किए गए। अगर सभी केसेज को हम रेफर करने लगें तो इसमें दिक्कत होगी। उससे मजदूरों को लाभ नहीं होगा। हमने यह कोशिश की है कि जो भी यूनियन के पदाधिकारी आदि के केसेज हों या कोई और मुख्य बात हो तो वह रेफर किए जायं। (व्यवधान)

श्रीमन्, पहाड़ों पर काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी भी हम बढ़ा कर १.८० रुपये निर्धारित करने जा रहे हैं। इसी प्रकार से बुन्देलखंड में १ रु० ६८ पै० और पूर्वी क्षेत्र में १ रु० ६२ पै० खेतिहर मजदूरों की मजदूरी हम निश्चित करने जा रहे हैं। मैं जानता हूं कि वास्तव में यह बहुत कम है .....

श्री उग्रसेन—

सदन का समय १५ मिनट और बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, सदन का समय १५ मिनट और बढ़ाया जाता है ।

श्री बनारसीदास—

सरकारी कर्मचारियों के लिए गवर्नमेंट ने पे रेशनालाइजेशन कमेटी की रिपोर्ट को कार्यान्वित किया है और उस रिपोर्ट के आधार पर इस प्रशासन का व्यय इस प्रदेश की जनता पर ५ साल में ११७ करोड़ रुपया बढ़ गया है। इसके माने यह हुए कि २३ करोड़ रुपये सालाना सन् ६६-६७ के बजट के अन्दर इजाफा हुआ है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश की जनता जो गांवों में रहती है उनके वेतन स्तर को भी ऊंचा करने के लिए क्या आप साधन देने को तैयार हैं ? अब यह बात दूसरी है कि हलवाई की दूकान, लाला जी का फातेहा। इसका तो कोई जवाब ही नहीं है, लेकिन यदि इसी प्रकार से घरेलू मजदूरों, लोकल बाडीज के सदस्यों और खेतिहर मजदूरों का बैलेंस बजट किया जाय तो २३ करोड़ का इजाफा क्या, २०० करोड़ रुपया उसके लिए और चाहिए .....

श्री उग्रसेन—

एक हजार से ऊपर की आमदनी को कम कीजिए ।

श्री बनारसीदास—

इस प्रकार से एक वर्ग में असंतोष पैदा करने की बात आप कहते हैं। जैसे एक अमेरिकन ने हिसाब लगा कर कहा था कि इस काम के लिए कुछ डालर और ले लो। आखिर १ हजार से ऊपर वेतन पाने वाले कितने परसेंट हैं ? एक तरफ तो उनको असंतोष पैदा हो और दूसरी तरफ उग्रसेन जी औरों से हड़ताल कराते रहें। तब तो यहां अराजकता की स्थिति पैदा हो जायगी ।

श्री उग्रसेन—

एक हजार से ऊपर की आमदनी में पूंजीपति भी आते हैं ।

श्री बनारसीदास—

सबसे पहले आदर्श उपस्थित करना चाहिए। हमारे देश के अन्दर कितने ऐसे समाजवादी और कम्युनिस्ट वकील और डाक्टर हैं, जिन्होंने अपनी इनकम को केवल एक हजार रुपए ही रखा हो और बकिया सरकारी कोष में जमा कर दिया हो ?

श्री उग्रसेन—

अगर आप गद्दी छोड़ दें तो हम रेडियो बजाना बन्द कर दें ।

श्री बनारसीदास—

इस प्रदेश की जनता में विवेक बुद्धि है और वह अच्छी तरह से जानती है कि कौन हमारा हित करने वाला है। मैं तो गांव की बात जानता हूं कि अगर एक मजदूर एक किसान के पास आकर कहता है कि मैं पैर की रखवाली करूंगा और कुछ नहीं लूंगा और दूसरा मजदूर वहीं पर कहता है कि मैं तो २ रुपये रोज मजदूरी लेकर चौकीदारी करूंगा तो किसान समझ लेता है कि जो मुफ्त में रहने को तैयार है वह चोरी अवश्य करेगा ।

श्री उग्रसेन—

ये राजनीतिक मसले किस्से कहानियों से तय नहीं होने वाले हैं। यह तो "दिल बहलाने को गालिब खयाल अच्छा है", वाली बात है ।

श्री बनारसीदास—

इस प्रदेश की जनता शिक्षित नहीं है लेकिन उसकी बुद्धि सम है, वह अपने हित और अनहित को अच्छी तरह से समझती है और उसका निर्णय कर सकती है। श्रीमन्, यदि आज

आर्थिक स्थिति के किसी एक अंग को ले लिया जाय और एक-पक्षीय निर्णय ले लिया जाय तो वह ठीक नहीं होता। संसार में ऐसे औसर आते हैं जब कि विकास संबंधी कार्य के लिए सबको एक साथ सहयोग करक खड़ा होना पड़ता है। डेमोक्रेसी क अन्दर कठिनाई है लेकिन यूसुफ साहब का जो वेजेज के संबंध में कहना है, उनको मालूम होना चाहिए कि सन् ४६ में जहां शुगर फैक्टरीज के अन्दर ३६ रु० मजदूरों को मिलता था वहां अब से सन् ६२ से ९६ रु० मिल रहा है। माननीय यूसुफ जी के यहां १०५ रु० डियरनैस अलाउन्स मिलता है तो कानपुर के अन्दर लोगों को क्या मिलता है? माननीय उग्रसेन जी चाहते हैं कि प्रत्येक मजदूर को १०५ रु० दिया जाय। अभी आपने देखा म्योर मिल बन्द हुई। इसी तरह से सभी कानपुर के कारखाने बन्द हों। और मजदूर बेरोजगार फिरे और मजदूरों को इस तरह से स्लम्प किया जाय। खेतिहर मजदूर सस्ता हो, मुझे तो इसके पीछे एक प्रतिक्रियावादी तत्व मालूम होता है। (व्यवधान)

श्रीमन, इस सरकार की, जिसने समाजवाद को स्वीकार किया है, जो इन्डस्ट्री जितना बोझा बरदाश्त करेगी, मजदूरों के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिये उतना बोझा डालेगी यही नीति है, पर मजदूरों के हितों को देखते हुये उसमें मजदूरों की मजदूरी जाने का खतरा होगा तो उस पर अवश्य नियंत्रण करेगी। जो बरेली की रबर फैक्ट्री है वहां पर मजदूर को ८४ रु० मिलते हैं कुछ जगह ९० रु० मिलते हैं। क्या हम सब जगह समानता लाये? समानता के विषय में मार्क्स ने भी कहा है कि "कान्सेप्शन आव ईक्वलिटी इज कान्सैप्शन आव फूल्स, व्हाट वी एम एट इज इक्वल अपारचुनिटी फार आल।" समानता की कल्पना करना मूर्खों की कल्पना है, सबको समान अवसर मिलने चाहिये। अगर इसी समानता के सिद्धान्त को इस तरह लागू किया जायेगा तो सारे कल-कारखाने ठप्प हो जायेंगे, सारी खेती पट हो जायेगी। आप अराजकता की स्थिति में सोचिये तो सोचिये। एक बच्चे की दवा नौजवान की दवा के डोज के बराबर नहीं हो सकती। आप कहें कि एन्टी टिटनस का इन्जेक्शन सबको लगा दें तो वह सबको नहीं दिया जा सकता।

श्रीमन्, एक बात मैं और कहूंगा पेन्शन देने के बारे में। जैसा कि कहा गया, बूढ़ों को पेन्शन केवल १० रु० मिलती है और उनकी तादाद १४ हजार है। इस सम्बन्ध में म चाहूंगा, अगर हमारा बजट इजाजत देता तो ये ३२ लाख रुपये की धनराशि ३२ करोड़ हो सकती जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को पेन्शन दी जा सकती। एक माननीय सदस्य ने कहा कि यह लेबर का बजट नहीं, पूंजीपतियों का बजट है। जिस तरह से बच्चे बचपन में कुछ नारे सुन लेते हैं उसी तरह से यह भी कहा गया मालूम होता है। वे नहीं जानते कि पूंजीवाद और श्रमवाद का मतलब क्या है। मैंने अर्ज किया कि इस बजट के अन्दर मेरा कोई दावा नहीं है कि मैं उग्रसेन जी को समाजवाद का चित्रपट दिखा दूं, पर मेरा दावा यह है कि यह प्रगति की तरफ है और उस रास्ते की तरफ चलने का प्रयास है जो समाजवाद की तरफ ले जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या २६—श्रम और सेवायोजन—के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—सरकार की श्रम नीति की आलोचना करना, मजदूर एवं मालिक के संबंध के विषय में सरकार के पक्षपाती रुख व सामान्य नीतियों की चर्चा करना, सुझाव देना एवं शिकायतें करना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २६--श्रम और सेवा योजन के अन्तर्गत ५,४९,८०,६०० रुपये की मांग वर्ष १९६६-६७ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ८ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
३ मार्च, १९६६ ।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११९ पर)

कक्षा	कक्षा में बन्दियों की संख्या	परीक्षा फल	
		उत्तीर्ण	अनुत्तीर्ण
	१९६१		
५	.. ५	५	—
६	.. ३	३	—
७	.. ३	३	—
८	.. —	—	—
	१९६२		
५	.. २	२	—
६	.. —	—	—
७	.. —	—	—
८	.. —	—	—
	१९६३		
५	.. ३	३	—
६	.. —	—	—
७	.. —	—	—
८	.. —	—	—

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११९ पर)

बन्दी बालकों की औसतन प्रति दिन संख्या	शिक्षा पाने वाले बालकों की औसतन प्रति दिन संख्या
१-१-६१ से ३१-१२-६१ तक--४१	४१
१-१-६२ से ३१-१२-६२ तक--४०	४०
१-१-६२ से ३१-३-६३ तक--३९	३९

अवर सदन विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४० का उत्तर पीछे पृष्ठ १२२ पर)

परिशिष्ट-अ

यूपिका को वर्ष १९६०–६१ से वर्ष १९६४–६५ तक दिया गया अनुदान

क्र० सं०	किस कार्य हेतु दिया गया	अनुदान की रकम
१९६०–६१		रु०
१	बुनकरों के अनुभव हेतु टूर	१०,०००–००
२	सुधरे यंत्रों के हेतु	१,९७,०००–००
३	बिक्री केन्द्रों हेतु	१,८८,५००–००
४	बुनकर समितियों के प्रशिक्षण हेतु कर्मचारियों को ..	६२,१००–००
५	सैम्पुलों को खरीदने हेतु	२०,०००–००
६	मेरठ में ब्लीचिंग प्लान्ट लगाने हेतु	१,५५,११९–००
७	अन्तर प्रान्तीय बिक्री केन्द्र के हेतु	१५,०००–००
८	रेलवे शो केसेज के हेतु	२१,०००–००
९	सिल्क रंगाई घर के हेतु	३,२५०–००
१०	रंगाई घरों के हेतु	३,५००–००
११	मोबाइल वैन के हेतु	२,१५०–००
१२	उद्योग पत्रिका के हेतु	२,५००–००
१३	बल करघा योजना के अन्तर्गत	३,२८,९१०–००
१९६१–६२		
१४	बुनकरों के हेतु अनुभव टर	१०,०००–००
१५	सुधरे रंगाई घरों के हेतु	३३,६००–००
१६	सुधरे यंत्रों के हेतु	४,१५,६८८–००
१७	बिक्री केन्द्रों के हेतु	१,३७,५००–००
१८	बुनकरों के कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु	७८,७००–००
१९	सैम्पुलों की खरीद के हेतु	२०,०००–००
२०	पावर ड्राइवेन पुशकार्ट के हेतु	३,६००–००
२१	फिनिशिंग प्लान्ट संडीला के हेतु	२३,५२७–५०
२२	रेंट तथा फर्नीचर अनुदान	४८,०००–००
२३	अन्तर प्रान्तीय बिक्री के हेतु	८,०००–००
२४	रेलवे शो केसेज के हेतु	५,०००–००
२५	सिल्क डाई हाउस के हेतु	१,६२५–००
२६	प्रेसिंग मशीनों के हेतु	४,०००–००
१९६२–६३		
२७	बुनकरों के अनुभव हेतु टूर	१५,०००–००
२८	सुधरे हुये रंगाई घरों के हेतु	४१,७००–००
२९	सुधरे यंत्रों के हेतु	७,४०,९५२–५०
३०	बिक्री केन्द्रों के हेतु	४०,०००–००

विधान सभा

क्र० सं०	किस कार्य हेतु दिया गया	अनुदान की रकम
३१	समितियों के कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु ..	७५,५००—००
३२	सैम्पुलों के खरीद के हेतु	२०,०००—००
३३	रेंट एवं फर्नीचर के सब्सीडी	२४,०००—००
३४	अन्तर प्रान्तीय बिक्री केन्द्र के हेतु	५,५००—००
३५	अन्तर प्रान्तीय बिक्री केन्द्रों के हेतु	१५,०००—००
३६	रेलवे शो केसेज के हेतु	५,०००—००
३७	कलेंडरिंग प्लान्ट खलीलाबाद के हेतु ..	१९,८००—००
३८	हेन्डीक्राफ्ट स्कीम के अन्तर्गत यूपिका को	१,२००—००
	१९६३—६४	
३९	बुनकरों के अनुभव हेतु टूर	१५,०००—००
४०	सुधरे यंत्रों के हेतु	४,८७,०००—००
४१	बिक्री केन्द्रों के हेतु	१,२२,५००—००
४२	समितियों के कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु	६५,९००—००
४३	सैम्पुलों की खरीद के हेतु	२०,०००—००
४४	हेन्डीक्राफ्ट स्कीम के अन्तर्गत	१,२००—००
४५	रेलवे शो केसेज के हेतु	५,०००—००
	१९६४—६५	
४६	समितियों के कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु	६७,२००—००
४७	रेलवे शो केसेज के हेतु	५,०००—००
	कुल योग ..	३५,९१,६२२—००

संसद प्रदर्शन पुस्तकालय

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२५ पर)

दिनांक १६-११-६५ को श्री चमन लाल, पुत्र श्री काली राम आढ़ती रुद्रपुर, के निवास स्थान पर उनकी पुत्री के विवाह के उपलक्ष म एक घटना हुई थी जिसके आधार पर थाने पर धारा २७९/४२७/५०० भा० द० वि० के अन्तर्गत अभियोग अंकित हुआ। घटना इस प्रकार बताई जाती है कि जब उक्त विवाह के संबंध में 'मिलन' के रस्म की कार्यवाही हो रही थी, श्री हर पाल सिंह, पुत्र श्री अजीत सिंह, निवासी शिहोरा, फार्म थाना बिलासपुर, जिला रामपुर, ट्रक से आये और विवाह द्वार को टकरा कर तोड़ दिया। इस पर उपस्थित बाराती क्रोधित हो गये और उन्होंने ट्रक को घेर लिया और हरपाल सिंह को पीटने की चेष्टा की, पर श्री चमन लाल ने रोक दिया। उक्त हरपाल सिंह के भाई ने भी थाने पर आकर यह सूचना दी कि उनके भाई को श्री चमन लाल के दरवाजे पर पीटा गया और उनकी ट्रक को नुकसान पहुंचाया जिस पर धारा ३२३/४२७/५०६/३७९ भा० दं० वि० का अभियोग कायम हुआ। श्री हरपाल सिंह को बंदी बनाया गया पर उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया।

२—उक्त घटना के संबंध में नगर की जनता ने यह आरोप लगाया कि पुलिस घटनास्थल पर शीघ्र नहीं पहुंची और विपरीत सूचना श्री चमन लाल के विरुद्ध पुलिस के इशारे पर लिखाई गई। इन्हीं बातों को लेकर कुछ लोगों को भड़काने पर हड़ताल की गई और जुलूस निकाले गये। एक प्रतिनिधि मंडल भी पुलिस अधीक्षक एवं खंड मंडलाधीश से मिला और उनसे आरोप लिखित रूप में देने के लिये कहा गया। थानाध्यक्ष के विरुद्ध आरोप-पत्र पुलिस अधीक्षक को दिये गये जिनमें जांच की जा रही है।

संसद पुस्तकालय

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२८ पर)

जाति	स्वीकृत धनराशि (१९६५–६६)	दी गई धनराशि (१७ जनवरी, १९६६ तक)
	रु०	रु०
१—अनुसूचित जाति	९,०३,१४८ रु०	६,११,७६३.२४
२—पिछड़ी जातियां	५७,२१७	४०,९०५.५०
३—ग्राम के आधार पर पिछड़ी हुई जातियों के लिये	१३,८७२	७,४३८

विधान सभा प्रदेश प्रयाग

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० २३०—एल० ए०—१९६६—८६२ ।